खण्ड-202, अंक-2
शनिवार, 9 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(28 फरवरी, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 202 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २८ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३२४

अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव,पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०, जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गप्त, श्री
बेजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री

भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल , श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुवितनाथ राय, श्री
मुज्जपफर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडय, श्री

राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री,
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री

लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
संपूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद, गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द्र रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह, पिपल श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कान्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शनिवार, २८ फरवरी, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शारदा सागर बांध के व्यय पर आपत्ति

**१---श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शारदा सागर बांध को बनाने में अब तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ और आरम्भ में कितने रुपये का तखमीना था ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---शारदा सागर बांध के बनाने में जनवरी, १९५९ के अन्त तक २१४ लाख रुपया व्यय हुआ है।

आरम्भ में २१९.७६ लाख रुपये का तखमीना था।

**२---श्री राजनारायण---क्या सरकार को मालूम है कि बांध का कटाव लहरियों से रोकने के लिये पत्थर के स्थान पर ईंटा का पिचिंग किया गया और ईंटों में तार लगाया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो ईंट में तार लगाने का ठेका दिया गया वह किस कामर्शियल कम्पनी को दिया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी हमको सूचना नहीं है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात को बतायेगी कि तार सप्लाई करने का ठेका किसको दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष---वह तो कह रहे हैं कि हमको सूचना नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब विभाग को यह मालूम हो गया कि उसमें इतनी खराबी हो गयी तो विभाग ने कौन सी कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---क्या खराबी हो गयी ?

श्री उग्रसेन---वह क्रैक कर गया था।

श्री उपाध्यक्ष---मूल प्रश्न में क्रैक का कहां सवाल है ?

श्री राजनारायण---क्या सरकार को जानकारी है कि जो पुस्तिका सिंचाई विभाग द्वारा फरवरी, १९५९ में बांटी गयी है उसमें इस योजना की अनुमानित लागत ४७९.४६ लाख रुपया थी और इसमें बताया गया है कि केवल २१९.७६ लाख ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य किस पुस्तिका का जिक्र कर रहे हैं। यदि कोई सरकारी पुस्तिका है तो उसमें ठीक ही लिखा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि तखमीना बढ़ने के क्या कारण हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कई कारण हैं। एक तो यह कि उसमें जो सब-स्वायल, मिट्टी थी, उसका जो अन्दाज था वह गलत निकला। इसलिये मिट्टी वहां दूर से लानी पड़ रही है। दूसरे, महंगाई वगैरह की बजह से मजदूरी बढ़ गयी। जो सामान उसमें खर्च होता है उसका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसके अलावा और कई काम उसमें करने पड़े जैसे बाद को समझ में आया कि दो स्पर आयेंगे और साढ़े बारह लाख उसकी वजह से खर्चा बढ़ा। उसके अलावा फिल्टर बनाने की बात पहले नहीं थी, फिर बाद में रिसर्च में समझ में आया कि उससे आसानी होगी और उसकी वजह से ४४ लाख रुपया और बढ़ गया। इस कारण से खर्चे में वृद्धि हुई है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि सरकार यह कैसे कहती है कि खर्चा और बढ़ा जब कि शारदा सागर के प्रथम चरण में सरकार द्वारा जो पुस्तिका बांटी गयी है उसमें लिखा है कि योजना की अनुमानित लागत ४२९.४६ लाख रुपया, और श्रीमन्, अब इसी के दूसरे चरण में यह लिखा हुआ है कि जो उसको रिवाइज किया गया तो द्वितीय चरण की अनुमानित लागत ५०३ लाख रुपया हो गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यदि मैंने ठीक सुना तो उसमें तो एस्टीमेट बढ़ा और अभी पूरा नहीं हुआ।

श्री राजनारायण---सरकार ने जो उत्तर दिया है उसमें कहा है कि शारदा सागर बांध के बनाने में जनवरी, १९५९ के अन्त तक २१४ लाख रुपया व्यय हुआ। आरम्भ में २१९.७६ लाख रुपये का तखमीना था और जो पुस्तिका बांटी गयी है उसमें आरम्भ की अनुमानित लागत लिखी हुई है ४७९.४६ लाख और उसका जब रिवीजन हुआ है तो ५०३ लाख लिखा हुआ है, तो सरकार कैसे कह सकती है कि लागत बढ़ी है ? लागत तो घटी है और घटने का कारण हम बतायेंगे आगे के प्रश्न में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तो स्टेज १ खतम हुआ है, स्टेज २ खत्म होना बाकी है। जिस हिसाब से खर्च हो रहा है उससे हम अन्दाज करते हैं कि जरूर खर्च आगे बढ़ जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि शारदा सागर बांध में जो यह तखमीना बढ़ गया है और खर्च बढ़ गया है उससे कुछ पानी के वाल्यूम में जो वहां इकट्ठा होगा बढ़ोत्तरी होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वाल्यूम तो इसी साल जितना अन्दाज किया गया था उससे बहुत ज्यादा पानी उसने दिया।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात का पता है कि अब तक यह बांध बन कर जहां तक आ चुका है इसमें ब्लैकेटिंग का रांग एग्जीक्यूशन हुआ है, इसमें फिल्टर तो नहीं लगायी गयी और बांध पूरा न करके आधी चौड़ाई बांधी गयी और जब बाद में पानी निकलने लगा तो फिल्टर टो के समान चार, पांच जगह दूसरी तरह से पानी रोकने की व्यवस्था की गयी ? और इंजीनियर की राय की उपेक्षा करके किसी एक व्यक्ति विशेष को रुपया कमवाने के लिये यह सब काम किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष---यह बाद वाला अंश तो आपका आक्षेप है, इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, फिर से मैं साफ कर दूं ?

श्री उपाध्यक्ष---वह साफ है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, उसमें क्लैकेंटिंग का रांग एग्जीक्यूशन, फिल्टर टो का न लगाना, पूरे बांध को मुकम्मिल न करके आधे पर ही खत्म करना और फिल्टर टो न लगाने पर जब पानी निकलने लगा तो ४-५ जगह फिल्टर टो के स्वरूप कोई दूसरा इन्तजाम करना, यही मेरा प्रश्न है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं, मैं नहीं कह सकता कि जिन बातों का जिक्र माननीय राजनारायण जी ने किया वे कहां तक जरूरी हैं । अगर किसी वक्त यह सवाल पैदा होगा तो फिर इन बातों का पता लगाने की जरूरत होगी ।

श्री अवधेशचन्द्रसिंह (जिला फर्रुखाबाद)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सागर बांध के प्रथम चरण की समाप्ति की अवधि और तखमीना क्या था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अवधि मैं ठीक नहीं कह सकता और अकेले प्रथम चरण का कितना तखमीना था वह भी मैं इस वक्त नहीं बतला सकता हूं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पत्थर की जगह जो यह ईटों की पिचिंग डाली गयी यह किस इंजीनियर की की सलाह से डाली गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह खयाल माननीय सदस्य का गलत है कि हर जगह पत्थर से पिचिंग होती है । पंजाब में करीब-करीब सभी में ईंट की पिचिंग है और हमारे यहां रुहेलखंड क्षेत्र में और गंडक में भी ईंट की पिचिंग है । बिहार में भी ईंट की पिचिंग है । इसलिये कोई नियम नहीं है कि सब जगह पत्थर की ही पिचिंग हो ।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शारदा बांध के प्रथम चरण में कितनी सिंचाई हो रही थी और अब कितनी हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इतनी सूचना मुझको मालूम है कि सन् ५७ में पानी से लगभग ६० हजार एकड़ और सन् ५८ में १ लाख एकड़ भूमि सींची गयी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया यह स्पष्ट करेंगे कि शारदा सागर बांध योजना के प्रथम चरण में अनुमानित व्यय ४७९.४९ लाख रुपया है और इस पुस्तिका में लिखा है कि इससे संबंधित सभी कार्य लगभग पूर्ण किये जा चुके हैं । तो क्या यह जो उत्तर में दिया गया है कि २७९ लाख रुपये जनवरी तक खर्च हुए हैं यह सही है अथवा पुस्तिका का आंकड़ा सही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---दोनों उत्तरों में कुछ विरोध है, मैं ठीक समझ नहीं पाया । मैं समझता हूं कि दोनों ठीक होंगे ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---यह देखते हुए कि शारदा सागर और माता टीला जैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट के इस्टीमेट्स में बढ़ते जा रहे हैं और किसी-किसी में तो छै गुना बढ़ती हो गई है तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह बात सही है और मेरा खयाल भी इधर गया है और मैं खुद इसकी जांच कराने की सोच रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पत्थर की पिचिंग के स्थान पर ईंटों की पिचिंग में कितना व्यय हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो मैं नहीं बता सकता लेकिन ईंट की पिंचिंग में पत्थर की पिंचिंग से आधा खर्चा होता है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को जानकारी है कि ईंटों की पिंचिंग में कितना तार लगा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस समय नहीं बता सकता कि कितना तार लगा है ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---क्या सरकार बतायेगी कि शारदा सागर के निर्माण के लिये किस संस्था को ठेका दिया गया और किसने दिया ।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो वह बता चुके हैं कि नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को जानकारी है कि कुल कितना तार आया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मुझे मालूम है कुल ७३८ टन तार की जरूरत थी और समय-समय पर कितना आया इसके बारे में मुझे इत्तिला नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो तखमीने बढ़ रहे हैं उसकी जांच वह करेंगे या ऐक्सपर्ट्स की कमेटी रखेंगे, यदि हां, तो किसकी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी मैं नहीं कह सकता । रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स तैयार हो जायं और उनको विभाग देख ले । फिर यदि जरूरत होगी तो मेरे देखने का प्रश्न आता है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बतायेगी कि शारदा सागर के समीप पत्थर अप्राप्य था जिसके कारण ईंटों की पिंचिंग लगाने की जरूरत पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका प्रश्न नहीं था कि प्राप्य था या नहीं । क्योंकि जब ईंटों की पिंचिंग में आधा खर्चा होता है तो हर हालत में वह लगाना उचित था ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पत्थर और ईंटों की पिंचिंग की लाइफ को देखते हुए इसमें कितने खर्चे की कमी-वेशी होती है ?

श्री उपाध्यक्ष---इसका उत्तर वह दे चुके हैं कि खर्चा आधा हो जाता है ।

श्री राजनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था कि वह इंक्वायरी करेंगे और कल शारदा सागर के संबंध में ही चर्चा हुई थी तो क्या यह भी उनकी इंक्वायरी के अन्दर है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, था, इसलिये मैं समझता हूं कि अच्छा होता यदि इतने सवाल यहां न पूछे गये होते ।

श्री राजनारायण---जो प्रश्न पूछे गये हैं उनकी रोशनी में मुख्य मंत्री जी हिन्दुस्तान कमर्शियल कम्पनी को कितने-कितने ठेके दिये गये इसकी स्वतः जानकारी हासिल कर लेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, जहां तक इर्रीगेशन का संबंध है, यह जरूरी है कि इसकी जानकारी हासिल करनी होगी ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---अब प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अनुसार ५ माननीय सदस्यों ने प्रश्न उपस्थित किया है । मेरी राय में सब से महत्वपूर्ण और आवश्यक निम्नलिखित है जिसकी मैंने इजाजत दी है । उसका नोटिस दो माननीय सदस्यों, सर्वश्री नारायदणदत्त तिवारी तथा कल्याणचन्द मोहिले ने दिया है । विषय एक ही है । वह इस प्रकार है कि:---

"मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के एक निश्चित विषय" अर्थात् हरदोई जिले में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख कार्यकर्त्ता तथा हरदोई गन्ना उत्पादक यूनियन के डाइरेक्टर के

इसी २६ फरवरी की शाम को जान से मार डाले जाने तथा कल रात ११ बजे प्रजा पार्टी कार्यकर्त्ता श्री श्यामलाल को संडीला के बाजार में, जहां कि आज से जिला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कानफ्रेंस हो रही है, गोली मार कर सख्त घायल कर दिये जाने से उत्पन्न हरदोई जिले में आतंकपूर्ण परिस्थिति पर चर्चा करने के लिए नियम ५२ द्वारा आपके द्वारा संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कृपया अनुमति प्रदान करें।"

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—श्रीमन्, श्री पुत्तूसिंह की जो हत्या हुई है उसके बारे में तो मेरे पास सूचना है। वह मैं आपकी आज्ञा से दे दूं।

२५ फरवरी, १९५९ को श्री पुत्तूसिंह ब्लाक की मीटिंग में गये हुए थे। २६ फरवरी को वापस आ रहे थे। उनके साथ श्री उजागर, श्री हफीजुद्दीन और श्री रामस्वरूप साइकिलों पर थे और श्री पुत्तूसिंह सबसे आगे थे। लगभग तीन बजे जब वह बमरौला और रामपुरवा गांव के पास पहुंचे तो वहां हरपालसिंह, पुरुषोत्तमसिंह और रामदयाल लाठियां लेकर आ गये बड़ा गांव की ओर से और उन्होंने पुत्तूसिंह पर हमला किया। उजागर और रामस्वरूप ने शोर मचाया जिस पर उनको भी पीटा। रामदयाल आ गये और उन्होंने श्री पुत्तूसिंह को एक कंट्रीमेड पिस्तौल से फायर किया जो कि उनकी छाती में लगा और उससे वह मर गये। श्री रामदयाल एक और फायर करके, वह और उनके साथी, भाग गये। २६ तारीख को ४ बजे श्री उजागर ने थाने में रिपोर्ट की और यह भी बतलाया कि पुरानी दुश्मनी की वजह से श्री पुत्तूसिंह की हत्या हुई है। डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस जा चुके हैं। आज एस० पी० भी जा रहे हैं। ३०२ धारा के अन्दर रिपोर्ट कर ली गयी है और उसकी जांच हो रही है और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जो मार कर फरार हो गये हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाय। इस वक्त तक की सूचना यह है कि जो हत्या हुई है वह पार्टीबन्दी के कारण हुई है। वह किसी पोलिटिकल कारण से नहीं हुई है।

श्री श्यामलाल के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—जानकारी करके फिर सदन को सूचना दे दीजियेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि दो ही दिन के अन्दर जब कि जिला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की कान्फ्रेंस हो रही है वहां पर एक हत्या हो चुकी है और दूसरे बलरामपुर अस्पताल में भरती हैं, कोई विशेष पुलिस का प्रबन्ध करेंगे जिससे वहां पर इस प्रकार का आतंक न हो ?

श्री रामस्वरूप यादव—पुत्तूसिंह की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं हुई है। जहां तक श्यामलाल जी का सम्बन्ध है, जैसा बतलाया गया है, जानकारी करके इस विषय में बताया जा सकेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हत्या किसी भी कारण से हुई हो, लेकिन हत्या करने वालों में किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। लेकिन पुलिस काफी कोशिश में है कि गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पुत्तूसिंह ने पहले कई बार सरकार को यह दरख्वास्त दी थी कि कुछ लोग उनकी जान के पीछे पड़े हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी अभी सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि क्षेत्रीय एम० एल० ए० ने यह शिकायत की है पुलिस के बड़े अधिकारियों से कि स्थानीय थानेदार का भी इस हत्या में हाथ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरी जानकारी में कोई शिकायत इस किस्म की नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे कि जांच ठीक हो सके, इसके लिए उस थानेदार को वहां से हटा दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो जरूरी होगा वह सब काम करेंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह कांफ्रेस जो हो रही थी उसकी सूचना पुलिस को थी ?

श्री उपाध्यक्ष—अवश्य ही होगी कान्फ्रेंस की इत्तिला पुलिस को।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुत्तूसिंह जी के व्यक्तिगत झगड़े का कारण क्या था, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी पूरी रिपोर्ट अभी नहीं है। मैंने निवेदन किया कि टेलीफोन पर बात हुई थी। लेकिन शायद कुछ भ्रम हो गया है। पुत्तूसिंह जी ब्लाक की मीटिंग अटेंड करने गये थे। जब वे ब्लाक की मीटिंग से लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने उन पर हमला किया।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छूटा जा रहा है हरदोई जिले के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष—आप प्रश्न कीजिए।

श्री राजेन्द्रसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मेरा स्वयं कत्ल करने के लिये कोशिश की गई थी और मैंने खुद लिखकर के दिया था, उसके बाद शिवराज सिंह का किया गया और यह दूसरा कत्ल है, क्या इस दृष्टि से जांच कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—इसके सम्बन्ध में आप फिर से प्रश्न उपस्थित करें। इस बात से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इसके सम्बन्ध में फिर वक्तव्य देंगे कल या परसों ?

श्री रामस्वरूप यादव—जैसा कि आदेश आपने भी दिया है परसों इसके बारे में सूचना सदन में रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—अब यह समाप्त हुआ।

मुख्य मंत्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग

*श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण करना था मुझे। दो मिनट का समय मुझे दें। आज के अखबारों में कल जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने जांच के सिलसिले में कहा तो उसमें कुछ ऐसी गलतफहमी हो गई है कि सभी पार्टियों ने मन्त्री जी की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घोषणा का बिना किसी क्वालीफिकेशन के समर्थन किया। तो उसके लिए मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने कल दो-तीन बार कोशिश की स्पष्टीकरण देने की लेकिन मौका नहीं मिला, माननीय अध्यक्ष की आई कैच नहीं कर सका। तो वह मैंने समाचार-पत्रों में प्रतिवाद छापने को दिया मगर उन्होंने नहीं छापा है....

श्री उपाध्यक्ष—आप अपनी बात कहिए।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मुझे इतना ही कहना है कि यह देखते हुए कि जिनके खिलाफ वह जांच करेंगे वह ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी कैबिनेट की होती है तो क्या यह मुख्य मंत्री जी के लिए स्वयं ठीक होगा? हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, वे हममें से बुजुर्ग हैं और उनकी नीयत पर मुझे शक नहीं है, तो मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—आज फिर जब प्रश्न उपस्थित हुआ था तो मेरी तो आंख आपने कैच की थी, तो उस समय तो प्रश्न आपने पूछा नहीं। अब तो मुख्य मंत्री जी चले गए हैं। आप लिख कर उनको सुझाव दे दीजिए।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—तो मैं यही कह रहा था कि अच्छा होता कि जुडीशियल इन्क्वायरी हो जाती।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, एक बधाई मैं दे दूं, कि हमारे एक मित्र हमारी मांग में शामिल तो हो गए। मगर एक दिन के बाद शामिल हुए।

श्री टीकाराम पुजारी द्वारा जानकारी की मांग

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी यह एक निवेदन है। मेरा एक प्रस्ताव था कि इस विषय का कि जो रजबहा कुरसंडा है...

श्री उपाध्यक्ष—आप पहले बैठ जाइए मैं बतला दूं कि क्या हुआ? नियम यह है कि चार-पांच माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिया था, उनमें से एक को जिसको मैंने बहुत आवश्यक समझा उसके बारे में बयान दिलवा दिया और स्पष्टीकरण करवा दिया। अब अगर आप जरूरी समझते हैं तो फिर से नोटिस दीजिए। कल आपका लिया जायगा या आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछिए।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा.....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें।

(माननीय उपाध्यक्ष ने माननीय सदस्य को पुनः बैठने के लिए कहा किन्तु श्री टीकाराम पुजारी खड़े रहे।)

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपसे बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके बैठ जाइए। आप मेरे पास लिखकर शिकायत कीजिए।

श्री टीकाराम पुजारी—जो नेता लोगों के प्रस्ताव होते हैं उन पर तो ध्यान दिया जाता है लेकिन हमारे जैसे सदस्यों के प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—आप इस प्रश्न को लेकर मुझसे मिलें। आप का प्रश्न कोई होगा तो उसकी इजाजत दे दी जायगी।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--- अनुदान संख्या १७-लेखा शीर्षक २८---जेल

*समाज कल्याण मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७---जेल---लेखा शीर्षक २८---जेल के अन्तर्गत १,६५,६७,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिए स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, इस मांग के सम्बन्ध में बजट साहित्य में विस्तृत विवेचन है। वैसे मोटे तौर पर इस वर्ष के मुकाबले में अगले वर्ष के लिये ८,७२,००० रुपया अधिक खर्च किये जाने की योजना है। माननीय सदस्यों का संभवतः इस प्रकार का विचार हो कि यह ८,७२,००० रुपये की रकम वहां किस के प्रकार के कार्य में खर्च की जायगी इसका वह विवरण नहीं पा सके। मैंने इस बजट के साहित्य में जैसे कुछ देखा तो उसके अनुसार यह ८,७२,००० रुपये की रकम ज्यादातर कुछ तो नये भाव बढ़े हैं और कुछ नये काम हैं जिनका विवरण इस बजट के साहित्य में दिया है, खर्च की जायगी। कुछ ऐसा धन है जो कि अधिकारियों के यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में देना पड़ेगा। कुछ ऐसी रकम है जो जेल के खाद्यान्न के सम्बन्ध में भाव बढ़े हैं उनके अनुसार बढ़ी हुई कीमत देनी पड़ेगी और इसके अलावा भी जिसके सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा निवेदन इस सदन के सामने करूंगा, उस पर यह रकम उसी प्रकार से खर्च होने को है। जहां तक मैं समझ पाया इसमें कोई एक पैसा भी ऐसा नहीं है जिसके सम्बन्ध में यह कहा जा सके कि यह अधिक खर्चा किया जायगा या गलत खर्चा किया जायगा।

श्रीमन्, सन् १९५८ में जो पहला १८९४ प्रिजनर्स ऐक्ट था उसमें कुछ परिवर्तन हो गया। उसके अनुसार अब जेलों का कार्य केवल किसी को बन्दी बनाने का नहीं है बल्कि वैधानिक रूप से उसका सुधार उसको बन्दी बनाते हुये करना है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे यहां के एक सचिव संसार के कुछ देशों में गये और वापस आने पर, जो उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया उसमें उन्होंने जो दूसरे देशों में देखा, उसके सम्बन्ध में उन्होंने बताया उससे कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने हमको बताया कि संसार में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि बन्दियों को मजदूरी देकर कोई कार्य कराया जाता हो। यू० के० के सम्बन्ध में उनका कहना था कि यू० के० में कुछ लोगों को ओपेन एयर कैम्प में रखा जाता है लेकिन उनको मजदूरी नाम की कोई चीज दी जाय या कोई पारिश्रमिक दिया जाय ऐसा यू० के० में नहीं होता। उन्होंने बताया कि पाकिट खर्च भी बन्दियों को यू० के० में दिया जाता है। लेकिन वह नाम मात्र को होता है। कहीं पर ३, ४ पेन्स प्रति दिन दिया जाता है। हम लोगों ने एक प्रकार से अपने यहां ओपेन एयर कैम्प का परीक्षण सन् १९५२-५३ में शुरू किया और चूंकि इस प्रदेश के आज के मुख्य मन्त्री सम्पूर्णानन्द जी उस जमाने में जेल विभाग से सम्बन्धिति थे तो वह ओपेन एयर कैम्प का का नाम भी श्री सम्पूर्णानन्द कैम्प है। इसके सम्बन्ध में केवल एक प्रयोग नहीं बल्कि आज तो स्थिति ऐसी हो गई है जिसके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह प्रयोग इतना सफल हुआ जो प्रशंसा के योग्य है। इस समय प्रदेश में चुर्क में, मिर्जापुर की सिमेंट फैक्टरी में एक स्थाई कैम्प चल रहा है और उसमें इस समय करीब ८०० बन्दी कार्य करते हैं और २ रुपया १२ नये पैसे के हिसाब से उनको मजदूरी मिलती है। इस २ रुपये १२ नये पैसे में से १ रुपया २५ नये पैसे वह विभाग को रखरखाव के लिये स्वयं देते हैं और २५ नये पैसे उनको जेब खर्च के लिये दिये जाते हैं। एक दूसरा इसी प्रकार का ओपेन एयर कैम्प नानक सागर में बांध बनाने का काम करता है। अभी इस सदन के कुछ माननीय सदस्य मेरे साथ में नानक सागर के इस कैम्प पर गये थे। विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्य भी मेरे साथ थे। वहां भी करीब ७०० बन्दी काम करते हैं और जैसा हम सबने देखा वह एक प्रकार से बिल्कुल खुले रखे जाते हैं। एक छोटी सी पी० ए० सी० की टुकड़ी है जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कैम्प के बाहर रहती है। उनके सोने का स्थान खुला होता है और वे स्वयं अपने भोजन का प्रबन्ध करते हैं। उनको भी काफी अच्छी मजदूरी मिलती है और मजदूरी के साथ-साथ वे कुछ रुपया भी बचा लेते हैं। उन लोगों को नानक सागर में २,९५,८४९ रुपया मजदूरी मिली और उन्होंने १,४९,५०३ रुपया ६२ नये पैसे विभाग को अपने रखरखाव के लिये दिये। यह आंकड़े जनवरी और अक्तूबर के बीच के हैं। इसी प्रकार का एक दूसरा कैंप जो एक शाखा नहर का निर्माण कर रहा है घुरमी-मारकन्डी में चल रहा है। इसमें ६०० बन्दी काम करते हैं और इन लोगों ने ४,८९,५७५ रुपया कमाया और सरकार को २,५३,५३९ रुपया दिया। एक दूसरा इसी प्रकार का केन्द्र मझोला में चलता है जिसमें कम संख्या में कैदी काम करते हैं।

श्रीमन्, १९५५ से हम लोगों ने एक दूसरा नया परीक्षण भी प्रारम्भ किया था और वह परीक्षण इस प्रकार का था कि कुछ चुने हुये लम्बी अवधि के कैदियों को हम लोगों ने तराई फार्म पर कार्य करने के लिये भेजा। ५० कैदी भेजे और प्रति वर्ष हम इस संख्या में कैदियों को भेजते हैं। यह लोग प्रायः बिलकुल खुले रहते हैं और एक वर्ष तक यह कार्य करते हैं। शुरू में जब हमने उनको भेजा तो तराई फार्म के लोगों ने इस प्रदेश के इन कैदियों की बड़ी प्रशंसा की और उन्होंने बताया कि आमतौर पर इन का काम मामूली मजदूरों से ज्यादा अच्छा होता है। हमने इन कैदियों को एक वर्ष के बाद में रेमिशन देकर छोड़ा। इसी प्रकार हम प्रति वर्ष ५० कैदी वहां भेजते हैं। कुछ हमने इसमें और भी प्रगतियां की हैं, कुछ थोड़े से नये परीक्षण भी किये। आमतौर पर इन कैदियों को कुछ अलग रखने की चेष्टा की गयी थी, बस्तियों से अलग रहें। कुछ यह खयाल हुआ कि शायद यह बन्दी बस्तियों के निकट रहें तो कठिनाई पड़ सकती है। लेकिन अब कि बार हमारा एक और परीक्षण सफल हुआ। बस्तियों के निकट तो इन कैदियों को रखा ही जाता है, लेकिन दूसरे प्रकार के मजदूरों के साथ उनको कार्य करने की स्वतंत्रता मिली। श्रीमन्, स्त्री मजदूरों के साथ भी उनको कार्य करने की स्वतंत्रता दी गयी और मैं इस सब के संबंध में सदन से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जेल को फांद कर भागने के कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, कुछ काफी संख्या है, किन्तु कई बार ऐसा हुआ कि भागे और भाग कर आकर स्वयं यहां जो प्रान्तीय कारागार निरीक्षक हैं उनके सामने उपस्थित हुये और उन कैदियों ने उन्हें कारण बतलाया कि हम इसलिये भागे थे और हम को आप फिर भेज दीजिये। इस प्रकार की भी घटनायें हुईं।

कुछ और भी नये परीक्षण इस प्रदेश में हो रहे हैं। जैसे एक, परीक्षण इस प्रकार का भी हुआ कि हमने स्थान-स्थान से बन्दियों को फसल काटने के लिये उनके घरों को भेजा। फसल काटकर सब बन्दी लौट कर वापिस आये। यही नहीं स्थान-स्थान पर बन्दियों को केवल फसल काटने के लिये ही नहीं बल्कि वैसे भी भेजा जिससे उनके पारिवारिक सम्बन्ध अच्छे रहें और परिवार में जिस प्रकार साधारण नागरिक रहते हैं उसी प्रकार से रह सकें। यह जो १९५८ में हमारे यहां नया सुधार हुआ कि हमने वैधानिक रूप से तय किया कि आज बन्दियों को करेक्शनल ट्रीटमेन्ट दिया जाय उस दिशा में यह महान कार्य इस प्रदेश में हुआ है। मैं इसके सम्बन्ध में एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि इस प्रकार का परीक्षण, एशिया और भारतवर्ष की बात नहीं कहता प्रायः सारे संसार में और कहीं नहीं है। इसमें मैं अब अपनी प्रसन्नता व्यक्त किये बिना नहीं रहूंगा कि इसमें यह प्रदेश सफल हुआ है और इसको हम और भी आगे ले जाना चाहते हैं। स्थान-स्थान पर हमने कैन्टीन का प्रबन्ध किया है। जो २५ नये पैसे कैदियों को मिलते हैं प्रति दिन उनकी जेब खर्च के लिये उसमें से वे कोई चीज खरीद सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो प्रति दिन की आवश्यकता की होती हैं वह तो होती ही हैं और उनके अलावा पका हुआ भोजन भी प्रायः देने की चेष्टा करते हैं कैन्टीन्स के द्वारा और एक स्थान पर नानक सागर में, मेरे मित्रों को भी स्मरण होगा जो कि मेरे साथ वहां पर गये थे कि एक दुग्धशाला (कोआपरेटिव डेरी) इन कैन्टीन्स के अन्तर्गत चलती है उससे लोगों को दूध और दूध की बनी हुई सामग्री भी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा हमने यह भी कोशिश की है स्थान-स्थान पर कि ऐसी मानवीय सुविधायें प्रदान की जांय जिनके द्वारा, वह व्यक्ति जिस के मन पर अपराध की छाया है और उस छाया में वह अपने को नीच और

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

हेय समझता है, वह समझ सके कि मानव समाज आज हमको हेय नहीं समझता है और समाज हमको दोबारा ग्रहण करने के लिये सचेष्ट है । तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया उनके मन और मानस पर पड़ सके इसकी चेष्टा हमने इन ओपेन ऐयर कैम्प्स के द्वारा की है ।

श्रीमन्, इस दिशा में एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया और वह प्रोबेशन स्कीम है । इस स्कीम के दो रूप हैं । इस सम्बन्ध में सन् १९५५ में एक कमेटी "एडवाइजरी कमेटी आन आफटर केयर प्रोग्राम" स्थापित हुई थी यानी बन्दी के छूटने के बाद उसके सम्बन्ध में हम क्या करें, उनको किस प्रकार से सुविधा दे सकें समाज में सम्माननीय जीवन बिताने के लिये । इसके लिये एक सलाहकार समिति बनाई गई थी । उस समिति ने हम लोगों को बताया कि उन्होंने ६९ जेलों का सर्वेक्षण किया और उन जेलों में उन्होंने पाया कि उन जेलों के कुल १,१७,१०७ बन्दियों में से ७८,७५९ बन्दी ऐसे थे जिनकी तीन महीने से कम की सजा हुई थी । यानी एक बहुत बड़ा परसेन्टेज ६२, ६४ का ऐसा आया जिनकी तीन मास से कम की सजा हुई थी । तो मेरा ऐसा विश्वास है कि बन्दी यदि बराबर जेल में जाय, या उस वातावरण में रखा जाय और मनोवैज्ञानिक रूप से उसको हेय बनाने की चेष्टा की जाय तो वह निरन्तर अपराधी बनता चला जाता है ।

इस के साथ ही साथ, प्रोबेशन स्कीम की बात बहुत पुरानी भी नहीं है । करीब १९ वीं शताब्दी से यह चीज शुरू हुई । शुरू-शुरू में एक सज्जन के मस्तिष्क में यह विचार आया कि कैदियों को मनुष्य और समाज के संसर्ग में लाया जाय तो शायद यह अच्छे बन सकते हैं । इस बारे में अमेरिका में एक निर्णय भी हुआ कि यह जो नित्यप्रति समाज मूर्खता करता है कि बहुत अधिक धन इन अपराधियों पर खर्च करता है और फिर उनको गम्भीर अपराधी बनाता है, हार्डन्ड क्रिमिनल बनाता है, इसके स्थान पर यदि समाज उनका पुरःस्थापन किया जाय और उन्हें सम्मानित बनाने की चेष्टा की जाय तो अच्छा होगा । इन्हीं भावों से प्रेरित होकर प्रोबेशन स्कीम संसार के सामने आई । हमारे प्रदेश में यह कार्य बहुत काफी अच्छा चल रहा है और इस समय हमारे यहां १८ जिलों में यह कार्य हो रहा है, जो आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, देहरादून, फैजाबाद, मेरठ, झांसी, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, जालौन, गाजीपुर, कानपुर, गोरखपुर, और लखनऊ हैं । इनमें हमारे प्रोबेशन अफसर हैं जो बन्दियों को अपने संरक्षण में रखते हैं इन सभी जिलों में इस समय ३,००० बन्दी हैं । प्रोबेशन अफसर उनकी देखभाल करते हैं जिससे वे दोबारा अपराध में प्रवृत्त न हो जावें । वे यह भी कोशिश करते हैं कि समाज में ये बन्दी सम्मानित बनें और वे आनरेरी अपराध निरोधकों को, जो कि प्रत्येक जिले में होते हैं, प्रोबेशन पर छूटने वालों के सम्बन्ध में सचेत करते रहें और उनके लिये भी जो किसी अपराध में कैद काटकर बन्दी गृह से छूटे हों । कई जिलों में आनरेरी अपराध निरोधकों की संख्या काफी है । हमारे इस वर्ष के आय-व्ययक लेखे में नया प्राविधान किया गया है कि Establishment of a settlement for habitual offenders. जो ग्रान्ट नम्बर १७ के नीचे ही है। फर्स्ट आफेंडर्स के अतिरिक्त दूसरे कैदी जिन्हें जेल की भाषा में "दोबारा" कहते हैं, जो कि आदतन अपराध करते हैं, उनके लिये एक नयी कालोनी की स्थापना का भी प्राविधान किया गया है । प्रोबेशन स्कीम को, जिसमें ३,००० बन्दी छूटे हुये हैं, ३ और जिलों में लागू करने की बातें है ।

प्रोबेशन स्कीम के दो पहलू हैं । एक तो हम बन्दी को कैदखाने में न भेजें, मानसिक रूप से उसे न गिरावें और समाज के उसे निकट रखें और सम्मानित जीवन व्यतीत करने का उसे अवसर प्रदान करें । इसका दूसरा पहलू आर्थिक है । आज तक के आंकड़ों से जो बन्दी बन्दीगृह में रखे जाते हैं उनके ऊपर प्रति वर्ष करीब ३३० रुपये खर्च होते हैं । प्रोबेशन स्कीम के अन्तर्गत ३३० रुपये खर्च नहीं होते बल्कि केवल १३५ रुपये होते हैं जो सारे खर्चे के सहित है जिसमें प्रोबेशन अफसर और उनका कार्यालय और सभी खर्च सम्मिलित हैं । यदि यह सदन चाहेगा तो मैं वे आंकड़े भी पेश करूंगा जो कि हमने कई लाख रुपये कि बचत की है ।

हाल ही में हमारे यहां इंटैंसिव प्रोबेशन स्कीम भी चली है । इसमें और उसमें केवल अन्तर इतना ही है कि इसमें २४ वर्ष तक के अपराधियों की और उसके बाद में भी बहुत बड़ी संख्या

में इन स्थानों में जहां यह स्कीम चल रही हैं और जो कानपुर, मेरठ और इलाहाबाद हैं, कई प्रोबेशन अफसरों की स्थापना करके, इनकी देखभाल का प्रयास किया जाता है । जहां-जहां इंटेंसिव प्रोबेशन स्कीमें कायम हैं वहां पर अभी तक कुछ हमारा अनुभव ऐसा है कि जो अपराधी अपराध करके जेल के बाहर आया है---हालांकि निश्चित आंकड़े मैं आज नहीं दे सकूंगा--यह बात निश्चित है कि जिन अपराधियों को हमने बन्दीगृह में रखा है और उसके बाद छोड़ा है वे दोबारा वापिस आये हैं और वे आदतन अपराधी बन गये हैं । किन्तु वे प्रोबेशनर्स जो इंटेंसिव प्रोबेशन स्कीम में आते हैं वे सुधरे हैं और आमतौर पर वे दोबारा अपराध करके वापिस नहीं आये हैं । हमने नये बजट में इसका भी प्राविधान किया है कि इंटेंसिव प्रोबेशन स्कीम एक और जिले में लागू की जाय ।

जेल के उद्योग-धंधों सम्बन्धी कुछ चीजें हैं । जैसा आप सभी सदस्य जानते होंगे, जेलों में काफी अच्छा उद्योगों का काम होता है । जैसे निवाड़ बनाना, रस्सी बनाना, कुछ फर्नीचर बनाना या सूत-पट्टी और पटसन की टाट-पट्टी और थैले आदि बनाना । आमतौर से ये चीजें बाहर भी जाती हैं गलीचे और कुछ दूसरी किस्म की चीजें एक प्रकार से जितनी अच्छी जेल में बनती हैं उतनी आमतौर पर नहीं बनती हैं । मेरा खयाल है कि इस संबंध में सदन में दो मत न हों कि जेल की बनी हुई यह सामग्री आमतौर पर काफी चलने वाली भी होती है । जैसा कि माननीय सदस्य इस बजट साहित्य से देखेंगे, कुछ कच्ची सामग्री का मूल्य बढ़ गया है हमारे सामन दो प्रश्न थे । एक तो यह कच्ची सामग्री के स्टैंडर्ड को कम कर दें, जिस सूत को हम प्रयोग करते हैं उस सूत के स्थान पर कुछ नीचे किस्म का सूत इस्तेमाल करें, जिस लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं, उससे नीचे किस्म का लकड़ी का प्रयोग करें या और भी जो कच्ची चीजें उसके काम में लायी जाती हैं उनके स्थान पर नीचे किस्म की चीजें काम में लायें अथवा जो रंग हम काम में लाते हैं उससे कुछ हल्के किस्म के रंग काम में लाते । श्रीमन्, इस सदन को मैं यह सूचित कर देना चाहता हूं कि हम लोगों ने बिल्कुल इसके विपरीत यह तय किया जो कुछ चीजों का स्टैंडर्ड आज तक रखा गया है और उनके बनाने में जिस प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, उसी को कायम रखा जाय । जिससे आगे भी जो जेल की सामग्री आये उसमें किसी प्रकार की गिरावट न होने पाये ।

कुछ नयी चीजें भी शुरू की गयी हैं । उनमें से एक अम्बर चर्खे का जिक्र मैं करना चाहता हूं । अम्बर चरखा हमारे यहां वाराणसी, नैनी और फतेहगढ़ केन्द्रीय कार्यालयों और जिला जेल मेरठ में चलता था लेकिन अब बरेली और आगरा की केन्द्रीय जेलों और जिला जेल सीतापुर और लखनऊ में भी चालू कर दिया गया है । इतना ही नहीं मेरठ में तो अम्बर विद्यालय की स्थापना भी कर दी गयी है । इसमें अम्बर चर्खे के सम्बन्ध में प्रशिक्षण की व्यवस्था है । यदि मुझे ठीक स्मरण है तो हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने उसका उद्घाटन भी किया था । अम्बर चर्खे के सम्बन्ध में अक्सर चर्चा हुई है और लोगों का यह खयाल है कि जितनी बातें उसके सम्बन्ध में कही जाती हैं, उतनी बात उसमें है नहीं । लेकिन यह जो प्रयोग इन बन्दीगृहों में हो रहा है, उन पर से मैं इतना कह सकता हूं कि जो कुछ कहा जाता है कदाचित् उससे अधिक लाभदायक वे सिद्ध हुये हैं । जो बन्दी अम्बर चर्खे के काम में लगे हुये हैं वे अच्छा सूत कातते हैं और आमतौर पर जो कपड़ा बनता है उससे अच्छा कपड़ा वे बनाते हैं । यही वजह है कि उनको काफी अधिक मजदूरी पहले के मुकाबले में मिली है । अम्बर के अतिरिक्त हाल ही में पेंसिलें कांच के गुटके और कैलिको प्रिन्टिग तथा रेशम के कीड़ों का कारबार भी शुरू किया गया है । इनके द्वारा हमारा यह ध्येय रहता है कि बन्दियों का नया प्रशिक्षण हम कर सकें और जब वे बाहर निकलें तो जीविका अर्जन के काबिल हो जांय ।

जेलों में उद्योग चलाये जाते हैं उनका उद्देश्य केवल रुपया कमाना नहीं है । मैं समझता हूं शायद माननीय सदस्य उस संबंध में कोई चर्चा भी चलायें कि जेल के उद्योगों के जरिये से हमें कितनी आमदनी होती है । उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि जेल को उनसे जो आमदनी होती है कदाचित् खर्चा उससे कुछ अधिक ही होता हो । इसका कारण यही है कि उसका काम-

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

शियल बेसिस उतना नहीं है जितना कि प्रशिक्षण बेसिस है । क्योंकि उसके द्वारा तो हम यही चाहते हैं कि लोगों को हम इस योग्य बना सकें ताकि भविष्य में वे अपनी जीविका कमा सकें । इसलिये जेल की सामग्री और उसके स्टैंडर्ड के संबंध में मैंने चर्चा की । एक दो बहुत बड़े उद्योग हमारे प्रदेश की जेलों में और चलाये गये हैं । उन्नाव जेल में करीब १५० सिलाई की मशीनें काम करती हैं । जाहिर बात है कि उसके दो रूप हैं । एक तो यह है ही कि वे सिलाई करती हैं और शायद इस सदन को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि प्रायः सभी विभागों के कपड़े वे सीतो हैं । मुझे खुद अचम्भा हुआ जब मुझे यह पता चला और शायद इस सदन को भी इस पर अचम्भा हो कि १० आने में कोट और ६ आने में पतलून सिये जाते हैं । और ये १० आने में कोट और ६ आने में जो पतलून सिये जाते हैं उनमें भी प्रायः सभी विभाग के कपड़े, जिसमें पुलिस भी है, सिये जाते हैं और प्रायः सभी विभागों के कार्य हमको मिलते हैं । इस तरह से करीब ४ सवा ४ लाख रुपये के कार्य इस पिछले वर्ष मिले । इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो कार्य हम लोगों ने उस सम्बन्ध में किये उसके बारे में कुछ शिकायत नहीं बल्कि हमें प्रशंसा ही मिली और इस ५९–६० के नये बजट में जो मैं यहां उपस्थित कर रहा हूं, कुछ रकम रखी गयी है । और जेलों में भी कुछ मशीनें हैं जहां पर लोगों को टेलरिंग का कार्य सिखाया जायगा और वे कार्य भी करेंगे । अब की बार मैं इस सदन में दोबारा निवेदन करूं कि यह कोई कमर्शियल बेसिस नहीं है बल्कि हमारा मतलब यही है कि लोगों को काम सिखलाया जाय । इसके अलावा अर्से से हम देख रहे हैं कि सिलाई की मशीनों पर काफी खर्चा होता है टूट फूट की वजह से और टूट फूट को ठीक कराने में देर भी बहुत लगती है तथा कभी-कभी पुर्जे भी हमको नहीं मिल पाते और ऐसा होने लगता है कि कई-कई मर्तबा हमारी मशीनें बहुत दिनों तक बेकार पड़ी रहती हैं ।

श्रीमन्, अब की बार हमने एक नया कार्य किया है जिसका जिक्र इस बजट साहित्य में विस्तृत रूप से है । वह नया कार्य यह है कि इन मशीनों के सम्बन्ध में उन्नाव जेल में हमने एक कारखाने की स्थापना की है जिसमें कि इन मशीनों को ठीक किया जा सके । इसका दूसरा रूप तो है ही कि उसमें बन्दियों को मशीनों के सम्बन्ध में और मशीनों के पुर्जे बनाने के सम्बन्ध में और दूसरे कार्य के लिये प्रशिक्षण दिये जायेंगे जिससे कि वे पुर्जे बना सकें और मशीनों को ठीक कर सकें । बजट में इसका भी प्राविधान किया गया है और वह मांग इसलिये की गयी है जिससे कि वे मशीनें जेल में ही ठीक की जा सकें और समय पर उनसे दोबारा काम लिया जा सके ।

श्रीमन्, इसी प्रकार एक टेंट फैक्टरी फतेहगढ़ जेल में काम कर रही हैं जिसमें टेंट्स बनाने का कार्य होता है । इस वर्ष करीब ४ लाख रुपये के आर्डर हमको टेंट्स बनाने के मिले और हमने उन सारे आर्डर्स का भुगतान किया ।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में कुछ वर्ष पहले एक अधिनियम बना जिसको यू० पी० चिल्डरेन ऐक्ट कहते हैं । उसकी आधारशिला यह है कि हमारे समाज की भावी संतति जो हमारे समाज के बच्चे हैं, अगर इसका प्रबन्ध पहले ही से किया जाय तो निश्चय है कि मनुष्य में अपराध की प्रवृत्ति ही न पनप सके । सिद्धान्ततः बात ठीक है कि स्कूलों में बच्चे जाते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई डाइवर्जन नहीं होता जिसके द्वारा वे अपने जीवन को सम्पूर्ण जीवन बना सकें । पढ़ना हो सकता है, भोजन हो सकता है लेकिन उनकी प्रवृत्तियां कुछ अच्छे कार्यों की ओर जा सकें इस प्रकार का डाइवर्जन उनके जीवन में नहीं होता । प्रारम्भ में हम लोगों के सामने २–३ चीजें हैं । मुझे यह स्वीकार करने में ज्यादा हिचक नहीं होगी कि जितनी शीघ्रता से हम उस अधिनियम की धाराओं को अपने प्रदेश में लागू करना चाहते हैं उतनी शीघ्रता से हम धनाभाव के कारण कार्य कर नहीं सके । उसमें स्पष्ट बातें हैं । शुरू में बाल सेवा समितियां बनें, बाल समितियों की स्थापना की जाय । बच्चों के अभिभावक और स्वयं बच्चे, उनके स्वयं के निरीक्षक उनकी देखभाल का कार्य अपने ऊपर लें । लेकिन किसी बच्चे के सम्बन्ध में अधिकारीगण को ऐसा पता चले कि यह बच्चा गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसका पता उस बच्चे को न लग पाये बल्कि उसके अभिभावक को चुपचाप उसके सम्बन्ध में कहा जाय और उनसे उस बच्चे को ठीक रास्ते पर लाने को

कहा जाय ताकि उस बच्चे के साथ वे कुछ मनोवैज्ञानिक ढंग से सुधार के लिये कार्य कर सकें । बातचीत के द्वारा, पारिवारिक स्थितियों को जान कर कि किस प्रकार गलत प्रवृत्तियों का उसमें आविर्भाव हुआ—इन बातों को जानकर उस बच्चे को अच्छे कार्य की ओर ले जाने की चेष्टा करें ।

फिर एक दूसरा स्टेज आता है जबकि ऐसा होता है कि बच्चे के अभिभावक उस पर ध्यान नहीं देते । अगर कोई उनके पास जाता है तो वे उसके सुधार के लिये राजी नहीं होते और बच्चे को मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट देने के लिये राजी नहीं होते। उसके लिये स्थापना करनी पड़ेगी जुविनाइल कोर्ट्स की और उनके जरिये सुधार का कार्य होगा लेकिन उनके कुछ अधिकार होंगे । वह कार्य होगा कि बच्चे को बुला कर मजबूर कर सकें और बच्चों के लिये इस प्रकार के सुधार का कुछ प्रबन्ध कर सकें । उसके बाद में फिर कुछ होम्स की आवश्यकता पड़ेगी । यदि बच्चे न सुधरें तो फिर उन होम्स में रख कर सुधारने की चेष्टा की जाय ।

मैंने अर्ज किया कि यह जो चिल्ड्रेन ऐक्ट है इसे पूरे तौर पर हम इस प्रदेश में लागू नहीं कर पाते हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हम सचमुच उसे लागू करना चाहते हैं। सरकार के सामने यह मसला है । वाराणसी तथा आगरा में कई स्थानों पर रिफार्मेशन आफिसर्स की नियुक्ति हुई है । इस वक्त तक इन लोगों ने ६१ महिला बाल सेवा समितियों की स्थापना की है। इन ६१ बाल सेवा समितियों के अन्तर्गत ३९ क्रीड़ा एवं निरीक्षण केन्द्रों की भी स्थापना की गयी है। इन सेवा समितियों के सभापतियों और मंत्रियों की एक बैठक वाराणसी में हुई और मुझसे पहले इस विभाग के मंत्री महोदय श्री मुजफ्फर हसन साहब ने उस बैठक का सभापतित्व किया और उसमें कुछ निर्णय लिये गये और उनमें से एक निर्णय यह भी था कि चिल्ड्रेन ऐक्ट क मातहत जो कार्य किया जा सकना आवश्यक है वह किया जाना चाहिये ।

जहां तक जुविनाइल कोर्ट्स का ताल्लुक है इस वर्ष भी हमारी इच्छा यह थी कि हम इस चिल्ड्रेन ऐक्ट के मातहत कुछ आगे कार्य कर सकें। सही बात है लेकिन धनाभाव हमारे रास्ते में विकराल रूप से खड़ा ह । एक कठिनाई और भी पड़ती ह और वह कठिनाई तब पड़ती है जबकि हमको प्लान्ड इकोनॉमी के अन्तर्गत काम करना पड़ता है। लेकिन मैं अपन मित्रों को सूचित करना चाहता हूं कि हम लोगों ने विचार किया है कि चिल्ड्रेन्स ऐक्ट को और जिलों में भी चलायें जहां तक सम्भव हो सके....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं व्यवस्था चाहता हूं, श्रीमन्। आज दो विषय हैं और एक विषय को आधा दिन ही मिलने वाला है । क्या मंत्री जी का इतना लम्बा भाषण करना आवश्यक होगा कि और सदस्य बोल ही न सकें ?

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह तो आपने निवेदन किया । आशा है मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे । मैं भी आपका साथ दे रहा हूं इस निवेदन में । चूंकि सवा दो बजे तक इसको समाप्त होना है इसलिये जितनी जल्दी समाप्त करें अच्छा है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं यह कह रहा था कि चिल्ड्रेन्स ऐक्ट के अन्तर्गत कुछ नये कार्य करने की योजना है इसके लिये जुवेनाइल कोर्ट्स की स्थापना का प्रश्न है । हमने विचार किया है कि बजाय इसके कि धन खर्च करके जुवेनाइल कोर्ट्स की स्थापना हो हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि कुछ कोर्ट्स को इस प्रकार का आनरेरी कार्य करना आवश्यक समझेंगे । मैं समझता हूं आनरेरी जुवेनाइल कोर्ट्स हो सकते हैं। इसके सम्बन्ध में विचार हो रहा है और मेरा खयाल है शीघ्र ही इस पर कोई निर्णय होगा।

अब दो-तीन चीजों का और जिक्र कर देना चाहता हूं । बजट की तीसरी पुस्तक में उनका विस्तृत विवरण है इसलिये उनके सम्बन्ध में अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझता । जो हमारे यहां अन्य कार्य हैं जिन पर इस साहित्य में रुपया रखा गया है उनमें कुछ कार्य बहुत आवश्यक हैं जिनमें से केवल ३, ४ कार्यों का जिक्र कर देना चाहता हूं ।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

नानक सागर में और चुर्क में जो कैदी काम करते हैं उनको जूतों की व्यवस्था करना है जिसका आधा सरकार देगी और आधा बंदी अपनी कमाई में से देंगे। कुछ जलें हमारे यहां ऐसी हैं जिनमें पानी की बराबर कमी रहती है उनके लिये कुओं की बोरिंग और पम्पिंग सेट्स की व्यवस्था भी इसमें की गई है। बन्दियों की चिकित्सा के सम्बन्ध में, जैसे कुछ जेलें ऐसी हैं जिनमें बिजली है तो जिन बन्दियों को अस्पताल में रहना पड़ता है उनके लिये बिजली के पंखों की भी व्यवस्था इस साल की गई है। इसके अलावा जैसा मैंने अभी जिक्र किया एक चीज हम लोगों के मस्तिष्क में रही हैं। सुल्तान पुर में टी० बी० के मरीजों के लिये कन्सेन्ट्रेशन जेल है उसमें कम बन्दियों के रहने की व्यवस्था है। तो क्षय रोग से पीड़ित जितने भी बन्दी हैं उन सब को इस जेल में ले जायं इसके लिये हमने इस साल १,००,००० रु० की व्यवस्था की है जिससे सुल्तानपुर की इस जेल में कुछ अन्य स्थान और बनाये जा सकें।

इसी प्रकार से नये किस्म के शौचालय हैं, बरेली में यह भी बनाये जा रहे हैं। कई स्थानों पर जेलों में बैरकें कच्ची रही हैं इसके लिये १३२ छतों के पुनर्निर्माण की व्यवस्था थी जिसमें से पहले ६६ छतों का पुनर्निर्माण हो चुका है और १३ इस साल होंगी। तो श्रीमन्, मैंने सदन के सामने जो मांग रखी है उसमें माननीय सदस्य देखेंगे कि जेल की प्रगति का इतिहास अंकित है और जिस प्रकार की जेल व्यवस्था हम भविष्य के लिये रखना चाहते हैं उसकी भी रूपरेखा इसमें दी गई है। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---इस अनुदान के लिये अब २ घंटा ५ मिनट का समय रहता है और उसके बाद दूसरा अनुदान आ जायगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये कोई समय की सीमा रहेगी ? मेरे खयाल से तो ७ मिनट तो आमतौर पर माननीय सदस्य लें और किसी के विशेष निवेदन पर उनका समय १० मिनट तक भी कर दिया जायगा और कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य को १५ मिनट दिये जायं। यदि कोई और सुझाव हो तो माननीय सदस्य बता दें।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---दोनों अनुदान एक साथ ले लिये जायं और सारा दिन उन पर बहस चले।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो आप ने बहुत देर में सोचा। उसका तो निश्चय हो चुका। बस अब यह निश्चय रहा कि ७ मिनट आमतौर पर सदस्यों को दिये जायंगे और १५ मिनट प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य को दिये जायंगे।

***श्री गजेन्द्रसिंह** (जिला इटावा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी के प्रस्ताव में, कि अनुदान संख्या १७---जल---लेखा शीर्षकः २८---जेल के अन्तर्गत १,६५,६७,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय, कटौती का प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है, जेल में कैदियों के साथ बर्ताव में सुधार की आवश्यकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान में हमें बताया कि जेल में कैदियों के भेजने का लक्ष्य उनका सुधार है, यह ठीक है और होना भी चाहिये लेकिन इस के साथ-साथ उन्होंने जो बातें प्रोबेशन स्कीम के बारे में बतायीं उनमें बताया कि हमने उस खर्च में ढाई लाख रुपए की कमी की है। परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि प्रोबेशन स्टाफ पर जो व्यय हो रहा है और जितने कैदियों पर जिस तरह से व्यय हो रहा है वह बहुत अधिक है और टैक्स पेयर पर काफी बर्डन है, यह हल्का होना चाहिये। क्योंकि इसी साल में २,४०,७०० रुपया व्यय हुआ है और जब कि कैदियों की तादाद २,९८५ है। मेरी समझ से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर इन प्रोबेशन आफिसरों की जगह यह काम जिलाधीश या दूसरे अधिकारियों को दे दिया जाय और उनके द्वारा ये कैदी छोड़े जायं और इस तरह की संस्थाओं की देखरेख में दे दिये जायं जैसे कृषि के फार्म्स हैं, टेक्निकल कालेज वगैरा के अधिकारी हैं ऐसे लोगों के नियंत्रण में उनको दे दिया जाय तो इन प्रोबेशन आफिसरों के रखने की आवश्यकता न होगी और इस तरह से टेक्सपेयर का बोझ हल्का हो सकता है ।

इसके साथ-साथ डायरेक्टर जेल इंडस्ट्री का महकमा भी टेक्सपेयर पर एक भार ही है। इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर जिले में अब उद्योग-समितियां बन चुकी हैं और उद्योग आफिसर्स मुकर्रर हैं, अगर वही इस काम को करें तो यह बोझ भी टेक्सपेयर से हट सकता है । इसलिये डायरेक्टर जेल उद्योग की भी आवश्यकता नहीं है । इसके साथ ही साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछूंगा कि जहां तक हमारी इनफार्मेशन का सम्बन्ध है—आज-कल जो डायरेक्टर आफ जेल इंडस्ट्रीज हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं ? जहां तक मुझे पता चला है वह हाई स्कूल भी पास नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को शायद नये नियमों का पता नहीं है । इसमें जो आपने कटौती पेश करने का उद्देश्य बतलाया है वह है जेल में कैदियों के साथ बर्ताव में सुधार की आवश्यकता, तो इस विषय में सरकार की क्या नीति होनी चाहिए यही आपकी कटौती का विषय होना चाहिए । आपने आम वाद-विवाद प्रारम्भ कर दिया ।

श्री गजेन्द्रसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने उद्योग, इंडस्ट्री का जिक्र किया था तो क्या मैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकूंगा ?

श्री उपाध्यक्ष—खैर, आप भविष्य में ध्यान रखें । नये नियमों के अनुसार कटौती में जो स्पेसिफिक विषय बयान किया गया हो उसमें ही वाद-विवाद करने की इजाजत दी जायगी ।

श्री गजेन्द्रसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह खर्चा बचाया जा सकता है और इसमें तो ग्रेजुएट पोस्ट है और वह टेक्नीकल हैंड भी नहीं हैं । मैं समझता हूं कि यह कुनबा परवरी है और वह पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भी कम्पटीशन में नहीं बैठे हैं ।

इसके अलावा जो जेलर और असिस्टेंट जेलर की दो पोस्ट जेलों में हैं उनमें एक ही क्वालिफिकेशन के आदमी आते हैं और एक ही काम है । डिप्टी जेलर्स का वेतन १२०-८-२०० तक है जबकि असिस्टेंट का १२० रु० ही है । दोनों का काम भी एक है, क्वालिफिकेशन भी एक हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें भी कमी की जा सकती है और केवल असिस्टेंट जेलर से ही काम चलाया जा सकता है । इससे पैसे की भी बचत हो सकती है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैदियों के सुधार के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने खास तौर से ओपेन एयर कैम्प की चर्चा की । ओपेन एयर कैम्प मैंने देखा है, लेकिन जब देखने जाते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं । देखने में बहुत सी चीजें अच्छी मालूम होती हैं । जब कोई जेल देखने, विजिट करने जाता है तो क्या परिस्थिति होती है और जब जेल में रहने जाता है तो क्या देखता है, इसका अनुभव तभी हो सकता है जब दोनों अनुभव एक ही आदमी को हों । मुझे जेल में रहने का मौका मिला है—अंग्रेजों की जेल में भी और मंत्री जी की जेलों में भी जिनकी तारीफ उन्होंने बड़े फख्र के साथ की । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तविक अनुभव तो जेल में जाने से ही होता है । जब हम जेल विजिट करने जाते हैं तो अच्छा काम दिखला दिया जाता है कि तेल मिकदार में दिया जाता है, अच्छा खाना दिया जाता है, सफाई भी होती है, कपड़े साफ होते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है ? जेल में जो लोग

[श्री गजेन्द्रसिंह]

रहते हैं वही इसको अच्छी तरह से बता सकते हैं। आज वहां पैसा तो बर्बाद हो रहा है मगर उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। अगर वहां की वास्तविक स्थिति का ज्ञान करना हो तो छोटा-मोटा अपराध करके जेल में चले जायं तो पता चल जायगा कि क्या स्थिति है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है।

नानक सागर और चुर्क के पास की फैक्टरी में जो कैदी काम करते हैं उनके लिए जो जूते की व्यवस्था की है उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि इतना ध्यान रहे कि वे जूते पैर में ही रहें, सर पर न चलें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेल से पैरोल पर छूटने की जो व्यवस्था है वह नाकाफी है और उससे जहां तक फायदा कैदियों को होना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। कैदी कोई बीमार होता है, या मरी, मौत या शादी वगैरह में जाना है उसकी दरख्वास्त दी जाती है, जिले से आती है फिर बोर्ड बैठता है तब कहीं पैरोल दिया जाता है। इसमें बहुत देर लगती है और जो उससे हित होना चाहिये वह नहीं हो पाता है। मेरा अपना निजी अनुभव है कि बृटिश काल में जब मैं जेल में बन्द था तो मेरी स्त्री सख्त बीमार थीं। मैंने पैरोल के लिये दरख्वास्त दी, उसमें बहुत देर लगी, मैं पहुंच भी नहीं पाया और वे मर गयीं। इसके लिये मैं सुझाव दूंगा कि जिला स्तर पर ही कमेटियां बनायी जायं, जिसमें जिलाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज हों और ४–५ नान-आफिशल लोग हों। वे वास्तव में कैदियों की जरूरियात को जान सकते हैं जिससे वे समय पर छोड़े जा सकते हैं।

जहां तक हवालाती कैदियों का सम्बन्ध है, बहुत से हवालाती कैदी जेल में रहते हैं और कभी-कभी तो ४–५ सौ तक उनकी संख्या पहुंच जाती है, लेकिन उनसे कोई काम नहीं लिया जाता। मेरा सुझाव यह है कि उनसे काम लेना चाहिये और उनके छूटने के वक्त उनके काम का तीन चौथाई पैसा तो उनको दे देना चाहिये और एक चौथाई जेल पर खर्च करना चाहिये। यह राष्ट्र के भी हित में होगा और उनके स्वयं के हित में भी होगा।

जेल इंडस्ट्री के बारे में भी मंत्री जी ने कुछ बातें कहीं। इस दिशा में उन्होंने कुछ बातें की हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिये कच्चा माल वहीं पर मिल सकता है, मिसाल के लिये अरहर के डंठल बेकार चले जाते हैं। उससे डलियां वगैरह बनायी जा सकती हैं जो देहात में भी और बाजारों में भी काफी महंगी बिकती हैं। इसी तरह जो क्षेत्र धानी का है, जहां पर पुवाल काफी होती है वहां वह कागज बनाने के काम में लाया जा सकता है। इसके अलावा जेलों में अगर कृषि के औजारों को, जैसे खुरपी, हंसिया, बाल्टी, आदि जेल में बनवाया जाय तो इससे कैदियों का भी लाभ हो सकता है और राष्ट्र का भी लाभ हो सकता है।

इसके अलावा जेल के अन्दर जो बैरकें बनी हैं वे ब्रिटिश जमाने की बनी हैं और इस बीच में इस ओर कोई कार्य नहीं हुआ है। उस वक्त जो कैपेसिटी कैदियों को जेलों में रखने की थी आज कैदियों की संख्या उससे अधिक बढ़ गयी है और यह संख्या जब राजनीतिक आन्दोलन चलते हैं तो और भी बढ़ जाती है। नतीजा यह होता है कि जिस बैरक की ४०–५० की कैपेसिटी होती है उसमें सौ-सवा सौ कैदी रखे जाते हैं और साधारणतया भी ज्यादा आदमी ही बन्द किये जाते हैं। इसके अलावा उस वक्त के बैरकों की तस्वीर भी भयावह है जो यह साबित नहीं करती कि जो हमारा इरादा है कैदियों का सुधार करने का तो उनमें वे होमली फील करें। लिहाजा इस दिशा में भी सुधार होना चाहिये। अगर हम उनको कोठरियां दे सकें तो अच्छा है और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ढूले की व्यवस्था की जानी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेलों का जो वातावरण है उसको देखते हुये हमारा लक्ष्य तो यह है कि कैदियों का सुधार करें, उनमें अच्छी भावना पैदा करें ताकि वह समाज में अच्छे नागरिकों की तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकें और इस पर हमारी सरकार पैसा खर्च करना चाहती

है, लेकिन जितना फायदा होना चाहिये वह मौजूदा रिजीम में नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण हमारे समाज की गलती है। हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार है उसी का दोष है, लेकिन इसी के साथ-साथ जेल के स्टाफ को भी देखने की आवश्यकता है। अभी भी जेल में उसी तरह से डंडे चलते हैं जैसे कि ब्रिटिश रिजीम में चलते थे। लिहाजा कैदियों को स्वतंत्र वायुमंडल मिले और वह अच्छा वातावरण फील कर सकें इसके लिये आवश्यकता है कि जेल के अधिकारियों का व्यवहार उनके साथ अच्छा और मित्रतापूर्वक होना चाहिये। लेकिन हम देखते हैं कि जेल के अधिकारियों का व्यवहार उस स्तर पर कैदियों को नहीं मिल पाता है जिसमें उनका सुधार हो और विकास हो। लिहाजा इस विषय में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही साथ जेलों में खाद्यान्न तथा कपड़ा वगैरह का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा कैदियों द्वारा ही कराया जाय ताकि बाहर से यह चीजें न मंगानी पड़ें। इसके लिये हर जेल के साथ कृषि फार्म अटैच किया जाय और कृषि फार्म में कैदियों की मैन पावर का फायदा उठाया जा सकता है और कृषि बड़े पैमाने पर की जायगी तो गल्ला भी मिलेगा और कैदियों का भी सुधार होगा और उनको काम करने का मौका मिलेगा।

इसके साथ ही साथ जो साग कैदी पैदा करते हैं वह उनको नहीं मिल पाता है। अच्छे किस्म का साग सुपरिंटेंडेंट या जेल स्टाफ के यहां चला जाता है और उनको सड़ा-गला साग ही खाने को मिलता है। इसलिये इधर ध्यान देने की आवश्यकता है।

[श्री उपाध्यक्ष—आपके भाषण का समय समाप्त हुआ है।

[श्री राजनारायण, संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

श्री उग्रसेन तथा कमी करने का उद्देश्य-नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

श्री चन्द्रजीत यादव जेलों के प्रबन्ध में सुधार की आवश्यकता है।

श्री सूरतचन्द रमोला संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

टिहरी जिला जेल में कताई-बुनाई के कार्यों के संबंध में पर्याप्त ध्यान न दिया जाना।

श्री ब्रजगोपाल सवसेना मद क—जेल की उपमद (ण) बालक अधिनियम (चिल्ड्रेंस ऐक्ट) का कार्यान्वित किया जाना के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट—शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

अल्पवयस्क कैदियों के सुधार के लिये किशोर न्यायालय (Juvenile Courts), Child Guidance Clinics, Remand Homes तथा Approved Schools का अभाव।]

[ ] ये कटौती के प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत नहीं किये गये थे, किन्तु इनको श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार प्रस्तुत किया गया मान लिया गया।

श्री, कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने जो अनुदान सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ मैं कुछ सुझाव भी मंत्री जी की जानकारी के लिये पेश करूंगा। मंत्री जी ने जेल की अच्छाइयों के विषय में अपने भाषण में जिक्र किया है। मुझे अपने राज्य की अन्य जिलों की जेलों का विशेष ज्ञान नहीं है, केवल हरदोई जेल का है। लखनऊ की आदर्श जेल के विषय में अवश्य जानकारी है। वहां जो कार्य कैदियों द्वारा किया जाता है वह वाकई देखने की चीज है और तारीफ करने की चीज है।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने प्रोहिबिशन स्कीम का जिक्र किया है। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हरदोई जिले के लोगों की अन्य जिलों से ज्यादा अपराध करने की मनोवृत्ति है इसलिये इस स्कीम के आधार पर वहां भी प्रोहिबिशन आफिसर रखने की कृपा करें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जेलों में सफाई वगैरह का जो काम होता है इसमें श्रीमन्, मेरी कुछ जानकारी है कि वहां पर जो मेहतर जाति का कैदी होता है उससे टट्टी साफ करने और सफाई करने का काम कराया जाता है। इस तरह से मेहतर जाति का कैदी बजाय इसके कि वहां उसका सुधार हो उसका पतन ही होता रहता है। वह जिस वातावरण से निकला उसी में गिरता चला जाता है। मेरे पास एक मिसाल है। यहां लखनऊ छावनी में लाल कुरती बाजार में रहने वाला बुद्धू मेहतर था। उसको यहां की पुलिस ने रेलवे लाइन के पास पकड़ा। वह इतना सीधा आदमी था कि वह ठीक से बात भी नहीं करना जानता था। दिन के करीब दो बजे पकड़ा। यह गत ४–५ वर्ष का जिक्र है। उसकी गिरफ्तारी दो बजे रात में दिखायी। १०९ में चालान करके जेल भेज दिया। तीन, चार महीने के बाद जब वह जेल से आया, तो श्रीमन्, हरिजनों में जहां बहुत सी कमजोरियां हैं वहां उनमें एक विशेषता है कि वह अपने पंचों और ईश्वर में ज्यादा विश्वास करते हैं। उसकी स्त्री को उसकी सास ने इसलिये नहीं विदा किया कि वह जेल में रह कर आया है। उसका जातीय बहिष्कार भी कर दिया गया था। ऊंची जाति के लोग रोज जेल जाते हैं लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि यह पुलिस अनुदान का विषय है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करने जा रहा था कि इस तरह एसा कुछ पता चलता है कि जेल में जब मेहतरों की कमी हो जाती है, तो इस तरह से ढूंढ़ लिये जाते हैं।

माननीय मंत्री जी ने फर्स्ट आफेंडर्स का जिक्र किया। मेरे पास एक जानकारी है। बिजनौर में एक बेचारा सम्मन वाल्मीकि ७५,८० साल का था उसको किसी तरह सजा करके जेल में रख दिया गया। उसने पहली बार जेल का दरवाजा देखा था। कई बार लिखने पर भी महात्मा गांधी जन्म दिवस पर, २६ जनवरी पर अनेकों कैदी छोड़े गये, लेकिन वह बेचारा आज तक जेल में यातना भोग रहा है।

मैं एक और बात माननीय मंत्री जी की जानकारी लिये कहना चाहता हूं। जो बीड़ी बेचने का तरीका है, गाना और नाच द्वारा इसके द्वारा भी छोटे-छोटे बच्चों पर ज्यादा असर पड़ता है। उससे उनको सिगरेट और बीड़ी पीने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही साथ सिनेमा में आजकल ऐसे गंदे-गंदे गाने गाये जाते हैं वही गाने छोटे-छोटे बच्चे भी गाते चले जाते हैं। ये चीजें अविलम्ब बन्द करनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने बाल क्रीड़ा केन्द्र और बाल सेवा समितियों का जिक्र किया। तो श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि जहां पर मेहतरों की बस्तियां हैं वहां बाल क्रीड़ा केन्द्र और बाल सेवा समितियां जरूर स्थापित की जायं। बाल क्रीड़ा केन्द्रों से, मेहतरों के बच्चे

जिस गंदे वातावरण में रहते हैं, वह सिवा मेहतरगीरी के और कुछ नहीं सोच सकते, यह चीज शनैः-शनैः कम होगी। इसलिये मेहतरों को बस्तियों ही में बाल समितियों द्वारा मेहतर बच्चों के सुधार की बातें, पढ़ने-लिखने की बातें, सिखलायी जा सकती हैं। ज्यादा आसानी के साथ स्कूल में जाकर व पाठशाला में जाकर, मेरी ऐसी जानकारी है कि आज भी मेहतर जाति का बच्चा जहां और दूसरे लड़के टाट पर बैठाये जाते हैं वहां ये अलग बैठाये जाते हैं। माननीय मंत्री जी अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं लिखित रूप से दे सकता हूं। कई कस्बों की मेरे पास रिपोर्ट है जहां अगर दो-चार मेहतर बच्चे कस्बे भर में कहीं कुछ हिन्दी पढ़े-लिखे हैं तो वह ईसाई मिशनरी के द्वारा उनको शिक्षा मिली है।

श्री उपाध्यक्ष––यह तो माननीय सदस्य जान ही चुके हैं कि जितने माननीय सदस्यों ने कटमोशन के प्रस्ताव दिये थे वे सब प्रस्तावित समझे जायेंगे और सब पर वादविवाद हो सकता है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंड़ा)––सिर्फ जिसके प्रस्ताव हैं वही बोल सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष––नहीं, सभी बोल सकेंगे। जिस पर स्पीकर की निगाह पड़ जाय वही बोल सकता है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव जेल के प्रबन्ध में सुधार की आवश्यकता है, के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् यों तो हम जितने भी विरोधी पक्ष के लोग हैं, उनका इस सरकार के जमाने में जेल से संबंध हो ही गया है और विशेष रूप से जो हम सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं इनको साल में औसतन दो बार तो जेल में जाना ही पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष––इतना आकर्षण उसमें अब मालूम पड़ता है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा––श्रीमन्, जो रिपोर्ट हमारे मंत्री महोदय ने दी है और खास तौर से उनके भाषण के बाद तो उस पक्ष के लोगों को भी अब जेल जाने की आकांक्षा होने लगी होगी। इसलिये कि उनके दिल में तो इस बात की भावना हो गई होगी कि जेल अब स्वर्ग सा हो रहा है। मगर मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जेल जो अंग्रेज के जमाने में था उससे ज्यादा आज रौरव नरक हो गया है। हम लोग जेल के अनुभव और सुधार के संबंध की दो-तीन बातें श्रीमन् के द्वारा आदरणीय सदन में रखना चाहते हैं। अंग्रेज के जमाने की तसला-कटोरी, टाट और फट्टा आज भी हमारे इस प्रजातांत्रिक राज्य में उसी तरह से मौजूद हैं और जेल की वह भुजिया, जेल की वह डिब्बू भर दाल, और जेल की वह तनहाई, आज भी उसी तरह से बरकरार है। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूं कि हम लोगों के साथ, पिछले सत्याग्रह में किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है ? अगर उसकी मैं आपके सामने रूप-रेखा रखूं तो शायद आदरणीय सदन का समय ही नष्ट होगा, मगर इतना निवेदन जरूर कर देना चाहूंगा कि खासकर कानपुर, सीतापुर, लखनऊ की जेलों में आज भी हम सोशलिस्ट सत्याग्रहियों को खाने के साथ दाल में कभी चुहिया, कभी बिच्छू, कभी झींगुर और ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिनका अक्सर जिक्र भी हम लोग कर दिया करते थे।

श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करूं कि आजकल श्री संपूर्णानन्द कैम्प की बड़ी चर्चा हो रही है। इस कैम्प का प्रबन्ध क्या है। रिपोर्ट के जरिये से भी आप देखें और यों कैदियों को जो रोजाना भत्ता दिया जाता है वह भत्ता उनको समय पर नहीं मिलता है। कागज के अन्दर जरूर दिखलाया जाता है कि उनको भत्ता मिल रहा है। मगर श्रीमन्, जिस समय वह कैदी छूटता है, कितनों का बकाया रह जाता है, कितनों को समय पर वह भत्ता मिलता है यह हमारे माननीय मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में भी नहीं प्रकाशित किया है। श्रीमन्, जेल के अन्दर आप देखें कि आज हवालातियों से काम लिया जाता है जब कि यह जेल मैन्युअल

[डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा]

के नितान्त विरुद्ध है। हमको नौ इंच की रोटी मिलनी चाहिये। जेल के अन्दर साढ़े सात इंच फर्मे की रोटियां मिलती हैं और वह भी कच्ची रोटियां जो कि वजन में तौलकर दे दी जाती हैं जिनको कैदी आधी खाता है आधी फेंक देता है। भुजिया का हाल यह है कि श्रीमन्, कायदे के अनुसार ग्रीन वेजीटेबुल और लीफी बेजीटेबुल एक-एक समय मिलनी चाहिये। एक समय पत्ते की तरकारी और एक समय कोई सालिड वेजीटेबुल मिलनी चाहिए। ३ महीने तक खाद्यान्न आन्दोलन के सिलसिले में हम जेल में रहे। मैं बड़ी मजबूती के साथ यह कह सकता हूं कि इतने दिनों में सीतापुर जेल के अन्दर शायद १०, १५ बार हम लोगों को आलू, घुइयां इस तरह की तरकारी मिली होगी और वह भी सड़ी और गली मिली। जेल के स्टोर को देखा जाय तो उसकी भी बुरी हालत है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जरा वह जेल के अन्दर जाकर गल्ला गोदाम और आलू का स्टोर करने वाले जो कमरे हैं उनको देखें। वहां पर सड़ी हुई चीजें और खाद्यान्न के लिये भूसी वगैरह जो ठेकेदार सप्लाई करते हैं वह कैदियों को खाने के लिये दी जाती है।

जहां तक सुधार की बात है उस के संबंध में सिर्फ एक बात ही मैं सदन क सम्मुख रखना चाहता हूं। हमारे इस प्रान्त में १०८ फांसी की कोठरी है और इस समय ३५० फांसी के कैदी है। किस तरह से वह रह रहे हैं यह आप अनुभव कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कृष्ण की भूमि से आ रहे हैं और इन मरने वाले कैदियों को, जिनको केवल फांसी लगनी है, कम से कम कृष्ण का नाम तो लेने देते। यहां कंस के कारागार में कम से कम उनको भगवान का नाम तो लेने देते। वह आज मरने जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान् का नाम भी नहीं ले सकते हैं।

जेल विजिटर का भी यहां जिक्र किया गया। हर जेल में कुछ जेल विजिटर होते हैं। जब तक वह जेल विजिटर सुपरिन्टेंडेंट और जेलर की इच्छा के मुताबिक अपना निरीक्षण नोट लिखता है तब तक तो वह जेल विजिटर बना रहता है, लेकिन जिस दिन उसने सुपरिन्टेन्डेंट और जेलर की इच्छा के विरुद्ध कोई अपना मुआइना लिख दिया तो फिर अगले साल उसकी जेल विजिटरी खत्म हो जाती है।

श्रीमन्, यहां पर जेल के कैदियों के सम्मेलन की भी चर्चा की गई। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष शायद कुछ बन्दियों का एक सम्मेलन हुआ। उन बन्दियों को लिखे हुए भाषण दिये गये थे और रटाये गये थे। उन्होंने सम्मेलन में आकर तोते की तरह से वह भाषण पढ़ दिये। एक कैदी नैनी जेल से भी आया था। उसको भी कुछ भाषण सिखाया गया था। उसने कहा कि हम तो वही कहेंगे जो हमको नैनी जेल में देखने को मिलता है। उसको सम्मेलन में नहीं लाया गया। उसको लखनऊ की सेंट्रल जेल में या डिस्ट्रिक्ट जेल में बन्द कर दिया गया। उस समय डाक्टर लोहिया भी जेल में थे। राजनारायण जी भी उस समय जेल में ही थे। उन्होंने भी बन्दी की हैसियत से सरकार से यह प्रार्थना की था कि हमको भी इस सम्मेलन में बोलने के लिये बुलाया जाय, लेकिन सरकार ने उनको इस सम्मेलन में नहीं बुलाया बावजूद इसके कि जब राजनारायण जी स्वयं बन्दी थे। उनको क्यों नहीं भेजा गया महज इसलिये कि वह जेल के रौरव नरक की सही तस्वीर उस सम्मेलन के सामने रखने की चेष्टा करते। इसलिये उनको नहीं भेजा गया।

श्रीमन्, में आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि आज हमारे मंत्री जी कहते हैं कि जेलों के अन्दर सुधार हो रहा है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो जेलों के अन्दर गिरहकट जाते हैं वे जेल से लौटने के बाद चोर हो जाते हैं। जो चोर की सजा काटकर आते हैं वह वहां से लौटने पर डकैत हो जाते हैं। मुझे इस तरह के जुमले कहने में खुशी नहीं है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि जब देश के अन्दर इस तरह से जरायम बढ़ते हैं तो देश का स्तर और देश का जीवन बड़ा नारकीय-सा हो जाता है। मगर यह आखिर क्यों होता है इस के ऊपर शायद हमारे माननीय मंत्री जी ने विचार नहीं किया है।

श्रीमन्, मैं आप को बताना चाहता हूं कि आज जेल के अन्दर और खास तौर से सीतापुर जेल की बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां चरस, गांजा, शराब और अफीम बिकती है और जो वार्डर उस चीज को ले कर बेचते हैं उनकी रिपोर्ट भी मैंने आई० जी० महोदय को की थी, जो सेंट्रल जेल, लखनऊ के सुपरिंटेंडेंट हैं उनके पास भी लिखित भेजी, लेकिन मुझे दुख है कि माननीय मंत्री जी के इन कर्मचारियों ने मेरी इस लिखित रिपोर्ट पर कोई ऐक्शन नहीं लिया और ऐक्शन लेना तो अलग रहा, उनकी शराफत ने यह भी गवारा नहीं किया कि वे मुझे इस बात की इत्तला कर देते कि तुम्हारी जो रिपोर्ट आयी है उस पर कार्यवाही होगी।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मैं निवेदन करूंगा कि जहां और मुहकमे इसके लिये बदनाम हैं, जहां मंत्री और मंत्रियों के लड़कों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, वहां इसमें मैं खुला आरोप इस बात का भी लगाना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार जेल के अन्दर है। हमारे जो आई०जी० महोदय हैं उनके एक रिश्तेदार को डाइरेक्टर आफ जेल इंडस्ट्रीज के पद पर प्रतिष्ठित कर रखा गया है। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा इस सदन से प्रार्थना करूंगा और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसका जवाब दें कि आई० जी० महोदय के वह कौन रिश्तेदार हैं जो इंडस्ट्रीज में हैं।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)---मान्यवर, विशेषरूप से इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने वाला तो मैं नहीं था, मगर मेरे सीतापुर के लायक दोस्त अवधेश कुमार जी ने जो तकरीर की है उसे सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैं उनसे यह पूछूं कि साल में दो बार जेल जाने के बाद उन्होंने इस सिलसिले में कितनी प्रगति की। उन्होंने कई प्रगतियों के सिलसिले में बताया और जो भयंकर खाका उन्होंने जेल का खींचा–मैं यह नहीं कहूंगा कि जेल में बहुत सुधार हो गये हैं और अब सुधार की आवश्यकता नहीं है या सुधार की चरम सीमा तक हम पहुंच गये हैं। वास्तविकता यह है कि हम आगे बढ़ते हैं प्रगति के रास्ते पर, और प्रगति के रास्ते में हम उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गये हों या यह सरकार पहुंच गयी है ऐसा मैं मानता नहीं। साथ-साथ मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि हमें एक प्लान्ड एकोनामी के अन्दर और दूसरी तमाम चीजों को देखते हुए चलना पड़ता है। हमारी सीमायें हैं और उनमें रह कर हम परिस्थितियों में सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। यह सही है जैसा मैंने अभी निवेदन किया, चीजों में सुधार होना चाहिये, होने की आवश्यकता है। हमारे साथियों को मालूम है कि प्रत्येक जिले में जेल निरीक्षण के लिये एक बोर्ड होता है जिसका डिस्ट्रिक्ट जज प्रेसीडेंट होता है और हम विधायक लोग उसके मेम्बर होते हैं। हमारे माननीय डाक्टर साहब भी उसके शायद मेम्बर हैं। चूंकि वह उस समय जेल में थे इसलिये उनके साथ जाने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन हम लोगों ने विशेष रूप से जब समाजवादी साथी जेल में थे जेल का निरीक्षण किया लेकिन जैसा खाका डाक्टर साहब ने खींचा, जैसा खतरनाक खाका खींचा उसकी कोई तस्वीर हमको दिखायी नहीं दी, यह मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं।

दूसरी बात जेल विजिटर्स के सिलसिले में कहना चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य शायद पदेन जेल विजिटर्स हैं और मेरा ख्याल है कि इस नाते डाक्टर साहब भी जेल विजिटर जरूर होंगे। मैं नहीं कह सकता कि जेल अधिकारी विशेष कर सुपरिंटेंडेंट और जेलर साहब ने उनको इस हद तक प्रभावित कर दिया या नहीं कि वह उनके माफिक रिपोर्ट दें। दूसरे जो नान-आफिशियल विजिटर्स अप्वाइंट किये जाते हैं उनकी बात तो मैं इस समय नहीं कहना चाहता। अब जैसा माननीय सदस्य कहते हैं, जरा देर के लिये मान लेता हूं कि सुपरिंटेंडेंट साहब का हाथ इतना बड़ा हो गया है, इतना असर सरकार पर हो गया है कि जिस व्यक्ति का नाम चाहें वे कटवा दें, लेकिन ऐसी उन्होंने कोई मिसाल नहीं बतायी, कोई उदाहरण नहीं दिया कि किसी व्यक्ति विशेष ने जेल अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट की हो। और उसका नाम विजिटर्स से कटवा दिया गया हो। अगर यह मान लिया जाय कि ऐसे व्यक्ति जो सरकार की तरफ से मुकर्रर किये जाते हैं उन पर जेल अधिकारियों का प्रभाव

[श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना]

रहता है तो मैं ऐसा नहीं समझ सकता कि माननीय सदस्यों पर जो पदेन होते हैं, एक्स आफिशियो की हैसियत रखते हैं, इस तरह का कोई प्रभाव हो सकता है। कोई दूसरी तरह का प्रभाव हो तो उसे मैं नहीं जानता और उसे मेरे लायक दोस्त ही शायद बेहतर जानते होंगे।

अब मैं एक-दो प्रश्न आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। एक तो यह है कि यह बात तो सही है कि जेलों में सुधार होना चाहिये, लेकिन उसके साथ-साथ उसका एक पहलू और भी है। मैं इस समय उसकी एकेडेमिक चर्चे में नहीं जाना चाहता कि जेलों को इस तरह का स्थान बना दिया जाय कि गुनहगार गुनाह करके वहां जाने की तमन्ना करने लगें। मैं यह नहीं कहता कि जेलों के अन्दर परिस्थितियां ऐसी खराब कर दी जायं कि वहां पर इंसान रह ही न सके, उनका नैतिक स्तर गिर जाय और ऐसी भावनायें पैदा हों जोकि नहीं होनी चाहिये मगर फिर भी यह सोचने की बात है कि उसकी सीमा कहां पर आयेगी। यह तो दूसरी बात है कि हमारे सामने एक कल्पित चित्र हो जिसमें समाज में जुर्म करने वाले को हम मेंटल डेलिक्वैन्ट मान लें और इलाज के लिये उसको अस्पताल में भेजें लेकिन जब तक वह बात नहीं है तब तक हमें इस दृष्टिकोण से देखना है कि जेलों में उतने सुधार किये जायं जितने सुधारों की आवश्यकता है। इस लक्ष्य की पूर्ति में आप उनको खेल और मनोरंजन की सामग्री भी दें और जब वह जेल से निकल कर बाहर आयें तो उनको बाहर रहने की प्रेरणा दें। यह तो करना चाहिये; लेकिन इस तरह का जेलों का स्तर और वातावरण बना दें कि एक दफे के बजाय ६-६ दफे लोग जेल जाने की तमन्ना करने लगें, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस बात को बुनियादी तरीके से सोचना चाहिये।

यही दो एक बातें मुझे कहनी थीं, मैं समझता हूं जो सुधार सरकार की तरफ से किये जा रहे हैं वह सही हैं और डिपार्टमेंट अपने काम में सफल हुआ है, ऐसा मेरा विश्वास है।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव साथी गजेन्द्र सिंह जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा है कि जेलों में बहुत से सुधार हो गये हैं, और अधिक सुधार करने के लिये पैसे की कमी है। तो श्रीमन्, मैं तो देखता हूं कि इस मुहकमे पर खर्चा बहुत अधिक हो रहा है और सुधार के नाम पर तो बिलकुल कुछ नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश जेल उद्योग जांच समिति ने जो रिपोर्ट सन् १९५५-५६ में दी थी उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि सरकार कृषि का काम अधिक जेलों में शुरू करे और उसके लिये बड़े-बड़े फार्मों पर कैदियों से खेती करवाई जाय, लेकिन सरकार ने उधर अभी तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इस रिपोर्ट से यह जाहिर है कि सबसे अधिक कैदी देहातों से आते हैं जिनका मुख्य धंधा खेती करना ही होता है। तो मान्यवर उन आदमियों को जो कि किसी कारणवश, चोरी, डकैती, कत्ल या अन्य किसी प्रकार के जुर्म करके जेल में आये हैं, जिस काम को वह करते रहे हैं उसमें उनको ट्रेनिंग देने के बजाय उनको दूसरी तरफ मोड़ कर गलीचा या अन्य किसी प्रकार का कार्य सिखाया जाय जिससे वह अपना धंधा जेल से बाहर निकल कर कर सकें, यह मेरी समझ में नहीं आता।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है, और वैसा ही इस रिपोर्ट में भी है, कि अधिकतर कैदी ऐसे आते हैं जिनकी अवधि ३ या ६ महीने की होती है। अब उन कैदियों में हमारे मंत्री जी या मंत्री जी का स्टाफ वह योग्यता पैदा कर देगा कि बाहर जाकर ठीक प्रकार से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जेल से बाहर कैदी इस प्रकार से निकाल दिये जाते हैं जिस प्रकार से पिंजड़े में से पक्षी निकाल दिया जाता है। मंत्री जी कहते हैं कि वे कैदी का समाज में स्तर ऊंचा करना चाहते हैं, उसका आचरण अच्छा कराना चाहते हैं, लेकिन समाज तक तो वह पहुंचने भी नहीं पाता है कि पुनः वह पुलिस का शिकार बन जाता है। यदि किसी प्रकार से बच भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है तो उसकी निगरानी होने लगती है और नाना प्रकार से उसको परेशान किया जाता ह । समाज भी उनसे नफरत करता है । समाज का जो आदमी उसको प्रश्रय देता है उसको भी पकड़ लिया जाता है । इस प्रकार से कोई सुधार उसके जीवन में नहीं हुआ है । सुधार क नाम पर ऐसे-ऐसे काम उससे कराये जाते हैं जिनसे कभी उसका सुधार हो ही नहीं सकता है । अगर आप सुधार करना चाहते हैं, तो आपको उसकी भावनाओं को ठीक करना होगा, उसके वातावरण को सुधारना होगा, खाने-पीने की उसकी व्यवस्था ठीक करनी होगी । अभी तक जितने भी जलें बनी हुई हैं वे सब पुराने टाइप की, अंग्रेजों के जमाने की ही बनी हुई हैं, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है । रहन-सहन का स्तर भी उनका ऊंचा नहीं उठाया गया है । माननीय मंत्री जी तथा उनके अन्य साथी भी जेल में रहे हैं । लेकिन जेल के बारे में व्यक्ति तभी तक सोचता है जब तक कि वह जेल में रहता है । तब तो आपने भी बड़ी-बड़ी भावनायें बनाई होंगी और सोचा होगा कि जाकर इस नर्क को दूर किया जायगा, लेकिन अब उसमें कोई सुधार नहीं है । बैरकें वैसी ही बनी हुई हैं । एक अन्तर जरूर दिखाई देता है और वह यह कि जहां एक कैदी रहता था वहां अब ४-४ और ६-६ कैदी भरे जाने लगे हैं । वहां इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि उसमें जाने की हिम्मत तक नहीं होती । गंदगी भी अभी तक वैसी ही है । उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है । माननीय गजेंद्रसिंह जी ने जो बातें कही हैं आशा है कि मंत्री जी उनका जवाब देंगे और उनके बारे में इनक्वायरी करायेंगे ।

जेल में डाइरेक्टर आफ जेल इन्डस्ट्रीज की तनख्वाह ५०० रुपये से १२०० रुपये तक है जो कि आई० ए० एस० की पोस्ट के बराबर है लेकिन सुना है कि वह हाई स्कूल पास भी नहीं हैं । जहां एक विशेषज्ञ होना चाहिये वहां एक ऐसे व्यक्ति का रखा जाना न्याययुक्त नहीं है ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि डाइरेक्टर आफ जेल इन्डस्ट्री की पोस्ट को समाप्त ही कर देना चाहिये क्योंकि हर जिले में एक-एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री अधिकारी हैं, उन्हीं के सुपुर्द इनको क्यों नहीं कर दिया जाता है । वह एक सप्ताह में एक बार जेल में अच्छी प्रकार से जा सकते हैं । जिस प्रकार सिविल सर्जन जा सकता है तो वह इन्डस्ट्री इंसपेक्टर क्यों नहीं जा सकता है । डाइरेक्टर आफ जेल इन्डस्ट्री के पास उत्तर प्रदेश के ६० जिले हैं । वह महीने में एक दिन भी नहीं जा सकता है । इसलिये यह जनता के पैसे का दुरुपयोग है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में जरूर प्रकाश डालेंगे ।

इसके बारे में एक बात और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने खेती के बारे में कोई योजना बनाई है, कोई फार्म स्थापित किया है जहां कि कैदियों को खुले में रखे जाने की कोई व्यवस्था की गई हो ।

दूसरी बात एक और कहनी है और मैं समझता हूं कि इधर के और उधर के बैठने वाले सभी साथियों को इसका अनुभव होगा कि जेल में जो अच्छी-अच्छी चीजें होती हैं वे तो सब बड़े-बड़े अफसरों के घरों में चली जाती हैं । कैदियों को तो वही रद्दी-सद्दी अनाज मिलता है जो खराब किस्म का होता है । अगर कैदियों की हालत अच्छी हो, उनके खाने-पहनने का अच्छा इन्तजाम हो, उनका वातावरण ठीक हो तो उनकी हालत बहुत कुछ सुधर सकती है । उनको जो आटा मिलता है उसमें भी मिट्टी मिली हुई होती है । माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि खरीदारी में अब सुधार हुआ है और कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये ही अब गल्ले की खरीदारी होगी । अभी जो सामान खरीदा जाता है उसमें एक तो पहले से ही मिट्टी मिली होती है, वहां कुछ ब्लैकमार्केटिंग होती ही है और फिर कुछ अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी की जाती है । मैं भी जेल गया था तो मैंने एक कैदी से पूछा कि ऐसा क्यों होता है तो उसने बतलाया कि कुछ तो हम लोग गड़बड़ी करते हैं और फिर अधिकारियों के यहां भी उसी में से आटा जाता है, तो सब को उसी में से तो खाना है, फिर क्या किया जाय । सरकार को चाहिये कि वह इस तरफ विशेष ध्यान दे ।

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

जहां तक फार्मिग की बात है अगर माननीय मंत्री जी जेलों में उसकी अच्छी व्यवस्था करें तो बाहर से जो गल्ला खरीदने की जरूरत पड़ती है, वह भी समस्या हल हो जाय और जेलों में उन्हीं का पैदा किया अच्छा गल्ला आयेगा तो चीज भी अच्छी होगी और उनमें कोई गड़बड़ी भी नहीं होगी और देहात से जो खेती करने वाले जेलों में आते हैं उनकी रुचि भी उसमें होगी, क्योंकि उस काम को वे पहले से जानते भी हैं और बाहर जाकर भी उन्हें वही काम करना होगा ।

इसके अलावा श्रीमन्, डिप्टी जेलर और असिस्टेंट जेलर की पोस्ट के लिये क्वालिफिकेशन तो इन्टरमीडियेट ही रखी गयी है और उनका कम्पटीशन एक्जामिनेशन या इन्टरव्यू आदि एक ही तरह से होगा, लेकिन जब एप्वाइंटमेंट होगा तो असिस्टेंट जेलर की तनख्वाह ८० रु० से ५ रु० इन्क्रीमेंट के साथ और डिप्टी जेलर की तनख्वाह १२० रु० से ८ रु० इन्क्रीमेंट के साथ शुरू होगी । मैं समझता हूं कि जब दोनों का काम एक ही है और क्वालिफिकेशन आदि भी एक ही हैं तो फिर दोनों की तनख्वाह में इतना अन्तर रखना क्या मतलब रखता है । हम तो कहते हैं कि इससे सरकार को काफी रुपये की बचत होगी, इसलिये उसे चाहिये कि वह डिप्टी जेलर की पोस्ट को ही समाप्त कर दे ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मन्त्री जी ने सदन के सामने उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्रीमन्, इस विभाग द्वारा हमारे प्रदेश में जितना सुधार हुआ है उसका संक्षिप्त व्योरा माननीय मन्त्री जी ने सदन के सामने रखा । सचमुच इस विभाग में जिस तरह का सुधार हुआ है, जिस तरह का अनुसंधान कार्य हुआ है वह कैदियों की दुनियां में एक निराली चीज है और उसमें कामयाबी हुई है । इसलिये मैं इस विभाग के मन्त्री और आई० जी० दोनों को बधाई देता हूं। मैं अपने मित्र श्री भुवनेशभूषण शर्मा की इस बात से इत्तफाक नहीं कर रहा हूं जब वे यह कहते हैंकि जो कैदी देहातों से जाते हैं वे किसान होते हैं इसलिये जेलों में उनसे केवल खेती का काम ही लेना चाहिये । खेती के ऊपर तो हमारे प्रदेश में पहले ही से बोझ बढ़ा हुआ है, फिर भी वे खेती को सीख कर ही वहां से निकलें तो उनको क्या लाभ होगा ? उनके लिये अच्छा तो यह है कि वे जेल में से कोई ऐसी दस्तकारी सीख कर निकलें जिसका वे खेती से फुर्सत के वक्त में सदुपयोग कर सकें । तो मेरा कहना यह है कि चाहे कैदी जेल में तीन महीने के लिये जायं, चाहे अधिक समय के लिये जायं वे जेल से कोई दस्तकारी सीख कर निकलें तभी वे अपना और समाज का भी कल्याण कर सकते हैं और ऐसे कैदी जेल से निकल कर सचमुच समाज के लिये उपयोगी व्यक्ति बन जायेंगे । माननीय भुवनेशभूषण शर्मा जी ने कहा कि कैदी जब जेल से निकलते हैं तो चिड़िया की तरह से उड़ कर चले जाते हैं और फिर बाहर समाज में उनका कहीं कोई ठिकाना नहीं होता है । मैं अपने मित्र को बतला देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कितने ही उत्तर रक्षागृह कायम हैं और उन रक्षा गृहों में जिस तरह से रिहायश आदि का इन्तजाम उनके लिये है, जिस तरह के खर्चीले वह स्थान हैं, उनको देख कर हमें तो हैरत होती है । वहां तो ऐसा मालूम होता है कि जेल से निकलने वाला व्यक्ति शहजादे की तरह से रखा जाता है । खाना बनाने के लिये रसोइया, सेवा करने के लिये आदमी है, सुनने के लिये रेडियो है, हर बात का आराम है, लेकिन कमी केवल इस बात की है कि जेल से छूटने के बाद वह किस दस्तकारी में लगाया जाय । यह सब ठीक है कि वह रेडियो भी सुने, वालीवाल भी खेले, इनडोर गेम्स भी खेले, लेकिन कुछ काम भी तो सीखे और उससे कुछ अर्जन करे । इन उत्तर रक्षा गृहों के लिये बड़ा खर्चीला स्टाफ रखा गया है । लोग ताज्जुब करते हैं कि यह क्या तरीका है कि चन्द आदमियों को रखने के लिये इतना खर्च स्टाफ पर किया जाय । इसका उत्तर रक्षा गृह मेरे बंगले के पास है । मैंने समाज सुरक्षा मंत्री जी को उसे दिखलाया । कुल १७ आदमी थे और उनके ऊपर करीब २ हजार रुपये महीना खर्च होता है । स्टाफ हजार रुपये महीने का है । मेरी प्रार्थना है कि उन रक्षा गृहों पर जो खर्चा होता है उसे कम किया जाय ।

दूसरे, कानपुर जेल के बारे में मुझे यह कहना है कि वहां पर बड़ा जमाव रहता है । ५०० आदमियों के रहने का स्थान है, लेकिन १,००० आदमी हर वक्त रहते हैं । यह ठीक है कि जेल में जगह नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि जेल के चारों ओर बस्ती है, लेकिन बैरिकों को डबल स्टोरी किया जा सकता है ताकि अंडर ट्रायल को उन्नाव भेजना न पड़े । इसमें बड़ा खर्चा होता है और पैरवी करने वालों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिनके आदमी कि दूसरी जेलों में भेज दिये जाते हैं । कानपुर बहुत बड़ा शहर है, अपराध भी ज्यादा होते हैं, लिहाजा कैदियों की तादाद भी ज्यादा होती है । अगर बैरिकों को डबल स्टोरी कर दिया जाय तो यह कठिनाई बहुत हद तक दूर हो सकती है ।

जेलों में रिहायश का जहां तक सम्बन्ध है उसमें काफी सुधार हुआ है । स्वास्थ्य सम्बन्धी व खाने-पीने सम्बन्धी व्यवस्था सराहनीय है । भुवनेशभूषण शर्मा जी ने जो बात कही कि आटे में आधी मिट्टी मिलाई जाती है इससे मैं इत्तफाक नहीं करता । उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं ।

एक सदस्य—आप कब से नहीं गये ?

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—यह आपका ख्याल गलत है । मैं कई बार जेल गया हूं और अब भी जाता हूं हर महीने ।

श्री उपाध्यक्ष—आपके भाषण का समय समाप्त हुआ ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय जेल मन्त्री जी को उनके साहित्यिक और सारगर्भित भाषण के लिये धन्यवाद देता हूं, लेकिन उनके भाषण से मुझे ऐसा पता चला कि आज जो जेल का प्रशासन है उसमें तरमीम होने की आवश्यकता है, क्योंक वह यूनाइटेड प्राविन्सेज जेल इन्क्वायरी कमेटी, १९२९, यू० पी० जेल इंडस्ट्रीज इंक्वायरी कमेटी तथा यूनाइटेड प्राविन्सेज जेल रिफार्म्स कमेटी, १९४६ की सिफारिशों के खिलाफ चल रहा है । इन तमाम इंक्वायरी कमेटीज ने यह सिफारिश की है कि जो जेल मैनुअल हैं और जो प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ का बना हुआ है उसमें तरमीम होनी चाहिये ।

मंत्री जी ने जितने सुझाव दिये कि सरकार क्या-क्या करना चाहती है वे बहुत सुन्दर हैं, लेकिन जेलों के अन्दर आज क्या हो रहा मंत्री जी को शायद इसका अनुभव न हो लेकिन मुझे मंत्री जी के राज्य में इसी साल में दो मर्तबा जेल जाना पड़ा । अगर सुपरिंटेंडेंट व जेलर साहब कुछ करना भी चाहें और सुन्दर व्यवस्था लाना चाहें तो उस वक्त तक वे कुछ नहीं कर सकते जब तक कि जेल मैनुअल में तरमीम नहीं की जाती । बगैर उसमें तरमीम किये हुए मानवीय व्यवस्था नहीं हो सकती जब तक कि जेल मैनुअल इसके लिये सहूलियत न देती हो । उदाहरण के लिये आज प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कोई खाद्य आन्दोलन में जेल जाता है तो सुपरिंटेंडेंट साहब कहते हैं कि २ महीने में या तो २ मुलाकात कर लो या दो खत लिख लो । मैं यह कहूंगा क्या यह मुमकिन है ? आज एक ओर तो हम जेलों को रिफार्मेटरी सेंटर बनाने जा रहे हैं और दूसरी ओर हम से कहा जाता है कि हम २ महीने में दो पत्र लिखें या २ मुलाकात कर लें । माननीय मंत्री जी को इस पर गौर करना चाहिये कि जब हम आज की आवश्यकताओं के अनुसार जेलों को रिफार्मेटरी सेंटर बनाने का विचार रखते हैं तो जेल सुपरिंटेंडेंट या कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि उस पुस्तिका में तरमीम नहीं होती है ।

आज सबसे बड़ी समस्या है कि कैदी से लेबर कैसे लिया जाय । मान्यवर, इंडियन पैनेल कोड की धारा ५३ यह बताती है कि जो लोग रिगरेस इम्प्रिजन्मेन्ट के लिये भेजे जाते हैं उन्हें कड़ा परिश्रम दिया जाना चाहिये । लेकिन वह कड़ा परिश्रम क्या हो उस पर तमाम

[श्री प्रतापसिंह]

कमेटियों ने विचार किया । मैं यूनाइटेड प्राविन्सेज़ जेल रिफार्म्स कमेटी, १९४६ की रिपोर्ट में से इस सम्बन्ध में कुछ पढ़ना चाहता हूं ।

"In assigning the prisoners to work, attention should be paid as far as possible to their physical and intellectual capacity."

उनका कहना है कि अगर किसी कैदी से काम लेना है तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास का विशेष ध्यान रखा जाय ।

इसके अलावा जेल में जो सोलीटरी कन्फाइनमेंट होता है उसके बारे में जेल रिफार्म्स कमेटी ने कहा है कि सोलीटरी कनफाइनमेंट नहीं होना चाहिये । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उन्होंने इंगलैंड की पद्धति भी पढ़ी होगी वहां सोलीटरी कन्फाइननेंट नहीं होता । मैं मन्त्री जी की जानकारी के लिये पढ़ता हूं ।

"In England also the separate and the solitary systems of penal discipline have been abandoned as 'the results of either system were disastrous to the physical and still more to the mental health of those subjected to them,'

इंगलैंड में कहा गया है सोलीटरी कन्फाइनमेंट से इनसान के दिमाग पर असर पड़ता है, इसलिये सोलीटरी कनफाइनमेंट नहीं होना चाहिये । मंत्री जी ने बड़ी भारी स्पीच दी कि बड़ा सुधार हो रहा है । मान्यवर, आज भी लोहे की बेड़ियां पड़ती हैं । क्या स्वतंत्र राष्ट्र में ऐसा होना चाहिये ? माना कि ८२ लाख रुपया खर्च करके दिल्ली में जेल बन रही है, लेकिन प्रत्येक जिले में तो लोहे की बेड़ियां पड़ती हैं । उसके बारे में भी कमेटी ने क्या कहा है ।

"There is yet another punishment prescribed by the Prisons Act of 1894 which is still in vogue and which is both unwholesome and unpleasant. It is the imposition of cross-bar fetters. Cross-bar fetters are composed of a single bar for the purpose of keeping the legs apart. This punishment hinders a prisoner from moving freely and interferes in the performance of his daily tasks....We therefore recommend that this punishment should be abolished."

उनका कहना है कि यह भी समाप्त होना चाहिये ।

उसके बाद मंत्री जी ने यह कहा कि हमने सम्पूर्णानन्द कैम्प में जो एक नई व्यवस्था की है उसमें कैदी काम करते हैं खुले में । मान्यवर, वह मेरे क्षेत्र में इलाका है मैंने स्वयं देखा है और चाहता भी हूं कि ऐसे ओपेन कैम्प्स हों । एकोनोमी कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है कि इस तरह से ३०,३५ लाख रुपया बच सकता है । लेकिन एक बात यह जरूर कहना चाहता हूं कि उन कैदियों से जबरन बहुत काम लिया जाता है । एक आदमी जो २० सेर ले जा सकता है उसके ऊपर १ मन का बोझ रखा जाता है, इसकी ओर ध्यान रखा जाय । हम इस प्रयोग का स्वागत करते हैं जो दुनियां में अपनी किस्म का एक ही प्रयोग है । लेकिन वहां जो व्यवस्था है उसकी ओर ध्यान दिया जाय ।

दूसरी चीज़ उद्योगों के बारे में यह कहनी है कि उद्योग किस तरह के होने चाहिये । यू० पी० जेल इंडस्ट्रीज़ इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है

"Such industries should be considered which may be good to the society and are not generally carried on outside ;"

इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । मैं चाहता हूं हमारी जेलें रिफार्मेटरी सेन्टर्स हों । इसलिये मेरा सुझाव है कि आज बड़े नेताओं के नाम पर जो सुधार हो रहे हैं उसी प्रकार, चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू देहरादून और अल्मोड़ा जेलों में रह चुके हैं इसलिये, इन दोनों जेलों में भी रिफार्मेटरी सेन्टर्स हों । मैं चाहता हूं कि जेल में कैदी यह महसूस न करे कि हमको सख्ती से रखा गया ।

अब जैसा मंत्री जी ने चिल्ड्रेन्स ऐक्ट के बारे में कहा कि हम उसको लागू करना चाहते हैं, तो उसको लागू कीजिये । आखिर दिक्कत क्या है ? प्रोबेशन स्कीम को और जेलों में क्यों नहीं लागू किया, जब कि १८ जिलों में आपने लागू कर रखा है ? चिल्ड्रेन्स ऐक्ट को कार्य रूप में परिणत करने की जरूरत है । चाहे बड़ी-बड़ी स्कीमें रखी जायं, लेकिन आप समाज में सुधार चाहते हैं तो इस ऐक्ट को लागू करें । कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि अपराध करे । जिस समय उसकी मानवी शक्ति का ह्रास होता है और दानवी शक्ति आती है, उसको जेल जाना पड़ता है । इसलिये कि आज पर कैपिटा इंकम १६० रु० आती है, लेकिन एक कैदी पर ३३० रुपया खर्च होता है, जैसा कि मंत्री जी ने बताया । जिस देश में दफा १०९ भी है । देहरादून की सड़क पर आप या हम जा रहे हों और अगर हमारी पोजीशन नहीं जानता है तो वहां का दरोगा चाहे तो बन्द कर सकता है । यह तमाम चीजें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना है ।

दूसरी बात, आपने इंडस्ट्रीज़ की बात कही । मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि कैदी जब तक जेल के अन्दर रहे और जब बाहर आने का प्रयत्न करे तो इस तरह की ट्रेनिंग मिले कि जिस समाज में आता है उसमें खप सके । मैं मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जेल में प्रेस भी खुल सकता है । मशीनरी वर्क आज वहां नहीं होता है । चटाई बुनाई जाती है और कुर्सी बुनाई जाती है ।

मुझे दुख के साथ जेल के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहना पड़ता है कि पहले जेलर मिडिल पास होता था और आज एम० ए०, लेकिन उनकी तनख्वाह वही है जो कि पहले थी । ८२ लाख की जेल आप बनावें लेकिन जिस वार्डर को ५२ रुपया मिलता था, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी । आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि बड़ी-बड़ी जेलें बनाई जायं, बल्कि जेल के कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । अगर वार्डर को ५२ रुपया मिलेगा तो वह जरूर तिकड़म करेगा । सरकार उसको बाध्य करती है कि तुम घूस खाओ, कैदी को ठगो ।

इसके अलावा इन्हीं कमेटीज़ ने एक सिफारिश की है कि एक एडवायजरी कमेटी सारी यू० पी० के लिये होनी चाहिये जिसमें उन्होंने जो विभाग के सचिव हैं उनको रक्खा है, एक साइकालाजी के प्रोफेसर को रक्खा है । इस तरह की कमेटी की आवश्यकता है । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि जेल में सुधार हो ।

आज जो राजनीतिक कैदी हैं उनके साथ वही सलूक होता है जो कत्ल करने वाले के साथ होता है । अगर कोई आंदोलन में जेल जाता है तो जेलर कहता है कि कोई गुंजायश नहीं हो सकती । जेल की जो आबादी बढ़ रही है, उसमें खर्च बढ़ रहा है, उसका सदुपयोग होना चाहिये और उन्हें रिफार्मेटरी सेन्टर बनाया जाय अगर सच्चे मानी में जेलों में सुधार करना है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । श्रीमन् हमारे साथी ने अभी निवेदन किया है कि जेलों के संबंध में जितने कानून हैं उनमें तब्दीली होनी चाहिए । मैं भी मांग करता हूं कि १८९४ का जो प्रिजन्स ऐक्ट है उसमें बहुत काफी तब्दीली की गुंजायश है । मैं मानता हूं कि यह केन्द्रीय सरकार का कानून है । तो कम से कम प्रदेशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार को ऐसा सुझाव देना चाहिए कि प्रिजन्स ऐक्ट में आवश्यक सुधार किये जांय ।

(इस समय १ बज कर १९ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुए ।)

एक उदाहरण मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं जिसमें बहुत से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल हुई । दफा ५२ प्रिजन्स ऐक्ट में लिखा हुआ है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट कैदियों को जितना दंड दे और समझे कि उचित दंड नहीं है, काफी नहीं है तो उसे मजिस्ट्रेट के पास चालान कर देता है जहां जुर्म साबित होने पर उस को एक साल की सख्त से सख्त सजा हो सकती है ।

[श्री उग्रसेन]

भारतीय संविधान के अन्दर इस बात का प्रावीजन दिया हुआ है कि किसी भी एक आफिस को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं देना चाहिए। दफा ५२ प्रिजन्स ऐक्ट जो है, स्वयं अवैध है, अल्टरा-वाइरस है, भारतीय संविधान के अनुसार दफा ५२ की काफी अपीलें हाई कोर्ट में हैं। और अब भी बहुत से जजों ने इसके खिलाफ फैसले दिये हैं जिनका रिवीजन है, ५२ में यह धारायें थीं और इसी सदन में बिक्री कर के बीसों संशोधन आये और मुझे मालूम नहीं कि जेल ऐक्ट के संशोधन के सम्बन्ध में उन्होंने कोई सुझाव केन्द्रीय सरकार के सामने भेजा है या नहीं। इसी जेल मैनुअल में एक ७४२ दफा है जिसके अनुसार अगर कोई शख्स किसी व्रत के दिन व्रत रखे तो वह जेलर जो तरकारियां मुफ्त में खाते हैं, जिनसे रोज झगड़े होते हैं वह फौरन व्रत के लिये चालान कर देते हैं क्योंकि जेल मेनुअल की इस धारा में लिखा है कि 'दि हंगर स्ट्राइक इन जेल इज म्यूटिनी' जेल में भूखे रहना या व्रत करना भी बगावत है। अगर दफा ५२ में किसी पर मामला चला दिया गया तो वह साल भर के लिये नाप दिया जायगा। इतनी अधिक जेल मैनुअल में पावर्स हैं कि हमारे समाजवादी पार्टी के नेता श्री चन्द्रबली सिंह जो कुर्सी पर बैठे थे उनसे कहा गया कि जेल मैनुअल में कहीं नहीं लिखा है कि कोई जेली कुर्सी पर बैठे।

यहां सदन में भ्रष्टाचार का भी जिक्र हुआ, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यह जो भ्रष्टाचार है यह गंगोत्री से ही कीचड़ चलती है और वही कीचड़ यहां लखनऊ की गोमती में, प्रयाग की गंगा में और बनारस की गंगा में कीचड़ पहुंचती है, जब तक गंगोत्री की कीचड़ साफ नहीं होती तब तक आप नीचे की कीचड़ साफ नहीं कर सकते। एक साहब ८० रुपया पाने वाले जेल डिपो के ८०० रुपया पाने वाले सेल्समैन बन गये। पता नहीं कि क्यों उनको इतना उपयोगी पाया गया। एक आई० जी० के जमाने में उन पर चार्ज सिद्ध हुआ, लेकिन जब दूसरे आई० जी० आये तो कुछ ऐसा हिसाब बैठा कि जनरल मैनेजर से जेल डायरेक्टर बना दिये गये और ५०० से १,२०० के स्केल में भेज दिये गये। उनकी योग्यता यह है कि वह हाईस्कूल पास भी नहीं हैं। वही हैंडलूम जैसा मामला यहां भी हुआ है। यह गंगोत्री से ही कीचड़ चलती है, आई० जी० के यहां से आरम्भ होता है। डी० आई० जी० तरक्की हो कर आये हैं। डिप्टी डायरेक्टर साहब ३ साल से ज्यादा से डटे हैं हालांकि गवर्नमेंट के आर्डर्स हैं कि अधिक समय तक एक स्थान पर न रखा जाय और तबादले किये जांय। तो मैं चाहता हूं कि गंगोत्री से ही कीचड़ के धुलने की जरूरत है।

एक चीज और--मैं मंत्री जी का ध्यान जेल के अस्पताल की तरफ भी दिलाऊंगा। गवर्नमेंट के बलरामपुर और मुफस्सिल में वैसे ही बहुत से अस्पताल हैं, लेकिन देवरिया की जेल के अस्पताल में तो अब मिक्सचर नम्बर १९ तक पहुंच गये हैं, शायद ही किसी जेल में वहां तक नम्बर पहुंचा हो। न मालूम जेल के अधिकारी अस्पताल की दवायें कहां से ले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। डाक्टर पर्चा लिख देते हैं और कम्पाउन्डर मिक्सचर नम्बर पिलाया करते हैं। बहुत से जिले ऐसे हैं कि जहां पर पुलिस अस्पताल के डाक्टर ही जेल के अस्पताल के डाक्टर हैं और कोई स्थायी डाक्टर जेल के लिये नहीं हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि जेल के लिये अलग से स्थायी डाक्टर हों और सिविल सर्जन ही जेल के सुपरिंटेंडेंट रहते हैं। यह प्रथा भी खत्म होनी चाहिये। अगर आप जेल का सुधार चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास, सेकिन्ड क्लास जिस तरह के होते हैं उसी हिसाब से जेलों के लिये होल टाइम सुपरिन्टेन्डेन्ट रखे जायं।

इसके बाद मंत्री जी ने लिखा है कि जेल के लिये गल्ले की खरीद कोआपरेटिव फेडरेशन के द्वारा होगी। यह बहुत अच्छी चीज है वर्ना हमें मालूम है कि देवरिया जेल के जेलर का मुर्गा रोटियां खाता है और जेलर साहब मुर्गा खाते हैं। वहां की तमाम गलतियों की रपट डी० आई०जी० ने लिखी, लेकिन आज भी वहां जेलर साहब डटे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। इस तरह से गंगोत्री में ही कीचड बढ़ती जा रही है। अगर वास्तव में कोई सुधार मंत्री जी चाहते हैं तो उन्हें जेलों में इस तरह की चीजों को रोकना होगा। हम जानते हैं कि जब माननीय मंत्री जी को यह चीजें बतलायी जायंगी तो इस ओर ध्यान देंगे और

कम से कम उनके राज्य में इस प्रकार की चीजें न हों कि डाक्टर लोहिया को कुर्सी पर बांध कर गिराया गया। अगर उससे शिक्षा लेना चाहते हैं तो ऐसा तो करेंगे कि जेल में जो कैदी जायं, चाहे वह किसी राजनीतिक पार्टी का हो उसके साथ मानवोचित व्यवहार किया जाय। यह न हो कि जेलर साहब नाराज हो जायं तो बेड़ी हथकड़ी रखी है। जिस प्रकार पुराने कोतवाल हुआ करते थे १८५७ के उनको रखने की क्या जरूरत है, जोकि जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट होते हैं ?

श्री अधिष्ठाता––आपका समय समाप्त हो गया।

श्री उग्रसेन––तो मैं इन शब्दों के साथ इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन सिंह (जिला जौनपुर)––आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज मैं जेल पर जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने मांगा है, संख्या १७ उसके सम्बन्ध में कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस पर बहुत से भाषण हुए। कुछ लोगों को या तो पुरानी जेलों का अनुभव नहीं रहा है या वे जान-बूझकर इस पर परदा डालना चाहते हैं। जेल तो अपने नाम से ही एक खराब चीज हैं और उसमें ऐसे ही लोग जो समाज में अपराध करते हैं, भेजे जाते हैं, लेकिन आज के युग में विद्वानों का मत है कि जेल में किसी मनुष्य को तकलीफ देकर या उसकी ताड़ना करके उसको ठीक किया जाय, ऐसा नहीं हो सकता आज हर एक आदमी यह समझता है कि जेल में जाने से लोगों का सुधार होना चाहिए, इसमें दो रायें नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों ने १९३०–३२ की जेल देखी होगी या उन आन्दोलनों में जेल गये होंगे वे जब आज जेल की बात सुनते हैं तो वह बिला उस पर ज्यादा स्टडी किये हुए बतला सकते हैं कि कितना जमीन आसमान का फर्क है। जब हम लोग जेल गये थे १९३०–३२ में तो उस वक्त मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता था। उस वक्त परेड के वक्त लोग अपना फट्टा, कम्बल और सारा सामान लेकर जाते थे। काठ की इतनी बड़ी पट्टी यहां लगायी जाती थी, आज जेल में वह दिखाई भी नहीं पड़ती। उस वक्त जेल के कैदी जानवर से भी बदतर समझे जाते थे। आज वहां मनुष्य मनुष्य समझा जा रहा है, यही मनुष्य के लिए सब से बड़ी चीज है। समाज में उसका सम्मान किया जाय। जेल में आज जितने सुधार हुए हैं वह देश में राष्ट्रीय सरकार होने के बाद हुए हैं। आज जो अपराधी जेल जाते हैं उनके लिए वहां ऐसा वातावरण रहता है कि समाज उन्हें फिर अपना सके और समाज के दूसरे व्यक्तियों की तरह वह समाज में रह सकें। पहले जेल में जो एक बार जता था वह फिर दोबारा और तीसरी बार जाता था, उनके कपड़ों में भी तब्दीली होती थी, काली पट्टी लगायी जाती थी, उनके जांघिये, गंजी में भी अन्तर होता था। आज यह चीजें कि जो अपराधी हैं, तो वह फिर अपराधी समझा जाय वह सब जेलों से हट चुकी हैं। उस वक्त कपड़ों में चिल्लर पड़े रहते थे और उनकी खाटों में खटकिरवा रहते थे, लेकिन आज जा कर देखिये कि उनके रहन-सहन का स्तर और खाने-पीने का स्तर कितना ऊंचा किया गया है। उनको पढ़ना सिखाया जाता है और इंडस्ट्री विभाग में उनको काम दिया जाता है। बड़े बड़े कैम्प खोले गये हैं, जैसे सम्पूर्णानन्द शिविर आदि। वहां अगर आप जा कर देखें तो समाज के आदमियों से उनका रहन सहन और सारी व्यवस्था अच्छी मालूम होती है। आज वे कोआपरेटिव तौर पर सारा काम करते हैं। आज साधारण से साधारण कैदी भी डेढ़ रुपया रोज कमा सकता है। आज नानकसागर में आप चले जायं। वहां कैदी एक दम स्वतंत्र हैं। जैसे एक मजदूर काम कर के खुद खाता है और कुछ बचा भी लेता है उसी तरह से आज जेल के कैदियों की भी हालत है।

श्री गजेन्द्र सिंह––श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं। जरा उपस्थिति देख लीजिये कि कितनी है।

श्री अधिष्ठाता––१ से २ बजे के समय कोरम का प्रश्न उठाना ठीक नहीं है।

श्री रामलखनसिंह---मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के दूसर सूबों को तो जाने दीजिये, आज दुनियां में अमरीका, इंगलैंड जैसे देश जो अपने को बहुत प्रगतिशील कहते हैं और अपने को डेमोक्रेसी का आदर्श मान रहे हैं वे भी जो सुधार उत्तर प्रदेश की जेलों में हुये हैं उनको अपने यहां आज तक नहीं कर पाये हैं। हमारे यहां यहां तक हो गया है कि जो कैदी मजदूर के रूप में काम करता है वह अपने परिवार को भी साथ ला कर रख सकता है। आज उनके झोपड़े बना कर रहने की व्यवस्था है। अभी बरेली जेल में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, वहां हमने इंटरमीडियेट और बी० ए० तक के कैदी विद्यार्थी देखे। ऐसा आदर्श जूनियर हाई स्कूल देखा जैसा बाहर नहीं दिखायी देता। बाहर के बच्चों से ज्यादा योग्यता उनके अन्दर हो गयी है, ऐसे काबिल वे बनाये जा रहे हैं। हम तो सरकार से यह प्रार्थना करेंगे कि जेल में जो इंडस्ट्री उनको सिखाई जाती है बाहर निकलने पर उनको उसमें सबसे पहले स्थान मिलना चाहिये ताकि दूसरे लोगों पर उसका असर पड़े और समाज उन्हें अपनाये।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और जो प्रस्तुत अनुदान है उसका समर्थन करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे पूज्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा उस को मैंने सुना और साथ ही साथ हमारी पार्टी की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया उस को भी सुना। हमारा विचार है कि जेल में जो कैदी जाते हैं वे अपराधी होते हैं, वे कोई यज्ञ कर के नहीं जाते हैं, अपराध कर के जाते हैं। उनका बड़ा आदर किया जाय, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे पड़ोस नैपाल राज्य में अपराध नहीं होता क्योंकि वहां दंड सख्त है। हमारे यहां अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इसलिये कि दंड कमजोर है। तो दंड कैदी को दिया जाय और इतना दिया जाय कि वह दोबारा अपराध करने का साहस न करे।

जेलों में केवल एक सुधार आप कर दीजिये कि जो अधिकारी हैं ये तमाम कैदियों का राशन खा जाते हैं। यह नितान्त सत्य है। ऐसी दशा में राशन देने के लिये आप एक दूसरा महकमा रखिये जो जेल को राशन दे। और शासन करने वाला दूसरा महकमा हो तब यह बात हो सकती है और उनसे उनका कोई मतलब नहीं रहेगा और उनसे काम ले सकते हैं। इन जेलों में सबसे बड़े सुधार की आवश्यकता यह है कि कैदी अपना खाना अपने आप बना लें। इसमें कोई खर्चा नहीं होगा। जिन लोगों ने चुनार की जेल को देखा है उन्हें मालूम है कि जितना हमारी सरकार राशन देती है उसी में वह आराम से रह सकते हैं।

जेलों के जो अधिकारी हैं उनका कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है इसीलिये जो जेल में जाते हैं उनका अपराध करने का और साहस बढ़ जाता है। हमारा कहना यह है कि जेलों में अमानुषिक दंड नहीं देना चाहिये। जैसे बेड़ी, डंडा मतिभंगा, खड़ी हथकड़ी आदि ये बेकार की चीजें हैं। जेलों में केवल तनहाई का दंड होना चाहिये और यदि ज्यादा सख्त अपराध है तो बेंत भी दे सकते हैं क्योंकि यह सत्य है कि अपराधी आपकी जेलों से या कानून से नहीं डरते हैं। वह डंडे से ही डरते हैं। यदि आपका डंडा कमजोर है तो अपराध नहीं रुक सकते हैं। मैं लखीमपुर की बात बताता हूं कि जिले में औसतन ५ कत्ल, १०० डकैती होती हैं और दो चोरी फी गांव में होती हैं। उनको कोई रोक नहीं सकता है। अगर कोई कत्ल हो जाता है तो पुलिस वालों को पुत्रोत्सव की तरह से खुशी होती है। दो चार हजार रुपया बना लेना मामूली बात है। जेलों में ठेकेदारों से गल्ला खरीदा जाता है। सरकार को खरीद कर गल्ला देना चाहिये।

जेलें तो स्वावलम्बी होनी चाहिये। उनके ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे जिले में मंजरा फार्म है और उसके चारों ओर नदी है। वहां ३,००० एकड़ जमीन है जिसमें १,५०० कैदी बड़े मजे में रह सकते हैं और अपने खाने के लिये रोटी पैदा कर सकते हैं। यह बड़ा सुन्दर उपाय है। एक दफा मन्त्री जी से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ३० हजार एकड़ जमीन वह चाहते हैं। हम उसका स्वागत करते हैं। जेलों में कैदियों को जो कागज, कपड़ा, बरतन, खेती, लोहा, लकड़ी वगैरह सब तरह का काम सिखाया जाय। इससे यदि वह छूट कर आयें तो अपराध करने के योग्य न रह सकें तो ज्यादा अच्छा है।

एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जेलों में कत्ल, डकैती में आये हुए कैदियों की जमानत जो हो जाती है वह नहीं होनी चाहिये। अगर किसी कत्ल या डकैती के कैदी की जमानत हो जाती है तो वह आकर सबूत तोड़ लेता है और वह फंसता नहीं है। हवालाती और कैदियों को अलग-अलग रखा जाय। मंत्री जी इधर ध्यान देने की कृपा करें और अपराधियों को अमानुषिक दंड न दिया जाय और ऐसे दंड दिये जायं जो मनुष्यता के रूप में हों। इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने विरोधी दल के माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना और सुनने के बाद मुझे बड़ा खेद है यह कहते हुये कि लंगड़ी दलीलें पेश कर दी गईं। उनके अन्दर न कोई तथ्य है और न परिस्थितियों का ही विश्लेषण किया गया है जो नितान्त आवश्यक था। आज हर मसले पर साइंटिफिक तौर से दृष्टिपात करने की जरूरत है। जेलों में सुविधाओं की बात वह कर सकते हैं जिन्होंने देश के उत्थान और पतन की घटनाओं को नहीं देखा है, जिन्होंने मानव के उत्थान और पतन के इतिहास को नहीं पढ़ा है। जो मुल्क अपने ऊपर विश्वास करता है जेलों की तादाद वहां कम होती है। सच बात यह है कि अधिकतर वही लोग जेल जाते हैं जिनके पास खाने को नहीं होता है। पेट सारी दुनिया को मूव करता है। बमुक्षितः किमं न करोति पापम्। भूखा कौन सा पाप नहीं करता? इसलिए अपराधों का होना नितान्त स्वाभाविक है। अगर मुल्क में खाने पीने की व्यवस्था न होगी तो जिस मुल्क की यह फिलासिफी है कि पाप करके भी जिन्दा रहने का अधिकार है, उस मुल्क में लोग जरूर जिन्दा रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। बीमारी की दवा करने की बात सेकेंड रेट आदमी सोचते हैं। उसके कारण को ढूंढिए। क्या जेलों के अन्दर फैमिलीज बसायी जायंगी? हरगिज नहीं। हमारी सरकार जो काम कर रही है उसकी साउंड बेसिस है, लेकिन दफा ५२ जो रखी गयी है वह न्यायसंगत नहीं है। ऐसी दफाओं को खारिज किया जाना चाहिए, न्याय के नाम पर, भगवान के नाम पर, देश के नाम पर। किसी का भाई घर में मर जाता है, माता मर जाती है, उस को इसकी सूचना मिलती है, उस समय उसको जबरदस्ती खाना खिलाया जाय यह मानवता के प्रतिकूल है। अपने दुख में दुख न मना सके, अपने सुख में सुख न मना सके यह गवर्नमेंट का कानून है। इस तरह के कानूनों को इस देश से मिटाया जाना चाहिये। जिन लोगों ने विषय का अध्ययन किया है, वह जानते हैं कि भूखे रहने के कारण, जरूरत पूरी न होने के कारण लोग चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं जिन को जुर्म करने का मीनिया होता है। वह बड़े-बड़े लोगों में भी पाया जाता है। किसी एक देश के प्राइम मिनिस्टर मेम्बर साहबान के छाते चुराया करते थे और उनकी बीबी माफी मांगते-मांगते परेशान हो गयीं। इसलिए वह नहीं चुराते थे कि उनके घर में छाते नहीं थे बल्कि इसलिये कि वह एक मीनिया होता है। उस मीनिया को दुरुस्त करने के लिए हास्पिटल की जरूरत है। उनको साधारण कैदियों के साथ रखना बुद्धि से काम न लेना है। इसलिये मैं यह बता देना चाहता हूं और चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में एक भी जेल न हो। जब उनके पास खाना पीना होगा, आचार विचार अच्छे होंगे तो जेलों की जरूरत न होगी। आज हम बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम काजेज दूर करना नहीं चाहते। होना यह चाहिए कि जिन कारणों से लोग जेल जाते हैं उनको दूर किया जाय। उनको शिक्षा दी जाय। उनको तिजारत दी जाय। उनका इंतजाम किया जाय। इसके साथ-साथ समाज-कल्याण की बात है और इसमें शक नहीं, दो रायें नहीं हो सकतीं कि मुल्के हिन्दुस्तान के विकास के दृष्टिकोण से अगर हम उस पर सोचना चाहते हैं तो हमारे मुल्क में डूप्लीकेसी आफ वर्क बहुत है। वही काम समाज-कल्याण विभाग करता है, वही काम दूसरा विभाग करता है। अवश्य इसका रेशनलाइजेशन होना चाहिए।

श्री पब्बर राम (जिला गाजीपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज जेलों का सवाल ११ वर्षों की आजादी के बाद हमारे देश के सामने एक मुख्य प्रश्न बना हुआ है। आखीरकार जेलखाने के अन्दर

[श्री पब्बरराम]

जो कैदी हैं वह भी हमारे हिन्दुस्तान के निवासी हैं। हमें प्रतिशोध की भावना से उनके साथ काम नहीं लेना चाहिये। बल्कि हमारे दिल में यह भावना होनी चाहिये कि हमें उनका सुधार करना है और सुधार कर के ऐसा नागरिक बनाना है जो कि भविष्य में हमारे देश के लिये उपयोगी हो सके। लेकिन आज अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि स्वतंत्र भारत में जेल का जो विधान है वह वही विधान है जो कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में बनाया था। आज पग-पग पर कैदी अपमानित होता है। पग-पग पर उसकी मनःस्थिति को ठेस पहुंचायी जाती है। कहने के लिये बहुत से सुधार हो गये, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किताबों को देखने से, अखबारों को पढ़ने से, भाषणों को सुनने से बहुत कुछ सुधार नजर आता है। लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाय तो बहुत कुछ वास्तविकता जैसी की तैसी अपनी जगह पर बनी हुई है, चाहे कैदी के रहन-सहन को लिया जाय, चाहे कैदी के खाने को लिया जाय, चाहे कैदी के पढ़ने को लिया जाय, चाहे कैदियों के और दूसरे सुधार के कार्यों को लिया जाय। कुछ सुधार हुए हैं इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वे ऐसे नहीं हैं कि जिससे इस बात का यकीन किया जा सके कि यहां से जो कैदी निकल कर बाहर जायेंगे वह हिन्दुस्तान के एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे।

मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जेल के जो नियम हैं उनमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये। छोटी-छोटी बातों के लिये कैदियों को किस तरह से अपमानित होना पड़ता है? कैदियों को खाने के लिये गिनी हुई रोटियां मिलती हैं। वजन से मिलती हैं चाहे कैदी की खूराक एक पाव हो, चाहे कैदी की खूराक एक सेर हो लेकिन उसको नपा तुला आठ या छः छटांक खाना मिलेगा। बहुत से ऐसे कैदी जो कि खाने वाले हैं वह तरसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं और उस भूख को मिटाने के लिए मजबूर होकर उनको तिकड़म करनी पड़ती है। पढ़ने का जहां तक संबंध है पढ़ाई के लिये मास्टर रख गये हैं लेकिन कैदी अगर पढ़ना चाहे रात के वक्त उस बैरक के अन्दर कोई किताब है तो उसके लिये लालटेन की कोई व्यवस्था नहीं है। एतवार का दिन उनके मनोरंजन के लिये नियत किया गया है। बाहर से बहुत से लोग सुधार संबंधी व्याख्यान देने के लिये जेलखानों के अन्दर पहुंचते हैं। लेकिन उसी दिन उसको और कामों में उलझा रखा जाता है। उससे सफाई का काम करने और सोमवार की परेड की तैयारी करने का काम लिया जाता है। इसकी तरफ उसका ध्यान लगा रहता है। उस दिन अगर वह सफाई का काम न करे या परेड की तैयारी न करे तो दूसरे दिन परेड के वक्त में उसे काफी परेशानी का मुकाबिला करना पड़ता है। कैदी ज्यों ही जेलखाने के अन्दर दाखिल होता है एक होड़सी मच जाती है जेलखाने की अथारिटी और उस कैदी के अन्दर। कैदी सम्मानपूर्वक जैसे बाहर रहता आया है, वैसे ही सम्मानपूर्वक वहां भी रहना चाहता है, लेकिन जेल अथारिटी सम्मानपूर्वक उसको रहने नहीं देना चाहते। पग-पग पर जेलखाने के अन्दर दाखिल होने के साथ ही धोती फाड़ो, जोड़े से बैठो, इस तरह चलो, साहब आ गये खड़े हो जाओ, यह ऐसी बातें होती हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर मानसिक असर पड़ता है। जोड़े से बैठने में और कपड़े के सवाल में हर जगह पर उसको परेशानी का मुकाबिला करना पड़ता है।

श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आज जेलखानों के अन्दर राजनीतिक बंदियों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। राजनीतिक बंदियों को क्रिमिनल बंदियों की तरह से रखा जाता है। यह मांग अंग्रेजी जमाने से चली आ रही है। अंडमान की कोठरियों से लेकर हिन्दुस्तान की जेलों में सैकड़ों आदमियों ने अनशन करके अपने प्राण दिये और फाकाकशी की और अंग्रेजों ने बहुत कुछ राजनीतिक बंदियों के साथ किया भी और कुछ सुविधा मिली लेकिन आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वही दशा है। मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इसके ऊपर गौर करें और यह बुनियादी सवाल जो राजबंदियों का है इसको हल करने की कोशिश करें। अगर इसको हल नहीं किया गया तो आये दिन जेलों के अन्दर झगड़े खड़े होंगे और वह इस नतीजे तक पहुंचेंगे कि मौजूदा सरकार को इस सवाल को लेना पड़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को लीजिये और चाहे किसान आन्दोलन हों, चाहे मजदूर या विद्यार्थी

आन्दोलन हों, अगर ये गिरफ्तार हों तो उनको राजबन्दी माना जाय और जिस तरह की सुविधा उनको बाहर समाज में प्राप्त थी उसी तरह की उच्चश्रेणी की सुविधा उनको जेलखाने के अन्दर भी मिलनी चाहिये।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान के संबंध में बोलने का अवसर दिया। प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में मैं अपने कुछ विचार आपके सन्मुख रखना चाहता हूं। अभी हाल में हमारे उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जेल में खाने पीने की व्यवस्था ऐसी की जाय कि जो कैदी हों वे अपने आप खायें बनायें। इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि इस तरह की व्यवस्था कैदियों के लिये कर दी गई तो जो छूआछूत मानने वाले भाई हैं वह वहां छूत को और भी बढ़ा देंगे। दूसरे जो भाई जेल जाने से डरते हैं और कुछ बुराई करने से डरते हैं उनमें बुराई की और ज्यादा आदत पड़ जायगी। मैं चाहता हूं कि यह तरीका जो जेलखानों में है एक साथ बैठकर खाने का वह कायम रखा जाय।

दूसरी बात यह है कि हमारे एक साथी कांग्रेसी भाई ने कहा कि "बुभुक्षितः किं न करोति पापम्" यानी जो भूखा मरता है वही जेल जाता है। मैं आपसे यह कहूंगा कि आप जेल यात्रियों का सर्वे कर लें और देख लें कि वहां पर जाने वाले अधिक पेट भरे हैं या भूखे हैं या गरीब ज्यादा हैं। इससे आपको पता चलेगा कि गरीब ज्यादा जेल जाते हैं या पेट भरे लोग जेल जाते हैं। जो पेट भरे होते हैं वही जेल ज्यादा जाते हैं। हमारे रहीम कवि ने कहा है कि "कह रहीम यह पेट हों, क्यों न भयो तू पीठ, भूखे मान बिगारे भरे बिगारे दीठ" जो भूखा होता है वह अपने को अपमानित जरूर मानता है क्योंकि वह गरीब होता है परन्तु जो पेट भरा होता है उसका नजरिया बदला हुआ होता है। इसलिये ऐसे लोग ही जेल जाने का काम करते हैं। मैं इसको कतई सही नहीं मानता कि जो भूखे होते हैं वे जेल जाते हैं। जो भूखे हैं उनमें ज्यादातर हरिजन हैं। मेरा यह दावा है कि जेल जाने वालों में उनकी संख्या अधिक होगी जो कि हरिजन नहीं है। इसलिये यह कहना कि जो भूखे होते हैं वे जेल जाते हैं सही नहीं है। मैंने जेल में जाकर एक जलसा देखा। उसमें सरकार की तरफ से उनके सुधार के लिये बहुत कुछ काम होता है। मैंने वहां कैदियों को आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते देखा। उस समय कैदी अपने तमाम आन्तरिक रंज को भूल जाता है। गाने गाते हैं, बजाते हैं और अच्छी नसीहत की बातें सुनते हैं। ऐसी हालत में जो तरीका सरकार ने अपनाया है वह अच्छा है। कैदी आपस में मिलजुलकर कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आपस में प्रेम बढ़ता है। इससे उनके अन्दर जो दुर्भावना रहती है वह हटकर उनके अन्दर अच्छी भावना पैदा होती है। कैदी और हवालाती एक जगह रखे जाते हैं। यह अच्छा नहीं है। होना यह चाहिये कि दूसरी जगह उनको रखा जाय। बहुत से हवालाती कैदियों के पहुंचने पर जो पुराने कैदी होते हैं वे उन्हें रास्ता सिखाते हैं यह कि वे ऐसे-ऐसे बयान दें कि वह फंसने न पायें। इसलिये हवालाती भड़क जाते हैं और उनमें ऐसी बुराइयां आ जाती है। यह तरीका अच्छा है कि कैदी और हवालाती अलग-अलग रखे जायं।

एक बात मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आज कल राजनीतिक पीड़ितों को जेल से प्रमाण-पत्र लेने की जरूरत पड़ती है। वह आजादी के सनिक, जिन्होंने अपना मस्तक ऊंचा कर के आजादी की लड़ाई लड़ी, जेल गये और यातनायें भोगीं, वे प्रमाण-पत्र के लिये साधारण कर्मचारियों के सामने गिड़गिड़ाते हैं और उनका काम नहीं होता। बड़ी बेशर्मी की बात है, लेकिन वह कहते हैं कि हम से टके मांगे जाते हैं और हम टके कहां से पायें। वे अपने स्वाभिमान को वहां जा कर खोयें, यह नहीं होना चाहिये। तो जिन लोगों ने जेल-यात्रा की है और प्रमाण-पत्र चाहते हैं उनको अधिक से अधिक सुविधा दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

[श्री ज्वाला प्रसाद कुरील]

मुझे यह भी अनुभव हुआ है कि कुछ भाई जो परेशान होते हैं वह जेल इसलिये भी जाना चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर खराब न माना जाय। वह तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसी संस्था हो कि जो जेल जाने का काम शुरू करती हो तो उसके जरिये हम जेल चले जायं। ऐसे लोगों को कुछ न कुछ ऐसी संस्थायें मिल ही जाती हैं और वे लोग अपनी तलाश में सफल होते हैं। महज उन संस्थाओं में उनको इसलिये लिया जाता है कि वे नये जेलयात्री बन सकें। ऐसी हालत में हमारे दोस्तों को चाहिये कि वे पहले देख लें कि जो व्यक्ति जेल जाने के लिये तैयार हैं वे सही भावना से प्रेरित हो कर जेल जाना चाहते हैं अथवा किसी निराशा की भावना से प्रेरित हो कर हमारे साथ आये हैं और जेल जाना चाहते हैं। अगर इस बात पर ध्यान दिया जाय तो जेल जाने वालों की तादाद में कमी हो जाय।

इन विचारों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

(श्री गजेंद्र सिंह का नाम पुकारने पर)

श्री ब्रजगोपाल सक्सेना (जिला हमीरपुर)---मैंने भी एक कटौती का प्रस्ताव दिया था। क्या आप सारी की सारी कटौतियां एक साथ ले लेंगे ? मैं अपनी कटौती पर बोलना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---आप बीच में खड़े नहीं हुये। अब तो समय नहीं रहा। सवा दो बजे यह ग्रांट खत्म होनी है। आप कृपा कर बैठें।

***श्री गजेन्द्र सिंह**---अधिष्ठाता महोदय, ७५ नये पैसे के स्थान पर साक्षियों का दैनिक भत्ता जो १ रुपया किया गया है वह आज की मौजूदा व्यवस्था को देखते हुए बहुत ही कम है, नाकाफी है। अगर साक्षी गांव से शहर जाता है इस सिलसिले में तो उसको सारे दिन रुकना पड़ता है और इसलिये उसको कम से कम २ रुपये भत्ता मिलना चाहिये। जब उनको काफी पैसा नहीं मिलता तो नतीजा यह होता है कि भ्राष्टाचार बढ़ता है और जो सिपाही या थानेदार केस की पैरवी करते हैं उनको अपने पास से पैसा देना पड़ता है और इस वजह से उनमें रिश्वत लेने की मनोवृत्ति बढ़ती है। इसलिये इसमें बढ़ती की आवश्यकता है।

अधिष्ठाता महोदय, १०९ और ११० के जो हवालाती कैदी होते हैं या रेलवे के छोटे केसेज के तथा जो छोटे-छोटे बच्चे आते हैं उनके लिये माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करें कि उनके केसेज जल्दी से डिस्पोज आफ कर दिये जाया करें। देखा यह जाता है कि १०९ और ११० में काफी तारीखें पड़ती हैं, काफी गवाहियां होती हैं और ६,६ महीने लग जाते हैं। लिहाजा इसमें जल्दी करने की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ जैसा एक माननीय सदस्य ने बतलाया, राजनीतिक बंदियों के साथ अच्छे किस्म का व्यवहार होना चाहिये क्योंकि वे अपराधी नहीं हैं। राजनीतिक बन्दी अपनी भावना को ले कर एक नये समाज के निर्माण की बात करते हैं। यह बात ऐसी नहीं है। किसी दिन ट्रेजरी बेंचेज के साथी भी राजनीतिक बन्दी थे और उन्होंने समाज को बदलने के लिये और एक नये समाज लाने के लिये बीड़ा उठाया था, देश की आजादी का उन्होंने आन्दोलन किया था, जेल गये थे और आज जो इधर के बैठने वाले हैं, हम भी समझते हैं कि समाज में बदलाव होना चाहिये आजके समाज में भ्रष्टाचार है, बराबरी नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था है इससे लोगों कों न्याय नहीं मिलता है इसलिये समाज में परिवर्तन करना है उसके लिये देश के अन्दर आन्दोलन होते है और वह जेल मे भी जा सकते हैं। इसलिये राजनीतिक बंदियों के साथ सम्मान का वरताव होना चाहिये। आज जेलों मे जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा होता है, स्टेटस ऊंचा होता है उसको सुपीरियर क्लास दिया जाता है और दूसरों के साथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

इंफीरियर क्लास का वर्ताव किया जाता है। यह ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिये किसी भी क्वालिफिकेशन या दूसरे आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिये बल्कि मानव मानव है, उसकी खाने की आवश्यकता है, पहिनने की आवश्यकता है उसी के आधार पर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, यह ट्रीटमेंट ऐसी सरकार द्वारा किया जाता है जो कहती है कि हम समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं यह उसके लिये शेमफुल है। इसको दूर करना चाहिये और राजनीतिक बंदियों के साथ अच्छे किस्म का व्यवहार करना चाहिये।

इसके साथ ही साथ कैदियों से जो मुलाकात का प्रश्न है उसमें आज कल भी उसी प्रकार की परेशानी उठानी पड़ती है जोकि उन दिनों में उठानी पड़ती थी जब कि हमारे मंत्री महोदय जेलों में रहे हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर बतलाना चाहता हूं कि जो मुलाकात करने आते हैं उनसे पैसा लिया जाता है और उनका समान जमा नहीं किया जाता है और बहुत सी अड़चनें पैदा की जाती हैं और मुलाकात करने नहीं दी जाती हैं। बहुत सा पैसा खर्च करके लोग देहातों से आते हैं उनको हैरस किया जाता है, इस दिशा में भी सुधार की आवश्यकता है।

अधिष्ठाता महोदय, जेलों में जो अखबार दिये जाते हैं वह सरकार द्वारा निश्चित होते हैं और उनके अलावा यदि कोई अपने इंटेरेस्ट वाला अखबार मंगाना चाहे तो वह मंगा नहीं सकता। इसलिये अखबारों और किताबों के मंगाने में पूरी सुविधा होनी चाहिये और जो जिस दर्शन या धर्म की या राजनीतिक विचारधारा की किताब मंगाना चाहे वह मंगा सके और पढ़ सके ताकि उसको अपने इंटरेस्ट का मानसिक भोजन मिल सके।

इसके अतिरिक्त जेल के एकाउन्ट्स को चेक करने के लिये एक विशेष जेल एकाउन्टेंट की नियुक्ति होनी चाहिये क्योंकि एकाउन्ट में बड़ी परेशानी होती है और ठीक ढंग से चेकिंग नहीं होती है। इसलिये इसकी भी आवश्यकता है।

इसके अलावा जेल रिफार्म कमेटी ने लिखा है अपनी सिफारिश में कि सेंट्रल जेलों में दो डाक्टर और दो कम्पाउन्डर होने चाहिये और डिस्ट्रिक्ट जेलों में एक डाक्टर और एक कम्पाउन्डर होना चाहिये लेकिन आज बहुत सी जेलों में देखा जाता है कि अगर डाक्टर है तो कम्पाउन्डर नहीं है और अगर कम्पाउन्डर है तो डाक्टर नहीं है। लिहाजा इस किस्म की व्यवस्था मेडिकल और हेल्थ के दृष्टिकोण से आवश्यक है और एक कमेटी की सिफारिश भी है इसलिये उसी के अनुसार यह होना चाहिये।

इसी के साथ-साथ जो बाल अपराधी हैं उनको अन्य कैदियों के साथ नहीं रखना चाहिये क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों पर, अन्य कैदी जो होते हैं उनका बुरा असर पड़ सकता है जिससे बजाय सुधार के और ज्यादा कमजोरी उनमें आ सकती है लिहाजा उनको एक साथ नहीं रखना चाहिये। इससे चरित्र पर बड़ा भारी असर पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**—श्रीमन्, मैं सचमुच उन सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं। मुझे यह जरूर कुछ खयाल है, मेरे मन में कि माननीय सदस्य, चाहे इधर बैठे हों चाहे उधर बैठे हों, कि जैसे अंग्रेजी में 'जेनरेलाइजेशन्स' कहते हैं केवल उन पर अपने तर्कों को आधारित न करें तो शायद अच्छा हो। कुछ तो बातें शायद ऐसी हैं जिनका मेरे पास भी उत्तर नहीं बन पड़ेगा। कहा यह गया कि देखने में तो ये ओपिन एयर कैम्प्स अच्छे हैं लेकिन अन्दर से कैसे हैं, हमें नहीं मालूम। मैं इसका क्या उत्तर दूं? मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे मित्र जिस समय भी चाहें उन कैम्प्स को देखें और देखते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

शायद उनका तर्क यह है कि मैं या जेल के अधिकारी जेल की सरप्राइज विजिट्स करें। उनकी सूचना के लिये मैं बतलाना चाहता हूं कि यह होता है और अभी इस दौरान में मुझे भी २,३ जेलों को सरप्राइज विजिट करने का अवसर मिला है।

मेरे मित्र ने कहा कि जेल के खाने-पीने के सामान में बड़ी गड़बड़ी है। मैं उनको यही विश्वास दिला सकता हूं कि जब कभी भी ऐसा अवसर आवेगा तो कड़े से कड़ा दंड संबंधित कर्मचारी को दिया जायगा। जहां तक यह बात है कि साग खराब मिलता है या जेल वाले सब खा जाते हैं या रोटी बजाय ७ इंच के ९ इंच की मिलती है, तो मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि यदि उनमें से कोई भी शिकायत सही हो तो उसके लिये जेल विभाग चुप नहीं बैठना चाहता है और अधिक से अधिक सजा देना चाहता है। इसमें तनिक भी हिचक नहीं की जायगी।

एक आम सवाल उठाया गया कि राजनीतिक बंदियों के संबंध में जेल में व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं चाहता था और चाहता हूं और अपने मित्रों को दावत देता हूं कि वे अपने सुझाव मुझे मौखिक या लिखित देने की कृपा करें तो अच्छा है। किसी देश में किस प्रकार की व्यवस्था राजनैतिक बंदियों के लिये की जाती है, उसकी कोई अच्छी बात हो तो वे अवश्य मुझे दें। यदि मेरे मित्रों की कोई शिकायत आती है तो उस पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है भले ही वह किसी तरफ बैठने वाले हों। एक बात कहने से शायद मैं अपने को न रोक सकूं। मुझे तकलीफ होती है अगर कोई भी माननीय सदस्य जो कि निश्चय ही उतने सम्मानीय हैं जितना मैं हूं, ऐसी शिकायत करते हैं जिसके पीछे तथ्य नहीं होता। मैं माननीय मित्रों से यह जरूर चाहूंगा कि जरा सा यह खयाल रखते हुये कि हम सब एक ही नाव में चलने वाले हैं और सबका एक ही उद्देश्य है मुझे अपनी शिकायतें भेजें, यह मेरे लिये अधिक सहायक सिद्ध होगा।

जेल के डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज की नियुक्ति के संबंध में भी बहुत जिक्र हुआ। यह तो सही है कि वह बेचारे अधिकारी यहां नहीं हैं और उनके पीछे कुछ भी कहना आसान है। लेकिन मैं सदन को इसके बारे में अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं। वह जरूर मैट्रीक्यूलेट हैं। उनकी नियुक्ति का सीधा-सा इतिहास यह है कि मेरे मित्र ने जिस कमेटी का जिक्र किया, यू० पी० जेल इंडस्ट्रीज एडवाइजरी कमेटी, उसने यह सिफारिश की थी कि जेलों में उद्योगों की उन्नति और विकास के लिये यह आवश्यक है कि एक अलग से डायरेक्टर नियुक्त किया जाना चाहिये। उसके लिये एडवरटिजमेंट हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। मेरे मित्रों ने बार-बार कहा कि कमीशन ने उनकी नियुक्ति नहीं की और दुर्भाग्य से उन्होंने मुझे भी बख्शने में कसर नहीं की, यद्यपि शायद उन्हें मालूम नहीं है कि मेरे इस विभाग में आने से पहले ही उनका चुनाव हुआ था। लोक सेवा आयोग ने एडवरटिजमेंट यह निकाला था कि

"Academic qualifications relaxable in case of those who possess considerable practical experience in the technique of cottage industries, industrial organization and marketing of raw materials and finished goods." यही नही, बल्कि "Upper age limit relaxable in case of permanent Government servants of U. P"

लोक सेवा आयोग के सामने यह सज्जन जिनकी नियुक्ति हुई आये और उसने उन्हें चुना। पहली दिसम्बर, १९५६ से यह सज्जन निरन्तर जेल में डायरेक्टर आफ जेल इंडस्ट्रीज का कार्य करते रहे हैं यही नहीं बल्कि लोक सेवा आयोग ने हमको दोबारा यह लिखा कि जब उनके यहां से एक आदमी का चुनाव होता है तो वह ठीक होता है और हमारी दृष्टि में भी वह एक अत्यन्त उपयोगी अधिकारी हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि मेरे मित्र अपनी गलतफहमी को ठीक कर लें।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, यह मेरे प्रश्न के संबंध में है, इसलिये हमको भी मौका होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—आपके लिये अब मौका नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उनकी टेक्निकल क्वालीफिकेशन के लिये यह बात है कि एडवर्टिजमेंट में था कि "Practical experience in the technique of cottage industries, industrial organization and marketing of raw materials and finished goods." इन सभी क्वालीफिकेशन्स का उनमें समन्वय था। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के मार्केटिंग और सभी अंश से वह संबंधित रहे हैं।

श्री उग्रसेन—उनके विरुद्ध माननीय आई० जी० साहब ने कोई आरोप लगाये थे और कैरेक्टर रोल में एंट्री वगैरह थी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यदि कोई भी आदमी अपने अनुभव से, अपने कार्य और सच्चरित्र से ऊंचा उठता है तो यह राज्य कभी भी उसे मना नहीं करेगा।

मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं। आल-इंडिया जेल मैनुअल का प्रश्न उठाया गया। उसमें शायद कुछ कमियां हैं और यह सही है कि जेल मैनुअल के सुधार की योजना निरंतर चल रही है। मगर उसमें हमारी कठिनाई यह है कि वह सारे भारतवर्ष से संबंधित विषय है और इसके लिये एक आल इंडिया जेल मैनुअल अमेंडमेंट कमेटी बनी हुई है। हमारे प्रांत के कारागार निरीक्षक भी उसके सदस्य हैं। इस पर कार्य चल रहा है और बहुत शीघ्र हम चाहते हैं कि उसमें अमेंडमेंट हो जाय। जो जो ऐसी धारायें हैं, जिनमें अमेंडमेंट होने चाहिए, उनमें किया जाय।

क्रास बार्स का भी जिक्र किया। शायद उनको मालूम है या नहीं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि काफी समय हुआ क्रास बार्स अबालिश कर दी गयी हैं। अब नहीं डाली जाती है।

एक सवाल हवालाती बंदियों से काम लेने का उठाया गया। हमारे एक मित्र ने कहा कि हवालाती बंदियों से काम लिया जाना चाहिये। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि अपने लाभ के लिये काम करने के लिये उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। केंद्रीय जेल नैनी, जिला जेल आगरा, मेरठ, सीतापुर और वाराणसी में काम लिया जाता है और निरंतर ऐसे लाभकारी कार्यों में लगाया जाता है लेकिन किसी प्रकार से जबरदस्ती नहीं की जाती है। उनके लिये भी अच्छा यही है कि वे अपने लाभकारी कार्यों में लगे रहें।

अखबारों और एकोमोडेशन का भी जिक्र किया गया। अगर मेरे मित्रों ने इस बजट साहित्य को ही पढ़ा होता तो उनको मालूम होता कि २०० बंदियों के पीछे एक हिन्दी का अखबार और बढ़ाया गया है। जहां तक एकोमोडेशन का प्रश्न है, यह सरकार के सामने निरन्तर रहता है। सुल्तानपुर और दूसरे स्थानों में जहां फांसी के कैदी रहते हैं, उनके एकोमोडेशन के प्रश्न का प्राविधान किया गया है, नयी बैरकें उनके लिये बनायी गयी हैं। लैंसडाउन में भी एक सब जेल का प्राविधान किया गया है।

श्रीमन्, मोटे तौर पर मेरे मित्रों ने इन्हीं चीजों का जिक्र किया था जिनका उत्तर मैं दे चुका हूं। इसके अतिरिक्त डिप्टी जेलर और असिस्टेंट जेलर का भी सवाल उठाया गया। डिप्टी जेलर ग्रेजुएट हैं और असिस्टेंट जेलर इंटरमीडियेट हैं। असिस्टेंट जेलर की एक क्लैरिकल पोस्ट होती है सिवाय इसके कि वह जेल बन्द करता है। डिप्टी जेलर जेल के प्रत्येक काम में जेलर की सहायता करता है। इसी प्रकार से जितने और अधिकारियों का जिक्र किया गया हमारी यह कोशिश रहती है कि अधिकारियों को उचित वेतन मिले और अगर अधिकारियों की संख्या में कहीं कमी की जा सकती हो तो की जाय।

अब मैं और अधिक समय इस सदन का नहीं लूंगा और जो चीजें मैंने सदन के सामने रखी हैं, उनको देखते हुए मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस ले लेंगे।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान १७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

जेल में कैदियों के साथ वर्ताव में सुधार की आवश्यकता।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान १७ के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

टेहरी जिला जेल में कताई बुनाई के कार्यों के सम्बन्ध में पर्याप्त ध्यान न दिया जाना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में .. १३,

विपक्ष में .. ६९।)

श्री अधिष्ठाता---अब श्री राजनारायण का कटौती का प्रस्ताव मैं रखता हूं।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान १७ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

जेलों के प्रबन्ध में सुधार की आवश्यकता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---अब श्री ब्रजगोपाल सक्सेना का कटौती-प्रस्ताव मैं रखता हूं।

श्री ब्रजगोपाल सक्सेना---श्रीमन्, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७---जेल---लेखा शीर्षक २८---जेल के अन्तर्गत १,६५,६७,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३---लेखा शीर्षक ५७---समाज कल्याण

*समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३---समाज कल्याण---लेखा शीर्षक ५७---प्रकीर्ण के अन्तर्गत ४०,९६,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं प्रारम्भ में बहुत अधिक बातें कह कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। इस मांग का बहुत विस्तृत व्योरा जितना कि इस छोटी सी मांग का होना चाहिये था इस आय-व्ययक लेखे के साहित्य में है। बहुत मोटे तौर पर कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। समाज कल्याण के अन्तर्गत कुछ कार्य हमारे प्रदेश में १९५५ से प्रारंभ हुए और एक प्रकार से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सन् ५५ ही से हमारे यहां समाज कल्याण विभाग यहां सेक्रेटेरियट में और उसके डायरेक्टोरेट की भी स्थापना हुई। समाज कल्याण की भावना किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिये उसके कार्यों का एक आवश्यक अंग अवश्य होगी। इसका एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है जिसमें राज्य सरकार की ओर से प्रचलित बहुत सी सेवायें आती हैं। उन सेवाओं के लिये अपने अलग मंत्रालय हैं और उनमें अपना कार्य होता है। लिहाजा जहां तक केवल समाज कल्याण का प्रश्न है उसमें मुझे यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि अभी हम लोगों ने केवल कुछ कार्य प्रारम्भ किये हैं। लेकिन उसके बहुत से कारण हैं। जब तक समाज इस स्थिति में नहीं पहुंचता कि वह इन कार्यों के लिये धन कहीं से ले सके और कल्याणकारी कार्यों को पूरे तौर से कर सके तब तक इन लक्ष्यों की पूर्ति होना भी शायद संभव नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि शायद उसमें कुछ समय लगे, विशेषकर इसलिये कि समाज का वह ढांचा जिसमें उसकी आर्थिक व्यवस्था पूरे तौर पर ठीक हो सके, शायद हमारे यहां भी बनने की दिशा में है और इन परिस्थितियों में जितने कुछ कार्य हम करते हैं वे बातें इतनी हैं जिनके सम्बन्ध में यह कह सकते हैं कि वे भी गौरवपूर्ण हैं।

मोटेतौर पर समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत ३, ४ कार्य होते हैं। समाज कल्याण समितियों का निर्माण प्रदेश के सभी जिलों में है। यह समाज कल्याण समितियां समाज के गिरे हुए, संतप्त और उन सारे अंगों का जो कमी वाले अंग हैं, निर्माण का कार्य करती हैं। इन समितियों के अन्तर्गत स्थान स्थान पर शिशु क्रीड़ा केन्द्र और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की भी स्थापना का प्रयास किया जाता है। मैं नहीं जानता और कम से कम मेरी दृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें कि समाज कल्याण केन्द्रों की स्थापना न हुई हो और उनके अन्तर्गत मुहल्ला समितियों की स्थापना न हुई हो। प्रत्येक मोहल्ला के लिये एक समिति इस विभाग के अन्तर्गत बनती है और प्रत्येक जिलाधीश को जिलों में समाज कल्याण समितियों के कार्य में प्रगति के लिये एक धन-राशि दी जाती है और उसके सम्बन्ध में एक मोटी शर्त यह होती है कि ५० प्रतिशत मुहल्ला समाज कल्याण समितियां दें और ५० प्रतिशत सरकार की ओर से जिलाधीश देते हैं और उसके द्वारा ये शिशु कल्याण केन्द्र या प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र या इस प्रकार के दूसरे समाज उपयोगी कार्यों को किया जाता है जिनमें कहीं कहीं औषधालयों की भी स्थापना हुई है।

इस सम्बन्ध में मैं सदन में यह भी निवेदन कर दूं कि कुछ और ऐसी संस्थायें हैं जो कि स्वेच्छा से समाज कल्याणकारी कार्य करती हैं और उन सभी संस्थाओं को राज्य की ओर से धनराशि दी जाती है सहायता और अनुदान के रूप में। इस चालू वर्ष में ५,८८,२०० रुपये का अनुदान इस प्रकार की संस्थाओं को दिया गया लेकिन यह जो आगामी वर्ष है इसमें ६,३४,२०० रुपये का प्राविधान किया गया है। मोटे तौर पर ये संस्थायें समाज के कल्याणकारी कार्यों में हाथ बटाती हैं और उनके सम्बन्ध में यह विश्वास हो जाने पर कि उनका कार्य उपयोगी है प्रायः प्रत्येक संस्था की सहायता करने की कोशिश की जाती है, जिसका कार्य अच्छा हो। श्रीमन्, समाज कल्याण विभाग के कार्य का दूसरा बहुत बड़ा अंग इस देश में नारी जाति की जागृति से सम्बन्धित है। आम तौर पर और एक प्रकार से यदि उसको स्वीकार किया जाय ग्रामीण महिलाओं के जीवन में नई जागृति लाने की चेष्टा इस विभाग की ओर से पर्याप्त मात्रा में पिछले दिनों की गई। ३३ जिलों में इस प्रकार का कार्य होता है। महिला मंगल योजनाओं के अन्तर्गत इन जिलों में ३१६ महिला मंगल केन्द्र स्थापित हैं। कई प्रकार का कार्य होता है महिलाओं की सुरुचि के लिये, सांस्कृतिक जीवन के लिये, कुछ शिक्षा के लिये और उनके स्वास्थ्य से सम्बन्धित जितना ज्ञान दिया जा सकता है उसको भी देने की चेष्टा की जाती है। स्थान-स्थान पर उनके नित्य प्रति के कार्यों में जिन चीजों से सहायता उनको मिल सकती है उसकी भी कोशिश की जाती है। जैसे सीना, पिरोना और कढ़ाई आदि का कार्य। केन्द्रीय सरकार के द्वारा भी महिला मंगल योजनायें प्रदेश में चालू हैं उसके लिये एक स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड है जिसके द्वारा कार्य होता है। प्रदेश की सरकार भी उसको एक चौथाई रुपया देती है, ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देती है और शेष २५ प्रतिशत उनको चंदे से लेना पड़ता है। समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा भी ३३ जिलों में इसी प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं जिनमें महिलाओं की जागृति के कार्य प्रमुख हैं।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

इन ३३ जिलों में से १७ जिलों में २ और १६ जिलों में १ कल्याण विस्तार योजनायें उनके द्वारा चल रही हैं। महिला मंगल योजनाओं के अन्तर्गत हमको ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के केन्द्र हमारे प्रदेश में हैं ३ बालबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र और २ गृह विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ और दुहाई, जिला मेरठ में काम कर रहे हैं। अभी हाल में केन्द्रीय सरकार ने यह बताया कि वे हमारी कुछ सहायता से ४ गृह विज्ञान और भी स्थापित करने को तैयार हैं। हमने उनकी सहायता स्वीकार की है और ४,९९,६०० रु० का प्राविजन इस बजट में किया गया है। इस प्रकार ४ नये केन्द्र ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण के खोलने की व्यवस्था है इनमें से प्रत्येक केन्द्र पर ४० ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जायगा।

युवकों का भी समाज कल्याण से बहुत निकट का सम्बन्ध है। यह सही बात है कि युवकों के लिये कोई अलग से कार्यक्रम अभी सरकार की ओर से चालू नहीं है। यह भी सत्य है कि सरकार की ओर से इस प्रकार के कार्यक्रम चालू किये जायं इसमें बहुत दूर से कोई लाभ की भी आशा नहीं है वरन् इसके बिल्कुल विपरीत जहां तक युवक शिविरों का सम्बन्ध है तो युवक शिविरों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार की ओर से धन की सहायता की जाती है। पिछले साल ३४,६०० रु० इस कार्य के लिये दिया गया और इस बजट में भी ३०,००० रु० का प्राविधान है जिसमें युवकों के शिविरों के लिये और युवकों से सम्बन्धित जितना कार्य हो सके उनके नित्य प्रति के जीवन में विकास की आशा लाने के लिये यह ३०,००० रु० का प्राविजन किया गया है। श्रीमन्, सरकार की ओर से एक अंध विद्यालय, लखनऊ में चलता है। इसके लिये ६० हजार रुपये का प्राविधान है। एक अंध विद्यालय गोरखपुर में और मूक बधिर विद्यालय आगरा में चलते हैं और इसके लिये भी एक लाख रुपये का प्राविधान है। सामाजिक एवं नैतिक स्वास्थ्य तथा उत्तर रक्षा योजना के सम्बन्ध में ६ लाख एक सौ रुपये का प्राविधान किया गया है।

सामाजिक एवं नैतिक स्वास्थ्य और उत्तर रक्षा का कार्यकम है, इसके साथ में आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता और भी लगी हुई है। प्रदेश में कुछ उसके सम्बन्ध में चर्चा भी है, स्त्रियों और बालिकाओं में अनैतिक व्यापार को रोकने के संबंध में। इसके सम्बन्ध में जैसा कि सदन को ज्ञात है, स्त्रियों और बालिकाओं में अनैतिक व्यापार को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार का एक अधिनियम पास हुआ १९५६ में। १ मई, १९५८ से सारे प्रदेशों में लागू हुआ। हमारे प्रदेश में भी तब से लागू है। हमारे प्रदेश में इसके सम्बन्ध में कुछ थोड़ा कार्य हम कर पाये हैं। इस प्रदेश के ६ जिलों में इसको लागू किया गया है, देहरादून, अलमोड़ा, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी और मेरठ में। इन ६ जिलों में स्पेशल पुलिस आफिसर्स नियुक्त किये गये हैं और इसके अतिरिक्त देहरादून और वाराणसी में दो निस्तारण संगठनों के लिये भी अधिकारी नियुक्त किये गये। यानी वे लोग इस प्रकार की बालिकाओं और स्त्रियों में इस प्रकार का अनैतिक व्यापार और अनाचार रोक सकें। यह सत्य है कि श्रीमन्, यह चर्चा हुई कि अनैतिक व्यापार से रोके जाने वाली बालिकाओं और स्त्रियों के लिये कौन-सी ऐसी योजना है जिसके द्वारा कि उनको इस ओर जाने से स्थायी रूप से रोका जा सके। मैं नहीं जानता श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में भविष्य ही बता सकेगा। लेकिन इतना मुझे ज्ञात है कि अनैतिक व्यापार को रोकने के लिये जो कदम इन ६ जिलों में उठाया गया, मेरा ऐसा विश्वास है कि शायद वह काफी सफल हुआ। कम से कम इतना तो अवश्य हुआ कि अनैतिक व्यापार में बहका कर लाई जाने वाली बालिकाओं और स्त्रियों को शायद अब बहका कर नहीं लाया जा सकेगा। इस प्रकार का अनैतिक व्यापार समाज में खुले दिन दहाड़े चलता रहे यह किसी भी समाज के लिये स्वस्थ्य परम्परा नहीं बन सकती। यदि किसी भी समाज को स्वस्थ होना है तो इस प्रकार का काम करना पड़ेगा। धन को देखते हुए जो कुछ किया जाना सम्भव था, हम करने की चेष्टा कर रहे हैं।

हमारे पास इस समय २१ ऐसे स्थान हैं जिनमें कि हम इनको वहां से बचा कर रखने की चेष्टा कर रहे हैं। यह जिला शरणालय एवं प्रवेशालय, प्रोटेक्शन-कम-रिसेप्शन सेन्टर्स, कहलाते हैं और बरेली, अलमोड़ा, हल्द्वानी, कोटद्वार, टेहरी, कानपुर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद,

गाजीपुर, गोरखपुर, और फैजाबाद इन बारह जगहों पर केवल स्त्रियों के लिये है। उन्नाव, शाहजहांपुर, एटा, मैनपुरी, जालौन, मेरठ, बदायूं, फतेहगढ़ और लखनऊ में पुरुषों के लिये हैं। इनके अतिरिक्त ६ स्थानों पर, ५ स्थान हमारे यहां ऐसे हैं कि जहां स्टेट होम्स या राज्य सदन खोले गये हैं—उनमें एक देहरादून में है जिसको कि इस अधिनियम के अन्दर रेस्क्यू होम घोषित किया गया है और यह अनैतिक आपदाओं से विमुक्त महिलाओं को रखने के काम में आयेंगे। इसके अलावा कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और मेरठ में भी ऐसे स्टेट होम्स हैं जिनमें कि इस प्रकार की महिलाओं को समय और आवश्यकता के अनुसार रखा जा सकेगा। इस सम्बन्ध में भी चर्चा हो सकती है और कहा जा सकता है कि आखिर ऐसे समाज के अंग का क्या होगा जो कि शायद समाज की क्रूरताओं का ही शिकार हैं। हम इस समय केवल इतनी आशा तो कर ही सकते हैं कि आगे कोई इस प्रकार की समाज की क्रूरताओं का शिकार बन सके ऐसा अब सम्भव न होगा लेकिन आज जो इस प्रकार की क्रूरताओं का शिकार हैं उन को सिवा इसके कि कुछ समय तक ऐसे आवासों में रखा जा सके और उपयोगी शिक्षा दी जा सके और यदि समाज में खपाया जा सके तो उस दिशा में कार्य किया जाय। मेरे पास कुछ पत्र आये हैं कि जिनमें मुझसे मांग की गई है कि कुछ लोग समाज में ऐसे हैं कि जो इस प्रकार की निष्कासित महिलाओं से विवाह करने के लिये तैयार हैं। मैं खयाल करता हूं कि शायद यह बड़ी चीज है, जिस समाज में इस प्रकार का भ्रम हो इन आपदाग्रस्त महिलाओं के विषय में जिन का वास्तव में स्वयं का कोई दोष नहीं है उनको अपनाने के लिये यदि समाज में कोई तत्व हो और वह उन्हें शायद स्थान दे सकें तो यह बड़ी चीज होगी। कुछ ऐसा भी है कि यह जो हमारे स्टेट होम्स हैं उनमें यह और किन्हीं स्थानों में जहां रिसेप्शन-कम-प्रोटेक्शन सेंटर हैं उनमें केन्द्रीय मंत्रालय की सहायता से कुछ छोटे उद्योग-धंधों की स्थापना भी सरकार के दिमाग में है और यह भी सही है कि निरन्तर हम इसके लिये केन्द्र से मांग करते रहे हैं और केन्द्रीय सरकार ने हमारी इस मांग को स्वीकार भी किया है और उन्होंने हमसे चाहा है कि इस में ५० प्रतिशत व्यय हम करें और ५० प्रतिशत केन्द्र दे। इस तरह से आशा है कि हम कुछ स्थानों पर औद्योगिक केन्द्र स्थापित कर सकें छोटे उद्योगों को लेकर। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चय ही हमारे यहां का जो यह गिरा हुआ अंग है, समाज का वह अंग है जो सचमुच ही हमारे सामने एक प्रश्न सूचक चिन्ह के रूप में खड़ा है, उसका यदि हम कुछ प्रशिक्षण कर सकें और उसे समाज का एक उपयोगी अंग बना सकें तो वह एक क्रेडिट की बात होगी।

कुछ और भी दूसरी योजनायें हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है जैसे नर्सिंग का काम है या कुछ और कलात्मक प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में जिस में कि दूसरे प्रकार के सांस्कृतिक कामों को शामिल किया जा सकता है, यह भी सरकार के सामने विचाराधीन है। तो यदि किसी प्रकार से भी उनको किसी काम में लगाना सम्भव होगा तो सरकार उन को समाज में उचित स्थान दिलाने का प्रयास करेगी। यदि ऐसा सम्भव हुआ तो मैं यह विश्वास करता हूं कि यह सरकार एक बड़ा कार्य करेगी और एक ऐसा कार्य करेगी जिसके लिये कि कल्याणकारी राज्य में नये समाज की स्थापना के लिये शायद बहुत बड़ी आवश्यकता है। मोटे तौर पर यह काम आज इस प्रदेश में हो रहे हैं। कुछ नये प्राविधान भी नयी चीजों के हैं और मेरे मित्र यदि कष्ट करेंगे तो उनको वह सब बजट साहित्य में मिलेगा। संविधान की धाराओं के अनुसार हमको समाज कल्याण कार्य में प्रवृत्त होना चाहिये। समाज कल्याण का कार्य, जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था उसकी एक शाखा मंत्रालय में भी है और उधर उसका डाईरेक्टोरेट भी है। १०४ अधिकारी उसमें कार्य करते हैं। आज सारे के सारे अधिकारी अन्कन्फर्म्ड चले आते हैं और यह सवाल भी सरकार के सामने बहुत दिनों से रहा है कि यह जो कल्याण संचालकालय, डाईरेक्टोरेट, में अधिकारी कार्य करते हैं उनसे आखिर कितने दिन तक इस प्रकार अस्थायी रूप से कार्य कराया जाय। इसलिये सरकार ने तय किया है कि इनमें से २६ अस्थायी पदों को स्थायी कर दिया जाय जिससे इस विभाग में कुछ स्थायित्व आवे और कार्य आगे बढ़ सके।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा अपने मित्रों से कि कुछ पहले इसके सम्बन्ध में वह चर्चा करें, फिर यदि आवश्यक हो तो मैं उसके सम्बन्ध में कुछ अपने विचार प्रकट करूं ।

श्री पढ रराम (जिला गाजीपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान में निम्न कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं :

"सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्योरा जिसपर खर्चा करने का अभिप्राय है । विकास योजनाओं की कमी-विशेषकर स्त्रियों के हितों के लिये पर्याप्त मात्रा में प्रबन्ध न होना ।"

श्रीमन्, हमारा देश पिछड़ा देश है और अपने प्रदेश में समाज कल्याण का बहुत बड़ा महत्व है और इसकी तरफ हमारा जैसा ध्यान जाना चाहिये वैसा अभी तक गया नहीं है । आज इतने दिनों के बाद भी जहां तक भिक्षावृत्ति का सवाल है, जहांतक वैश्यावृत्ति का सवाल है, जहांतक समाज में उपेक्षित और गिरे हुए लोगों का सवाल है, मैं यह देखता हूं, बहुत उत्सुकता पूर्वक देखता हूं कि आज हालत ज्यों की त्यों पड़ी हुई है । आज पूरे प्रदेश में भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिये दो ऐसे स्थान चुने गये हैं जहांपर कुछ भिखारियों को रखा जा रहा है । आज हजारों नहीं, लाखों की तादाद में ऐसे भिखारी हैं जो कि अपने घिनौने शरीर और रूप को हमारे समाज में दिखा दिखा करके अपना पेट पालन कर रहे हैं । उन अंगहीन, दलित और तड़पते हुए भिखारियों को देख कर सचमुच इन्सानियत शरमाती है । सचमुच हमको वह दिन याद पड़ता है कि क्या आजाद हिन्दुस्तान में भी उन प्राणियों को जोकि इस प्रकार से उपेक्षित हैं, क्या होगा ? इसके लिये खास तौर से हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि ऐसे भिखारियों को जोकि घिनौने रूप में सड़कों पर उपेक्षित हैं उनको ऐसे शरण-गृहों में रखें जहांपर कि अपनी जिन्दगी के आखिरी दिन वह अच्छी तरह से बिता सकें, नहीं तो हमारे ये समाज के कलंक अपनी उन बीमारियों और प्रवृत्तियों को बढ़ाकर हमारे समाज में बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा करेंगे और उस गड़बड़ी को निवारण करने का दम हमारी सरकार के अन्दर न होगा । मैं अदब के साथ श्रीमन् के द्वारा, अपने मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं ।

दूसरी प्रमुख समस्या हमारे यहां वेश्यावृत्ति की है । वह भी हमारे देश के लिये एक कलंक की चीज है । उस समय गर्दन झुक जाती है जबकि अपनी माताओं और बहिनों को जोकि हमारे ही समाज का अंग हैं, अपनी अस्मत का सौदा करते हुए देखा जाता है । कोई भी स्त्री स्वभावतः अपनी अस्मत का सौदा नहीं करना चाहती, लेकिन समाज की कुरीतियों की वजह से अपनी आर्थिक कमियों की वजह से, समाज में अपने रहन-सहन के स्तर को कायम रखने की लालच में आज वे इस पेशे को अख्तियार किये हैं । इसको जितनी जल्दी समाप्त करना चाहिये उस तरफ हमारा कदम नहीं उठ रहा है । चन्द शरणगृहों को बना देने से, कुछ समितियों को बना देने से समाज का यह कोढ़ नहीं समाप्त होगा । कुछ ऐसी बहनों को जिनकी उम्र २०–२१ वर्ष की होती है कैम्पों में ले जाकर शिक्षित करने से ही काम नहीं चलने वाला है । बहुत सी ऐसी वेश्याएं जो कुछ पढ़ी लिखी हैं, जो अपनी बची हुई जिन्दगी को समाज की सेवा में लगाना चाहती हैं उनकी तरफ भी हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिये । जो स्त्रियां गृहस्थ जीवन को अपनाना चाहती हैं उनकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिये और ऐसे लोगों को जो उन्हें अपनाने के लिये तैयार हों हमें विशेष रूप से प्रोत्साहन देना चाहिये पैसे से, सर्विस से या और दूसरे तरीकों से ताकि वे सम्मान के साथ समाज में रह सकें ।

समाज कल्याण की ओर जब हम देखते हैं तो हमारी उस तरफ भी निगाह जाती है जहां समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा दलित और अछत के नाम से पुकारा जाता है । आज उनकी सामाजिक स्थिति ऐसी बना दी गयी है कि जिससे आदमी उनको आदमी नहीं, जानवर समझते हैं । छोटी सी झोपड़ी में एक तरफ हम बाप को वहीं पर बगल में लड़के को, वहीं पर उसकी बगल में पतोह तथा लड़की को देखते हैं, उसी एक कोठरी के अन्दर सुअर

और मुर्गियां बन्द देखते हैं और उसी में बिखरे हुए सामान को जब हम देखते हैं तो सचमुच आजाद हिन्दुस्तान में उनकी परिस्थिति को देख कर शर्म से हमारी गर्दन झुक जाती है। क्यास भी नहीं किया जा सकता कि ऐसे लोग लाखों की तादाद में आजाद हिन्दुस्तान में अभी मौजूद हैं, जो कि जूठे पत्तलों के लिये कुत्तों से, अपने पापी पेट की आग बुझाने के लिये, झगड़ा करते हैं। स्टेशनों पर आप देखें या किसी की मरनी, जीनी में आप देखें जहां जूठे पत्तल फेंके जाते हैं वहां एक तरफ कुत्ता दौड़ता है और दूसरी तरफ इनसान दौड़ता है, दोनों में झगड़ा होता है और जो हावी हो जाता है वह उस जूठे पत्तल का मालिक होता है। ऐसी परिस्थिति को हमें दूर करना है। आजाद हिन्दुस्तान के लिये यह कलंक की चीज है। कोई व्यक्ति यह काम इसलिये करता है कि वह परिस्थितियों से बाध्य है। उसको खाना चाहिये, कपड़ा, चाहिये, दवा चाहिये, रहने के लिये मकान चाहिये। ये चीजें उसको प्राप्त नहीं हो पाती हैं इसी कारण वह ऐसा करता है। हम मुसहरों की हालत को देखते हैं जो लाखों की तादाद में पूर्वी जिलों में बसे हैं। आकाश के नीचे फूस की छोटी-छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, लेकिन उनकी सब झोपड़ियों से फूस और बांस अगर निकाल लिये जायं तो एक आदमी आसानी से उन्हें ले जा सकता है। ऐसी परिस्थिति उनके सामने है कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है सिवाय इसके कि वह जंगल से पत्ते इकट्ठे करके पत्तल बनाकर बेचें और यदि पेट न भरे तो चोरी करें, भीख मांगें और नाना प्रकार के दुष्कर्म करें। वह लकड़ी काटने और बेचने का काम करते हैं लेकिन लकड़ी पायें कहां से, उनके पास पेड़ नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है और कोई रोजगार भी नहीं है। ऐसी हालत में वह गलत काम करने के लिये मजबूर होते हैं और इसका बुरा असर समाज पर पड़ रहा है। इसकी तरफ मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कल किसी भी सुधार करने के लिये जाति पांति का मसला बड़ा बाधक होता है। चाहे समाज के कितने ही उपयोगी अंग हों, जाति-पांति के नाम पर उनको सम्मान की निगाह से नहीं देखा जाता है, बल्कि समाज उनके ऊपर फब्तियां कसता है और लांछन लगाता है और अपने से दूर रखना चाहता है। आज जातीयता में नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग फंसे हुए हैं। आप किसी भी आफिस में जाइये वहां पर आपको जातीयता का नंगा नाच देखने को मिलता है। अगर आफिस बाबू के नाम के आगे श्रीवास्तव लिखा है तो वह कायस्थ की तरफ ही ध्यान देगा, अगर सिंह लिखता है तो वह राजपूत की तरफ ध्यान देगा, अगर तिवारी, मिश्र या पांडेय लिखा हुआ है तो वह ब्राह्मण की तरफ ही ध्यान देगा। स्कूल में जाइये, नौकरी में जाइये या कहीं भी जाइये सभी जगह यही चीज देखने को मिलती है। यह कटु सत्य है, इसको दूर करने के लिये मंत्री जी ध्यान दें। मेरी समझ से नाम के आगे-पीछे जातीय सूचक शब्द लगाना अपराध घोषित किया जाय। अगर सरकार सचमुच में इस कलंक को मिटाना चाहती है और उसे इस पर विश्वास है कि इनसान-इनसान में कोई भेद नहीं होना चाहिये, मनुष्य-मनुष्य के अन्दर जीवन निर्वाह में भेद नहीं होना चाहिये तो इधर ध्यान दिया जाय।

तीसरी बात यह है कि समाज कल्याण के लिये जो कमेटियां बनाई जाती हैं उनमें भी विशेष किस्म के लोग रखे जाते हैं। मेरा सुझाव है कि जहां पर हम यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोगों को नौकरियों में लेते हैं वहां हमें समाज के अनुभवी कार्यकर्त्ताओं को भी लेना चाहिये और उनकी सेवा तथा तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिये। अगर इधर ध्यान नहीं दिया गया तो चाहे करोड़ों रुपया खर्च हो जाय लेकिन समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। इसके लिये तो क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहिये। दूसरे देशों में देखिये कि किस तरह से काम किया जाता है। चीन का उदाहरण हमारे सामने है। कहा जायगा कि वहां खून होता है, हिन्सा होती है और दबाव डालकर लोगों से काम कराया जाता है, लेकिन मैं यह प्रार्थना करूंगा कि सच्चाई के साथ देखा जाय कि ५-६ वर्षों के अन्दर ही देखते-देखते चीन से वेश्यावृत्ति और भिक्षावृत्ति का खात्मा हो चुका है किस तरीके से किया गया है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव आपके सामने पेश करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---अब यह चार प्रस्ताव और हैं जिनमें से श्री कन्हैयालाल जी का प्रस्ताव आउट आफ आर्डर है। इसका सम्बन्ध इस अनुदान से नहीं है। बाकी तीन प्रस्ताव श्री ताराचन्द माहेश्वरी, श्री राजनारायण और श्री सीताराम शुक्ल के, सदन के समक्ष प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

समाज कल्याण संचालकालय (Directorate) में कुछ पदों के स्थायी किये जाने पर चर्चा।

श्री राजनारायण---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

असहाय अबलाओं के लिये प्रचुर संख्या में 'समता सदन' का न होना।

श्री सीताराम शुक्ल---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

चरित्र-निर्माण के लिये पर्याप्त ध्यान न देना।]

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन के सम्मुख और माननीय मंत्री जी के सम्मुख अपने प्रस्ताव की चर्चा करना चाहता हूं। मैंने कुछ पदों को स्थायी करने के सम्बन्ध में लिखा था। मैं इस बात का पक्षपाती हूं कि हम जिनसे काम लें उनको पूरी निश्चिंतता प्रदान करें, ताकि निश्चिन्त होकर वे अपनी सेवायें सरकार को दे सकें और सरकार द्वारा जनता उन सेवाओं का लाभ उठा सके। जहां तक पदों के स्थायी करने का सम्बन्ध है वहां मैं इस विचार का हूं, लेकिन इसके साथ निवेदन यह है कि आज के इस लोकतंत्र युग में यदि हम पहले कुछ पदों का सृजन करें और थोड़े दिन चलाने के बाद उनको स्थायी रूप प्रदान करें तो हमें अपनी वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना चाहिये। ऐसा न हो कि आगे चलकर ये पद स्थायी हो जायेंगे इसलिये अस्थायी पदों का निर्माण किया जाय और फिर जनता से टैक्स रूप में प्राप्त धन का दुरुपयोग हो। इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने यह बात रखी थी। मैंने यह भी देखा है कि पदों में बराबर वृद्धि होती है। अगर एक डाइरेक्टर है तो दूसरा ऐडीशनल डाइरेक्टर का पद निर्माण किया जाता है। इसलिये ऐसे पद जिनके बिना भी हमारा काम चल सकता है उनकी तरफ भी हमारी दृष्टि रहनी चाहिये। मिसाल के तौर पर यदि डाइरेक्टर का सम्बन्ध सीधा जिलों से रहे तो ऐडीशनल डाइरेक्टर की क्या जरूरत है? यदि ऐडीशनल डाइरेक्टर ज्यादा क्षमतावान हैं और उनकी सेवायें आवश्यक हैं तो उनसे किसी और पद पर जो जरूरी हो, बिठा कर, उनकी सेवायें प्राप्त कर सकते हैं। तो अधिक पदों के निर्माण से जहां पैसे का दुरुपयोग होता है वहां काम में देरी भी होती है। अगर पद कम हों तो जल्दी हो और जनता को आराम मिले। इस तरफ भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

इस विभाग के नाम से ही इसका महत्व प्रकट होता है, किन्तु यदि हमने इसका समाज कल्याण विभाग नाम रखा है और इससे समाज का कल्याण हो तो व्यक्ति का कल्याण

[ ] ये कटौती के प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत नहीं किये गये, किन्तु श्री अध्यक्ष की आज्ञा से ये प्रस्तुत किये गये माने गये।

अपने आप इसके द्वारा हो ही जाता है, लेकिन समाज कल्याण नाम रख कर और समाज का कल्याण न कर सकें तो सोचना पड़ेगा कि फिर इस विभाग की आवश्यकता भी है या नहीं। मैंने यह इसलिये निवेदन किया कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जो समाज की सेवा करने का निश्चय किया गया है और उसमें बराबर लोगों को नौकर रख कर और उनके द्वारा समाज सेवा करायी जा रही है उसमें मैं थोड़ा सा सुधार चाहता हूं। क्यों नहीं समाज की सेवा के लिये समाज में जो अवैतनिक कार्यकर्ता और कार्यकर्त्री हैं उनको आह्वान किया गया? अगर उनको थोड़ी सी आर्थिक मदद दे कर काम लेने की चेष्टा की जाय तो मेरा ख्याल है कि इतने ही रुपयों में हम समाज की बहुत ज्यादा सेवा कर सकते हैं।

हमारे एक साथी भाई पब्बरराम जी ने कुछ स्त्रियों को प्रोत्साहन देने के विषय में चर्चा की। मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन उन्होंने कोई सुझाव नहीं प्रस्तुत किया कि अन्ततः जो समाज के नरक में पड़ी हुई स्त्रियां जिन्होंने अपनी मर्यादा को पेट की ज्वाला शांत करने के लिये छोड़ दिया, उनकी तरक्की का, उनको समाज में फिर वह स्थान देने का सुझाव क्या है? सुझाव न देकर केवल एक इस तरह की बात पेश कर दी। उससे तो काम नहीं चलता। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि वह एक इस बात का प्रयत्न करें तो सम्भव है कि आज समाज से अलग हुई इस प्रकार की स्त्रियों का समाज में फिर प्रतिष्ठापन हो सकता है। सरकार अपने यहां जब मुलाजिम रखती है, सरकारी सर्विस में जब लोगों को भर्ती करती है तो तरह-तरह की समाज की सेवाओं का सर्टिफिकेट देखना चाहती है और उन सर्टिफिकेटों के आधार पर ही उनको कुछ न कुछ नम्बर दिया जाता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार इस तरह का भी कोई एक सुझाव रखे कि जिसने एक अभागिन बहन का, समाज की एक निकाली हुई अभागिन महिला का जीवन साथी बनने का वादा किया हो, या जिसका इस तरफ प्रयत्न रहा हो उसके संग में यदि सरकारी सर्विसेज में कुछ रियायत मिले तो मेरा खयाल यह है कि यह एक सक्रिय कदम होगा और वास्तविक सहायता उन लोगों को प्राप्त होगी जिनके लिये आज हम इस सदन में बात भी कर रहे हैं और चाहते भी हैं दिल में कि उनका सुधार हो।

श्रम के सिलसिले में भी कुछ भाई पब्बरराम जी ने जिक्र किया था। मैं कहना चाहता हूं कि क्या इस बात के बताने की कोई आवश्यकता है कि इस सरकार ने श्रम की प्रतिष्ठा के लिये क्या नहीं किया। श्रमदान का एक आन्दोलन ही इस सरकार ने चलाया और उस श्रमदान के आन्दोलन में आप देखें कि गांव-गांव में ऐसे-ऐसे लोगों के सिरों पर मिट्टी की डलिया रखी गई कि जिन्होंने कभी भी इस चीज को ऊंचा न माना होगा। तो श्रमदान की प्रतिष्ठा में सरकार पीछे नहीं है, लेकिन मैं बड़ी नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसी श्रमदान के महत्व को कम करने के लिये हमारे दूसरे भाइयों ने गांव-गांव में इसके खिलाफ प्रचार किया और यहां तक आवाज उठाई कि भाई यह तो दूसरे किस्म की बेगार ली जा रही है। पुरानी सरकार बेगार लेती थी। इस सरकार ने उसका नाम 'श्रमदान' रख दिया है। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक यह कहूंगा कि सेवा के मार्ग में हम बहुत सरकार पर भरोसा करने की नीति को अख्तियार न करें। हम अपने कर्त्तव्य का पालन करना भी सीखें और हम अपने प्रस्ताव से लोगों को प्रेरित करें कि वह श्रमदान इत्यादि की तरफ आयें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो सरकार ही सारी समस्या को हल कर लेगी, ऐसा नहीं हो सकता; चीन की मिसाल देना कि उस मुल्क ने बड़ी जल्दी तरक्की कर ली, मैं तो चीन नहीं गया और अखबारों में मैं भी देखा करता हूं, श्रीमन्, मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि चीन की मिसाल देकर हम अपनी बुद्धि के दिवालियापन का परिचय देते हैं। यदि किसी दूसरे मुल्क की मिसाल देते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वहां की स्थिति और हमारे यहां की स्थिति में कितना फर्क है। चीन में राज्य का तरीका जबरदस्ती पर आधारित है। हमारे यहां राज्य करने का तरीका लोगों की मर्जी पर आधारित है। हमारी तरक्की उनके मुकाबिले में बुनियादी तरक्की होगी, मजबूती से होगी और टिकाऊ होगी। लेकिन हमारी तरक्की में देर लगेगी और इस देरी के कारण हमारे भाई के

[श्री ताराबन्द माहेश्वरी]

दिमाग में यह बात आये कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं तो मैं फिर उनकी बुद्धि पर दया ही दिखला सकता हूं और कुछ नहीं कह सकता।

आपने लाल रोशनी दिखा दी। अधिक न कह कर केवल एक तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने दो-तीन जिलों में एक योजना लागू करने की बात की है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना को सीतापुर जिले में भी लागू करने की कृपा करें। इस बजट को जब मैंने पढ़ा तो बजट सीतापुर जिले के प्रति कुछ उदासीन है, लेकिन समाज कल्याण में सीतापुर का भी नाम एक जगह पर आ गया है। तो मेरी प्रार्थना है कि उन योजनाओं को जिनको कुछ जिलों में लागू करने की बात की गई है सीतापुर जिले में भी लागू करने की कृपा करें। एक बात और कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरा नम्र निवेदन है कि आजकल विविध योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षित महिलायें गांव में जाकर काम करती हैं। चाहे वे ग्राम लक्ष्मी के रूप में और चाहे ग्राम सेविका के रूप में या और किसी रूप में वे वहां जाकर काम करती हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में उस हवा को दखते हुये यह सारी महिलायें वहां जाकर काम करें। कहीं ऐसा न हो कि ग्रामीण जनता का विश्वास डिग जाय। बहुत आधुनिकता के चक्कर में यदि गांवों की जिन्दगी में कुछ विभ्रम पैदा हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जायगा अपनी जगह पर सम्भलने में। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

*श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---अधिष्ठाता महोदय, वित्तीय वर्ष १९५९-६० के अनुदान संख्या ४३---समाज कल्याण पर कटौती के प्रस्ताव के सिलसिले में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। समाज कल्याण का विषय बहुत व्यापक विषय है। यों तो हर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये तीन दृष्टिकोण कल्याण के लिये होते हैं। यह विभाग, जिसके विषय में यहां पर यह अनुदान है, इसकी उम्र बहुत थोड़ी है, लेकिन शायद समाज कल्याण की बातें बहुत पुराने जमाने से चली आ रही हैं। जब हम मानसिक और शारीरिक कल्याण से आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद इस सामाजिक कल्याण का पहलू आता है और इस समाज के सब पहलू इसमें आते हैं। जो पिछड़े हुये होते हैं, जिनकी दुर्दशा होती है और मानवता के नाते जिनको उठाना हम उद्देश्य समझते हैं वे सारे पहलू इसमें आ जाते हैं। उन पहलुओं में आज विधवाओं की समस्या, बेकारों की समस्या, मूक बधिरों की समस्या आदि है। हमारा महिला समाज हम आज यह महसूस करते हैं और भारत का प्रत्येक नागरिक इस चीज से इन्कार नहीं करेगा कि वह हमारे हिन्दुस्तान में कितना पीछे हैं। दुनियां के मुल्कों में आज महिला समाज कितना आगे है, उनका स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है और वहां पर मनुष्य में और स्त्री में कितना फर्क है और हमारे हिन्दुस्तान में स्त्री और पुरुष में कितना फर्क है यह सरकार अच्छी तरीके से इसको जानती है। तो जो समाज कल्याण की चीजें अभी कुछ वर्षों से ही हमारी सरकार के सामने आई हैं तो मैं उनका मतलब समझ नहीं पाया कि अब हाल ही में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई। क्या जब हम गुलाम थे, जब हम स्वतंत्र नहीं थे उस समय समाज कल्याण की चर्चा नहीं करते थे? हमारा देश जब परतंत्र था तो सब से पहले कल्याण करने के लिये आपने देश को स्वतंत्र किया, यानी देश का कल्याण किया। उसके बाद समाज कल्याण के लिये आगे बढ़े। इसके बाद लोक कल्याण की बात शायद हो जाय और उसके बाद परलोक के कल्याण की बात हो। जितनी चीजें आज के जमाने में चल रही हैं वह पहले पुराने जमाने से ही चली आ रही हैं। पुलिस, माल और सार्वजनिक निर्माण विभाग ऐसे पहलू हैं जिनके द्वारा समाज की सेवा सदैव से होती चली आई है। जब से, १९४७ से, देश आजाद हुआ है कांग्रेस सरकार ने कुछ अपना ट्रेण्ड बदला है। न मालूम कितने भिन्न-भिन्न प्रकार के विभाग, नयी-नयी योजनायें, कम्पेन, बराबर जनता के सामने अपनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नयी नयी शक्ल ले कर उपस्थित होते चले जा रहे हैं। जनता यद्यपि उतनी शिक्षित नहीं है जितनी की होनी चाहिये। हमारे देश की जनता उन चीजों को समझ नहीं पा रही है कि जिसको हमारे देश की इंटेलीजेंशिया समझती है। इसलिये समाज कल्याण के नाम पर जो ४,७०,००० रुपया यहां से मांगा जा रहा है और जिस पर हमारी सरकार काफी ध्यान दे रही है, हर जिले में नहीं तो ३३ जिलों में महिला मंगल केन्द्र, मूक बधिर केन्द्र, युवक कल्याण केन्द्र और इसके अलावा रेस्क्यू होम, जो सूबे भर में बिखेर दिये गये हैं उनसे कितनी प्रगति होगी इस पर बुनियादी तौर पर आप विचार करें। हर पहलू को आप पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोई पहलू जिससे हमारी जनता का, हमारे समाज का सम्बन्ध हो आप अछूता नहीं रखना चाहते। मैं आपसे एक कदम पीछे हट कर जानना चाहता हूं कि आखिर इस सब का फायदा क्या? उदाहरण के लिये आप ने पुलिस की मदद के लिये प्रान्तीय रक्षक दल की स्थापना की। प्रांत की रक्षा अब वह करेगा और अब पुलिस में और प्रान्तीय रक्षक दल में भेद क्या है इसको कोई समझ नहीं पाता।

श्री अधिष्ठाता---आप विषय पर ही रहें।

श्री हरदयालसिंह---मैं उदाहरण रूप में इसको पेश कर रहा हूं और विषय पर ही बोल रहा हूं। आप अधिष्ठाता महोदय, समझ नहीं पाये। भारत सेवक समाज की बला भी आपने समाज के सामने उपस्थित की है। ९० प्रतिशत अशिक्षितों के सामने यह एक तूफान है और इसका अर्थ सनझ में नहीं आता।

भारत सेवक समाज, प्रान्तीय रक्षक दल, शिक्षा प्रसार योजना, इन सब में जो काम हुआ है उसके लिये लाखों रुपया खर्च हुआ है, एक्सटेंशन टीचर्स २० बीघा जमीन ले कर रहते हैं, क्या करते हैं? इसी तरह से समाज कल्याण का प्रारम्भ तीन-चार साल से किया गया है। जितना पैसा आप खर्च करते हैं और जितनी संस्थाओं को देते हैं, हर जिले में हर प्रकार की संस्थाओं को देते हैं, अगर आप उसका एक रेकार्ड बाकायदा सदन के सामने पेश करने की कोशिश करें और यह भी बतावें कि कितना कार्य हुआ है, क्या प्रगति हुई है, समाज में कितना सुधार हुआ है, जब यह सब चीजें सामने आयेंगी तब हम लोग समझ सकेंगे कि समाज कल्याण से इतना लाभ हुआ है। मेरी दृष्टि से तो समाज कल्याण जनता के सामने एक भ्रामक वस्तु है। मैं नहीं समझता कि इस तरह से सरकार क्या समाज का कल्याण कर पायेगी। समाज का कल्याण तो दूसरे प्रकार से हो सकता है यदि यह सरकार करना चाहे तो। पहले से जो विभाग बने हुए हैं उन्हीं से यह काम कराया जाय। शहर में म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को और देहात में गांव सभा को यह पैसा दिया जाय और उन के द्वारा समाज कल्याण कराया जाय। वे लोग इसका प्रबन्ध कर सकते हैं, लेकिन अलग से विभाग बनाना और पैसा बांटना, मैं नहीं समझता कि इस से क्या लाभ हो सकता है। हो सकता है कि कुछ विशेष लोगों को कुछ फायदा होता हो, उनके स्वार्थ की पूर्ति होती हो और वे यह भी सोचते हों कि यदि हमारे मिनिस्टर साहब ५ साल तक और बने रहें तो उनको कुछ और लाभ हो जाया करेगा। ऐसा मैं समझता हूं कि हो सकता है। तो मैं इस चीज को समझता हूं कि इससे कोई बुनियादी तबादला समाज के लिये या देश के लिये नहीं होगा। समाज कल्याण का उद्देश्य तो हर संस्था का है, जो डेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें भी समाज कल्याण हो है। आज जो गरीब, भूखे, नंगे और बेचारे परेशान आदमी हैं उनकी समस्यायें अगर हल हो जायं तो क्या यह समाज कल्याण नहीं होगा। मैं तो पहले कह चुका हूं कि दुनिया से कल्याण हो जाय, जो लोग परलोक का कल्याण करना चाहते हैं, इसको भी शायद आप समाज कल्याण में ले आयें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज लोगों को जो परेशानियां हैं उनको अगर आप दूर कर दें तो आप समाज का कल्याण कर देंगे, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि इस समाज कल्याण से क्या कल्याण होगा। मैं आप से कहता हूं कि विधवाओं के लिये

आप शादी का प्रबन्ध कर दें जिससे उनको सहारा मिल जाय और मजबूर होकर उनको जो अपनी अस्मत बेचनी पड़ती है वह न करनी पड़े और आगे चलकर उनका भविष्य उज्जवल हो जाय।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज का जो अनुदान है उसका मैं स्वागत करती हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा समाज का कल्याण होता है, लेकिन इसमें जो अनुदान रखे गये हैं वे बहुत कम हैं, क्योंकि इसी संस्था के द्वारा समाज कल्याण किया जा सकता है, कोई और विभाग इस कार्य को नहीं कर सकता। इसलिये इसका अनुदान और ज्यादा बढ़ाया जाय। आज समाज का ढांचा धीरे-धीरे बदलता जा रहा है और हम लोगों की समस्यायें भी बढ़ती चली जा रही हैं। एक बार इंगलैन्ड में भी इसी दृष्टिकोण से सामाजिक सुरक्षा योजना को चलाया गया था जिसका स्वागत हम लोगों ने भी किया था। उस वक्त हम लोग आजाद नहीं थे। उस समय हमारी जो कांग्रेस की नेशनल प्लानिंग कमेटी थी उसने इसका स्वागत किया था और कहा था कि हमारे यहां भी ऐसी योजना बने।

इसके अतिरिक्त मैं एक चीज यह कहना चाहती हूं कि चूंकि हमारे यहां आजकल संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं इसलिये जो हमारे पूर्वज, बुड्ढे अयोग्य होते हैं उनके लिये सरकार की ओर से इस तरह की योजना बनाई जाय जिससे कि उनको यह चिन्ता न रहे कि हमारे पुत्र नहीं है, इसलिये दूसरी शादी करनी चाहिये ताकि पुत्र प्राप्त हो सके। इस तरह की बराबर शादियां होती रहती हैं और बुरी रीति बढ़ती जाती है। यह रीति तभी दूर हो सकती है जब कि सरकार की ओर से कोई योजना बन जाय जिससे उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो सकें। हमारे देश में सम्मिलित कुटुम्ब तो खत्म हो गये हैं इसलिये ऐसी कठिनाइयों को समाज कल्याण के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भिखमंगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये भी योजना बननी चाहिये। इसके अतिरिक्त पर्वतीय प्रदेश के सम्बन्ध में मुझे बड़ा दुख है कि वहां पर जो विधवायें या परित्यक्ता स्त्रियां हैं उनकी समस्यायें बहुत बढ़ती जाती हैं और वे अपनी रोजी के लिये शनैः शनैः बरबस होकर अनैतिकता से अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। जिससे उनके उस पेशे का बहुत बुरा प्रभाव वहां के समाज पर पड़ता है। मुझे खेद है कि एक ओर तो समाज कल्याण विभाग की ओर से बहुत सी संस्थायें मंगल योजना या गृह लक्ष्मी आदि की चलायी जाती हैं लेकिन हमारे यहां गढ़वाल में वैश्यावृत्ति बहुत चलती है, बाल विधवाओं की बड़ी भारी समस्या वहां पर है, लेकिन फिर भी वहां पर कोई योजना लागू नहीं की जा रही है। केवल युवा महिला योजना के छोटे-छोटे केन्द्र हैं। टेहरी-गढ़वाल में जो विधवा होती है वे माइयां बन जाती हैं और उनके द्वारा भ्रष्टाचार होता है, उनके लिये कोई समिति बनायी जाय या आश्रम खोला जाय जिससे उनको कार्य मिल सके।

सभ्य समाजों में और दूसरे देशों में गर्भवती स्त्रियों को ६ माह की छुट्टी वेतन सहित दी जाती है, लेकिन हमारे यहां जो गर्भवती महिलायें होती हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता। मैं समझती हूं कि सभ्य देशों की भांति यहां भी सरकार को इस प्रकार का प्रबन्ध करना चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। इस विषय में जो भी काम हो सकता है वह समाज कल्याण विभाग की ओर से ही हो सकता है।

पंगु और अंधों का भी प्रबन्ध होना चाहिये। हरद्वार में एक आश्रम खोला गया है, दूसरे स्थानों पर भी वैसा ही किया जाय।

कुमायूं कमिश्नरी में बहुत सी जगहों पर पहले की संस्थायें हैं लेकिन उनको या तो अनुदान नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है इसलिये वे संस्थायें टूटने जा रही हैं, उनको सहायता मिलनी चाहिये। हमारे यहां जो समाज कल्याण की संस्थायें खोली जा रही हैं उनमें बाहर से बहनों को न भेज कर हमारे यहां की स्त्रियों और लड़कियों को उनमें लेना चाहिये, क्योंकि १०-१२ साल स्वतंत्रता मिले हो गये, लेकिन हमारे यहां अभी काफी शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ है। छोटी-छोटी उम्र की विधवायें ७,८ या १० वें दर्जे तक पढ़कर इस कार्य को करना

चाहती हैं, लेकिन अनुदान न होने से वहां पर इन संस्थाओं का कोई प्रबन्ध नहीं है। इसलिये मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे हमारे यहां की पढ़ी लिखी लड़कियों को हर जगह भेजें ताकि वहां पर पढ़ने लिखने के लिये उनको और भी अधिक प्रोत्साहन मिले। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि हमारे यहां पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं मिलती हैं लेकिन अगर ऐसा कर दिया जायगा तो कोई ऐसी शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। मेरा सुझाव है कि कोढ़ को रोकने के लिये, वैश्यावृत्ति को रोकने के लिये, समितियां बनायी जायं। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों के खेल का प्रबन्ध होना चाहिये, इस ओर खासतौर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। हमारा टेहरी-गढ़वाल का जिला और जिलों से बहुत पिछड़ा हुआ है। तो उनको आगे बढ़ाने के लिये खासतौर पर जब तक कदम नहीं उठाया जायगा तब तक उसकी उन्नति नहीं हो पायेगी। और उसकी उन्नति हमारे कार्यकर्त्ताओं द्वारा और माननीय मंत्री जी के द्वारा ही हो सकती है और वहां की जिस जनता ने हमको यहां चुन कर भेजा है उसको संतोष तभी हो सकता है और हमको भी तभी संतोष हो सकता है जब कि हमारे यहां सुचारु रूप से और अच्छे ढंग से समाज कल्याण विभाग की ओर से अच्छे अच्छे विभाग खुलें और जो जायज पैसा खर्च होता है उसे अच्छे कामों में लगाया जाय। जहां हमारी सरकार की ओर से कहा जाता है हर चीज के लिये कि पैसे की कमी है, वहां बहुत से पैसे ऐसे भी जाया किये जाते हैं जो नहीं किये जाने चाहिये। मैं समझती हूं कि हमारी जो गरीबी है उसको सरकार दूर करने का प्रयत्न करे तभी समाज का भी कल्याण हो सकता है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बहुत ध्यान से माननीय मंत्री जी के, विरोधी पक्ष के और कांग्रेस पक्ष के सदस्यों के व्याख्यानों को सुना किन्तु विरोधियों का जवाब देने के पहले मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को और इस विभाग के कर्मचारियों को मुबारकबाद दूं जिन्होंने परिश्रम करके इतना उम्दा बजट पेश किया। फिर भी विरोध हो रहा है। ताज्जुब यह होता है कि जब माननीय मंत्री जी अच्छे और सरकारी कर्मचारी भी अच्छे काम कर रहे हैं तो विरोध क्यों होता है। अगर मैं माननीय मंत्री जी के बारे में कुछ कहता हूं तो कहा जा सकता है कि वह खुशामद कर रहा है और नहीं कहता हूं तो काम बिगड़ता है। तो मैं उन व्यक्तियों में हूं जो अपने जाती लाभालाभ की परवाह न करते हुये ठीक बात कहता हूं। माननीय मंत्री जी उन व्यक्तियों में हैं जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। देशभक्त भी तीन तरह के हैं---एक तो वे जो सोचते थे कि कहीं नौकरी वगैरह नहीं मिलती है तो चलो उसी बहाने उसमें चले चलें, खाने पीने का प्रबन्ध तो हो ही जायगा। दूसरे वे जो सोचते थे कि इससे नाम होगा, इज्जत होगी और तीसरे वे जो सोचते थे कि हम गिरफ्तार हों, लेकिन वतन आजाद रहे। इस तरह से साधारण, मध्यम और उत्तम तीन तरह के वे भी होते हैं। "नत्वहम् कामये राज्यम्, न स्वर्गम् नापुनर्भवम्। कामये दुखः तप्तानाम्, प्राणिनामार्ति नाशनम्।।" यानी न तो स्वर्ग चाहिये, न राज्य चाहिये और न मोक्ष चाहिये, हमें तो सिर्फ दुखियों का दुख दूर करना है। तो आप उनमें से हैं जो अपनी जान हथेली पर रख कर क्रांतिकारी पार्टी में शरीक हुये। वहां सिर्फ यही खयाल था कि गोली मार दी जायगी। इसका स्वप्न में भी नहीं खयाल था कि स्वराज्य देखने को मिलेगा। वहां तो यही था कि हम तो गोली से मारे जायेंगे, बाद में नाती पोते स्वराज्य देख सकेंगे। सो भगवान की कृपा से हमारे माननीय मंत्री जी उनमें से ही एक हैं। फिर यह प्रश्न होता है कि आखिर विरोध क्यों किया जाता है। हम दोस्तों की तारीफ को तारीफ नहीं समझते जब तक कि विरोधी न तारीफ करें। "सहज वैर बिसराय रिपु, जो सुनि करत बखान।" तो सारी बातों को सुनने सुनाने के बाद कि जरा यह हो जाय, जरा वह हो जाय, पैसे कौड़ी की मदद हो जाय, इस तरह की इमदाद हो जाय, इससे काम नहीं चलेगा। अभी हमारे एक भाई ने गरीबी का चित्र खींचा कि हमारे यहां गरीबी है। इस गरीबी को जान कर ही तो यह रास्तपकड़ात गया कि चाहे जान जाय, लेकिन मर कर भी मुल्क आजाद हो और कानून बनाने की शक्ति हमारे

[श्री सीताराम शुक्ल]

हाथ में आवे ताकि गरीबी दूर करें। गरीबी है यह तो मालूम है और उसको दूर करने की कोशिश हो रही है। चीन का भी यहां उदाहरण दिया गया कि उसने कंट्रोल कर लिया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन आपको मालूम है कि वहां कितने आदमी कत्ल हो गये? रूस में कितने (कुल को) किसानों को मारा गया? आजादी से लिखना बन्द है, बोलना बन्द है, मीटिंग होना बन्द है। आप जानते हैं जो जेल में बी क्लास में रह चुका है उसको तजुर्बा होगा कि बहुतों को घर से अच्छा खाना मिलता था जो पोलिटिकल कैदी होता था लेकिन हर कैदी जेल में एक मिनट भी रहना नहीं चाहता था। एक साहब ने बाहर आ कर कहा कि जब से जेल से निकला हूं दूध मुंह में नहीं लगाया लेकिन जब बोलने की आजादी नहीं थी, लिखने की आजादी नहीं थी तो वह खाना, कपड़ा और भोजन किस काम का। एक शायर ने कहा है :—

"मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर।
तो है वह गुलामी के हलुवे से बेहतर।"

इसलिये हमें रास्ता बदलना चाहिये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कम बोलता हूं। १८ तारीख के बाद आज अर्ज कर रहा हूं। ५ मिनट मुझे और दे दिये जायं ताकि इसे एक्सप्लेन कर सकूं। नई बात न कहूं तो टोक दीजियेगा और रिपीट करूं तो टोक दीजियेगा।

श्री अधिष्ठाता—साधारणतया १० मिनट दिये जा रहे हैं, उसी में आप बोल सकेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल—वह तो मुझे मालूम है कि १० मिनट दिये जा रहे हैं, इसमें आपका कौन सा अहसान है? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ५ मिनट और दिये जायं।

मैं अर्ज करता हूं कि खाना, कपड़ा, मकान सब कुछ दे दीजिये, बंगला दे दीजिये लेकिन दिल को शांति नहीं होगी। आपको मालूम है, हवालात में जाकर देखिये जो हवालाती लोग गिरफ्तार हो कर आते हैं उनमें बहुत से पढ़े लिखे होते हैं, फैशनेबिल होते हैं। उनके दिमाग में यही बात होती है कि धनी बनो, रुपया कमाओ। अंग्रेज के जमाने में कहा जाता था "कलम कहता है कि मैं जंगल का खर हूं, मगर मुझको पकड़ो तो दौलत का घर हूं"। हुजूर वाला,

"यावत्जीवते सुखमजीवते ऋणंकृत्वा घृतम्पिवेत्।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः।"

जब तक जिन्दा रहो आराम से रहो, कर्जा लो और घी पियो। जले हुए शरीर का पुनः जन्म नहीं होता लेकिन यह बहुत पुरानी चीज है कि कर्जा लो और घी पियो। नई चीज यह है कि :

"हृत्वा हृत्वा सुरांपिवेत्।"

मारो, छीनो और शराब पियो। आज तो सब कोई बंगला, मोटर, खूबसूरत बीबी और ऐश चाहते हैं। यह कहना काफी होगा कि इससे शारीरिक आराम मिलेगा, जिस्मानी आराम मिलेगा, लेकिन रूहानी आराम और दिल का आराम तो मिलता है परोपकार से, दूसरे को आराम पहुंचाने से। यही भावना भरनी है सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों में। आज ट्रेनिंग दे कौन? ट्रेनिंग देने वाला खुद ऐश करना चाहता है। सरकारी नौकर मजा करने के लिये सरकारी नौकरी करते हैं तो ट्रेनिंग देगा कौन? इसलिये, हुजूरवाला, मेरी गुजारिश है सबसे पहले हमको ट्रेनिंग देनी है अपने कर्मचारियों को और उनमें परोपकार की भावना भरनी है, सेवा भाव भरना है। उसके बाद आप गांव गांव में प्रचार कर सकते हैं और अच्छे आदमी पैदा कर सकते हैं। मैं सभी कर्मचारियों की शिकायत नहीं करता। यहां बहुत

से बैठे हैं जो स्वराज्य के लिए अंग्रेजों से जब हम लोग लड़ रहे थे तो बहुतों ने डंडे लगाये थे, गोलियां चलाई थीं, किन्तु अनेक कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को ख़तरे में डालकर कांग्रेस की मदद भी की थी।

(लाल बत्ती होने पर)

में ५ मिनट और मांग रहा था।

श्री अधिष्ठाता---उतना समय देने की गुंजायश नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल---हाउस की राय है कि ५ मिनट और दे दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता---आपको १० मिनट के अन्दर ही खत्म करना चाहिये।

श्री सीताराम शुक्ल---मैं कह रहा था कि परोपकार बड़ी चीज है। खाने, कपड़े व मकान से दिल को आराम नहीं मिलेगा। आप रास्ते से निकल आइये, बुरा आदमी जा रहा है तो लोग बुरा कहेंगे। लेकिन साधु, फकीर और त्यागी की सब कद्र करते हैं। एक उदाहरण के लिये बतलाऊं कि एक सन्यासी जी सुबह के वक्त गाजर खा रहे थे। एक साहब उधर से गुजरे उन्होंने कहा कि सुबह के वक्त गाजर खा रहे हो तो उसने कहा कि कल उपवास किया था, अतः जो मिला उसे खा रहा हूं इस पर उसने कहा कि मेरे पास आइए तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा। उसने पूछा कि आपका क्या नाम है? उसने कहा कि फलां तो उन्होंने पूछा कि तुम यहां के थानेदार हो, तो उसने कहा कि जी हां। उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा तो अन्न हम नहीं खायेंगे तुम रिश्वत लेते हो, बेईमान हो। उन्होंने पूछा कि कोई सूरत है कि आप मेरे यहां भोजन करें। तो महात्मा ने कहा कि हां है। तुम अपना बंगला दान कर दो। लड़कियों का स्कूल हो जाय तब मैं तुम्हारे यहां चलूंगा। उसने कहा कि अच्छा मैं घर जाकर अपनी स्त्री से पूछ आऊं और घर से वापस आने के बाद उसने दान कर दिया। तो देखिये कि उस महात्मा के सदुपदेश ने क्या काम किया। जो अच्छे हैं, चरित्रवान् हैं, विद्वान महात्मा हैं, त्यागी हैं, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत जानते हैं, पैर में जूता नहीं पहनते, सदा परोपकार ही करते हैं ऐसे लोगों को उपदेश देने का अवसर दीजिये। यहां रूस वालों का कठपुतली का नाच होता है, लेकिन विद्वानों का व्याख्यान नहीं कराया जाता स्वामी नारदानन्द जी आदि को आप देखें वह बिना पैसा लेकर सेवा करते हैं। उन्हीं की तरह अनेक महात्मा बहुत से उलमा हैं उनकी कद्र करनी चाहिये, उन्हें ट्रेन और बस का फ्री पास देना चाहिये। पैसे के लालच से नहीं मिल सकते वह तो आदर, सेवा और मोहब्बत से मिल सकते हैं। पंडितों, विद्वानों, सच्चरित्रों और योग्य व्यक्तियों की कद्र कीजिये और सफलता प्राप्त कीजिये।

***चौधरी खजानसिंह** (जिला उन्नाव)---अधिष्ठाता महोदय, समाज कल्याण बहुत अच्छा है। यह कोढ़ तो हमारे देश में न मालूम हजारों वर्ष से समाज में है। समाज कल्याण अगर हो जाय तो फिर हमारा देश ऊंचा ही न उठ जाय दुनिया में। जो अभी पब्बर राम जी ने कहा था कि नाम के आगे पीछे जो लगता है, पहले इसको देखिये। जो वर्ण व्यवस्था है उसको खत्म कीजिये। मैं कहना चाहता हूं कोई साहब महसूस न करें। ज्यादातर समाज कल्याण को बिगाड़ने वाले हमारे गुरू लोग हैं, यानी ब्राह्मण। मैं उनकी कद्र करता हूं अब भी चाहे पढ़े हों या न पढ़े हों। तो हमारे मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है यह बहुत अच्छा है अगर आप समाज कल्याण कर दें, लेकिन पहले अपनी तरफ देखिये। अगर कोई लड़की विधवा हो जाती है तो लोग उसका मुंह देखना भी पसन्द नहीं करते, अगर कहीं सुबह के वक्त उसका मुंह दिख जाय तो न मालूम क्या-क्या कहते हैं कि खाना नहीं मिलेगा और न जाने क्या-क्या बातें कहते हैं। तो जिन गुरुओं ने देश को ऊंचा उठाया था वह आज बिगाड़ रहे हैं। यहां सब शूद्र हैं, ८०, ९० फीसदी शूद्र हैं, वह सब विधवाओं की शादी करते हैं। लेकिन गुरुओं में नहीं होती। होता क्या है लड़की विधवा हो गई, बाप जवान है, १६ वर्ष की उम्र में बच्ची हो जाती है तो अगले १६ वर्ष में उसकी शादी करेंगे जब बाप की उम्र ३२ साल की होगी। तो बाप तो ३२ वर्ष की उम्र में भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चौधरी खजान सिंह]

जवान है दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन वह लड़की जो १६ वर्ष की उम्र में विधवा हो जाती है वह शादी दुबारा नहीं कर सकती है। तो ३२ वर्ष का तो नौजवान है और लड़की विधवा हो गई। उसको शादी की जरूरत पड़ी। शादी किससे करता है ? १६ वर्ष की लड़की से। ज्यादा से ज्यादा २० वर्ष की लड़की से करेगा।

(इस समय ३ बजकर ४४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

उपाध्यक्ष महोदय, १६ वर्ष की लड़की है और विधवा हो गई। ३२ वर्ष का उसका बाप है। फिर शादी करता है, लेकिन लड़की का हक नहीं है। शादी करनी पड़ेगी। तो गुरू लोग आप पहले अपना सुधार करो। आप ही बढ़ा रहे हैं यह वैश्यावृत्ति। और दूसरों का दोष बतलाते हैं। आप तो सुधारो पहले अपने आप को। तो मेरा मतलब यह है कि विधवाओं की शादी करो।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य से मैं जानना चाहूंगा कि यह विधवाओं की शादी, क्या आपका सुझाव है कि सरकारी खर्चे से हो ?

चौधरी खजानसिंह—मेरा सुझाव है समाज कल्याण करने का उपाध्यक्ष महोदय, इस महकमे में करोड़ों रुपया दो तब समाज उठेगा। हम तो समाज को उठाते ही हैं। हम पुनर्विवाह, धरना वगैरह सब कुछ करते हैं। यह तो मैं गुरुओं से कह रहा हूं। इस महकमे में बहुत थोड़ा रुपया रक्खा है। इसमें बहुत ज्यादा रुपया दिया जाय और आफिसरों को बढ़ाओ और हर जिले में ज्यादा काम किया जाय।

हमारे उन्नाव में १७ कमेटी लिखी हैं, सात हैं, गलत छप गया है। २४-२५ जनवरी को प्रदर्शन वगैरह वहां पर हुआ। कसीदा वगैरह लड़कियों के दिखाये गये।

वैश्याओं को जेलखानों में बन्द किया गया। बतलाइये उन्होंने क्या कसूर किया ? तबले वालों का क्या हुआ ? वे बेरोजगार हो गये। तो हमारा देश बड़ा गरीब है। लेकिन समाज में सब नहीं गिरे हुये हैं। जो समाज की बात करते हैं वह गिरे हुये हैं। तो मुझे यही कहना है कि ठीक काम हो। फिर मुझे मौका मिलेगा तो फिर कहूंगा।

श्रीमती सुनीता चौहान (जिला रायबरेली)—श्रीमन्, अनुदान प्रस्तुत करते समय मैं यह प्रतीक्षा करती थी कि माननीय मंत्री महोदय समाज कल्याण के अन्तर्गत जो स्कीमें चल रही हैं उनकी कमियों के ऊपर भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन उसमें हमें निराशा ही हुई। हमारे प्रदेश में वास्तव में बहुत सी स्कीम्स ऐसी चल रही हैं जो कि महिलाओं और बच्चों के लिये लाभकर भी प्रतीत होती हैं, लेकिन उनके इन्सट्रक्शन्स कुछ ऐसे होते हैं कि जिनसे कोई सफलता या लाभ प्रतीत नहीं होता। प्रदेश में सेवा सदन, मूक और अन्ध विद्यालय भी खुले हैं, जिनमें हजारों बच्चे और हजारों बालिकायें वास्तव में लाभ उठा रही हैं। हमारे यहां महिला मंगल योजना और राज्य समाज कल्याण बोर्ड प्रदेश के कई एक जिलों में चल रही हैं। महिला मंगल योजना हमारे प्रदेश के ३३ जिलों में चल रही हैं, लेकिन यह स्कीम इतनी स्वतंत्र है अपने स्थान पर कि जिला स्तर पर ही उन का प्रचार नहीं किया जाता है जिससे कि जनता को वास्तविक लाभ नहीं पहुंच पाता। महिला मंगल केन्द्र प्लानिंग विभाग के अन्तर्गत हर जिले में स्थापित हैं और वहां आफिसर, डी० पी० ओ० और डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजर्स होते हैं। जब किसी स्थान पर कोई सेंटर खुलता है और मालूम होता है कि यहां सफलता नहीं हो रही है तो वह उस सेंटर को अपने मन से ही दूसरी जगह बदल देते हैं। मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगी कि इन केन्द्रों का परिवर्तन इन लोगों के हाथ में न दिया जाय।

इसी प्रकार स्टेट सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड जिसको कि केन्द्रीय सरकार से ५० प्रतिशत अनुदान मिलता है और राज्य सरकार से २५ प्रतिशत मिलता है, लेकिन इतना होते हुये भी इस सरकार का उस में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मैं यह चाहती हूं कि इतने धन दिये जाने पर और यह देखते हुये कि इस वक्त परिवर्तन की कहां आवश्यकता है अपना हस्तक्षेप यह राज्य सरकार भी करती रहे, अन्यथा इतनी बड़ी यह स्कीम जिसको कि प्रदेश में सफलता

मिलनी चाहिये उसमें कुछ कमियां इंस्ट्रक्शन की वजह से रह जाती हैं और सफलता नहीं मिल पाती। मैं राज्य सरकार से प्रार्थना करूंगी कि वह केन्द्रीय सरकार से मांग करे कि राज्य समाज कल्याण बोर्ड आगे चल कर आई० डी० ब्लाक के अन्तर्गत न हो और जो अनुदान २५ प्रतिशत यहां से मिलता है वह कम है, क्योंकि जो लोकल कन्ट्रीब्यूशन होता है वह स्थानीय कठिनाइयों को देखते हुये बहुत अधिक है। अतः मैं चाहूंगी कि इस अनुदान में भी बहुत कुछ कम किया जाय और इन चीजों की मांग केन्द्रीय सरकार से यह राज्य सरकार करे। राज्य समाज कल्याण बोर्ड जो कि इस समय ३९ जिलों में चल रही है इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि जैसे १२ मील शहर से नजदीक ही इसको खुलना चाहिये, तो मैं चाहती हूं कि इसके इन्सट्रक्शन्स में भी कमी की जाय और उस स्थान पर न खोला जाय जहां ब्लाक के अन्तर्गत स्कीम चलती हो। उसमें भी श्रीमन्, ग्राम सेविकाएं, ग्राम लक्ष्मियां होती हैं, और उस जगह भी इस स्कीम को चलाना जनता के लिए लाभकारी ही सिद्ध होता है। इस कारण आई० डी० ब्लाक के अन्तर्गत नहीं खोलना चाहिए।

हमारे यहां नैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम जो लागू हुआ है वास्तव में यह ऐसा अधिनियम है जिससे समाज का सर ऊंचा होता है यह सरकार की ओर से बहुत ऊंचा कदम उठाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ इन वैश्याओं के लिए यही नहीं था कि उनकी केवल एक वृत्ति ही इसमें सम्मिलित थी, उनकी इकोनामिक कंडीशन भी ऐसी रहती थीं जिसके द्वारा वह इस कार्य को करने के लिये आमादा होती थीं। तो मैं चाहती हूं कि इसमें भी अधिक से अधिक जितना भी रुपया हमारी सरकार लगा सके लगाये, क्योंकि जिसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी वह उस को छोड़ने में भी पश्चाताप करेगी। मैं चाहती हूं कि सरकार के द्वारा अधिक से अधिक पैसा लगा कर इस कदम को सफल बनाया जाय जिससे स्त्री समाज का सर ऊंचा हो।

श्रीमन्, मैं यह समझती हूं कि जितनी भी स्कीमें खुली हुई हैं उनको आगे चलकर सब लोगों को सुभीता मिलेगा, मगर मैं इतना मानती हूं कि कम से कम महिला तो कैद में रह सकती है, लेकिन पुरुषों को इन आफ्टर-केयर-होम के अन्तर्गत कैद रखना किसी सरकार के लिए भी सम्भव नहीं होगा। इलाहाबाद में सोशल वेलफेयर का फ्रेन्स के सम्बन्ध में मैं गयी थी। मैंने वहां का आफ्टर-केयर-होम देखा। वहां एक शरणार्थी से पूछने पर अचानक ही कि यहां तुम किस प्रकार आये हो, क्यों आये हो, उस शरणार्थी का जवाब यह था कि मने सोचा कि यहां होम खुला है, वहां चलें। वह अपने घर का किसान था, ३-४ बीघे उसके पास खेती थी। तो मैं चाहती हूं कि इस तरह की स्कीम्स में सरकार अपना पैसा बरबाद न करे और जैसा कि वैश्यावृत्ति को खत्म करने के लिये सरकार ने कदम उठाया है इसी प्रकार का कदम वह उठाती रहे। उस होम में जो शरणार्थी रह रहे हैं उनके थोड़ी उम्र के बच्चों को किसी कालेज या स्कूल में डाल दें और जो कृषि करना चाहते हैं उनको जिले में ग्राम समाज की जमीनें दे दी जायं। इस प्रकार का कदम उठाना एक बहुत सराहनीय कदम होगा और केवल इस लिए कि पैसा है वह हर जगह एक स्कीम खोल दें इस तरह से पैसा बरबाद न किया जाय। यदि किसी स्कीम को चलाना है तो सफलतापूर्वक चलायें या उसको खत्म कर दें। ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहन दें जैसा कि इलाहाबाद में अनाथ बच्चों की भलाई के लिये होम खुला हुआ है, ऐसी स्कीमों में अधिक से अधिक रुपया लगायें। प्रस्तुत बजट में १३,७४५ रुपये का अनुदान सहायतार्थ स्वीकृत किया गया है और उसको एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है। मैं समझती हूं कि यदि सरकार के पास पैसा है तो उस पर प्रदेश के हर जिले के हर गरीब का हक है। लेकिन इस बजट में, वैसे पैसा तो अधिक नहीं है मगर अकेले लखनऊ के लिये धनराशि रखने से एक शिकायत की चीज हो जाती है। केवल लखनऊ में अलग अलग १४ लोगों को धन की सहायता दी गयी है। दूसरा नम्बर कानपुर का है और तीसरा इलाहाबाद का है। इस प्रकार एक-एक, दो-दो जिले लिये जाते हैं। मैं चाहती हूं कि इस प्रकार का जो अनुदान दिया जाय वह हर जिले में दिया जाय और एप्लीकेशन्स मांगी जायं कि किसको किसको जरूरत है, तब सरकार कुछ सहायता करे।

[श्रीमती सुनीता चौहान]

श्रीमन्, हमारे यहां रेस्क्यू होम्स तो वास्तव में काफी सफलतापूर्वक चल सकती हैं, ये निकाली हुई औरतों और दूसरी अनाश्रित औरतों और बच्चों के लिये हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है—उस में कुछ सही भी हो सकता है और कुछ गलत भी—जिस वजह से उनको वहां रखा गया था कि वे औरतें और बच्चे उद्योग-धंधों में लग कर अपना भरण पोषण कर सकेंगे वह न हो कर वहां भी लोग उनके द्वारा नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि इन चीजों की जांच करायी जाय और इस ओर सरकार अधिक से अधिक ध्यान दे कर उनको सफलतापूर्वक चलाने की कोशिश करे।

महिला मंगल का जहां तक सवाल है, मैंने डिटेल में जिक्र कर दिया कि उसको जिले के हाथ में नहीं देना चाहिये बल्कि उसके ऊपर ऐसी पाबन्दी होनी चाहिये कि केन्द्र का परिवर्तन करते समय यहां (राज्य सरकार) का उस पर हाथ रहे।

स्टेट सोशल वेल फेयर ऐडवाइजरी बोर्ड के लिये थोड़ा सा और कह दूं कि उसमें जो कर्मचारी हैं उनकी सर्विस कहीं भी काउन्ट नहीं होती है। यदि वहां से हट कर वे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वे वहां फिर नये के नये ही रहेंगे। तो मैं चाहती हूं कि उन लोगों की सर्विस अन्य डिपार्टमेंन्ट्स में भी काउन्ट की जाय नहीं तो ओवर एज होने के कारण अन्य किसी भी डिपार्टमेंट में प्रगति नहीं कर सकते। इन चन्द शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूं।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जो मांग मंत्री जी ने सदन के समक्ष रखी है वह समाज कल्याण की खामियों को देखते हुये बहुत कम है। मैंने बैठ कर हिसाब लगाया तो इस प्रदेश में भूमिहीन लोगों की संख्या १ करोड़ से ऊपर है और यह पौने पांच लाख का अनुदान जो प्रस्तुत है वह ४ नये पैसे प्रति व्यक्ति से भी कम है। मैं जानना चाहूंगा कि इतना कम पैसा खर्च कर के समाज का कल्याण किस प्रकार किया जायगा? आज समाज कल्याण के लिये जिस प्रकार की व्यवस्था आपकी पुस्तिका में छपी है महिला मंगल के सिलसिले में केवल यही जरूरी नहीं है कि महिला का मंगल हो, प्रसव के पहले कुछ उनको शिक्षा दी जाय। मैं आप से निवेदन करूंगा कि प्रसव के बाद जो जरूरियात होती हैं वह कैसे पूरी होंगी। इस ओर मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये। आज जो बच्च पदा हो रहे ह और जिनकी आर्थिक दशा खराब है, उनका इससे कोई फायदा नहीं होता। अभी हम से पहले माननीय सदस्या ने ध्यान आकर्षित किया था कि इन कामों से आपका समाज कल्याण नहीं हो सकता है। आपके समाज कल्याण के बावजूद नैतिक अपराध बढ़े हैं, भिखारियों की संख्या भी बढ़ी है और जो काम करना चाहते हैं वह तो अलग रहे। उत्तरोत्तर गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जाती है।

समाज कल्याण के लिये जरूरी है कि सब से पहले भोजन का प्रबन्ध किया जाय। मंत्री जी गरीबी मिटाने की कोई व्यवस्था सोचें। मैं समझता हूं कि जिनकी हालत अच्छी है वह अच्छा खाना और कपड़ा इस्तेमाल करते हैं और उनका समाज कल्याण अपने आप हो जाता है। जिनकी हालत खराब है उनके लिये समाज कल्याण की आवश्यकता है। वह कैसे सम्मानित स्तर पर पहुंच सकें। आपने कानून में उनको अधिकार दिया है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जो पिछड़े हुये लोग हैं क्या १२ वर्षों में आप उनके पीने के पानी का प्रबन्ध कर पाये हैं सामाजिक तौर पर। आज जो हरिजन और मुसहर हैं वह अखाद्य खाते हैं और नदी का या टूटे फूटे कुओं का पानी पीते हैं। इस तरह से जब उनके खाने पीने का ठिकाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है तो समाज कल्याण के नाम पर पैसा खर्च करने से यह सम्भव नहीं है। अगर आप वास्तव में समाज कल्याण करना चाहते हैं तो इन चीजों पर पैसा खर्च न करके एक निश्चित और ठोस योजना बनाइये जिससे उनका आर्थिक स्तर ऊंचा हो और ज्यों ज्यों उनका आर्थिक स्तर ऊंचा होता जायगा वह समानता का दर्जा प्राप्त करते जायंगे।

मैं निवेदन करूंगा कि देहात में, छोटे छोटे ४-५ वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिये पढ़ने के बजाय खाने की समस्या पहले होती है। कुछ बकरी चराने का काम करते हैं तथा कुछ मजदूरी की तलाश में डोलते हैं। उनके मां-बाप की भी मजबूरी है। मैं गांव का रहने वाला हूं इसलिये मुझे जानकारी है। तमखुही रियासत में जबर्दस्ती स्कूल कायम किया गया। लेकिन बाद में खाने की समस्या के कारण लड़कों ने नाम कटा लिये और भिन्न भिन्न काम करने लगे।

श्रीमन्, अगर १२ वर्ष में सरकार खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकी तो इस तरह से पैसा खर्च करने से समाज कल्याण नहीं कर सकती है। जो महिलायें गांवों में काम करती हैं उनके निवास की आपने कोई व्यवस्था की है? शहरों में मकान मिल सकते हैं, वहां की आबो-हवा भी और लोग भी कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन देहातों में वह किसी गरीब के यहां तो ठहर नहीं सकती हैं क्योंकि उनका भी कुछ रहन सहन होता है और देहात में जो लोग होते हैं जिनका कुछ आर्थिक आधार होता है आज उनके खेत में छोटी कौमों की स्त्रियां मजदूरी करने जाती हैं, तो वे उनके साथ मजाक करते हैं, बड़े अश्लील शब्दों में। अगर वहां पर सेविकाओं को भेजते हैं, उनका स्तर ऊंचा करने के लिये तो यह भी जिम्मेदारी है कि उनके रहने का पूरा प्रबन्ध करें ताकि सम्मानपूर्वक वह समाज की सेवा कर सकें। अभी ताराचन्द माहेश्वरी जी ने एक इशारा किया था कि ऐसा न हो कि कहीं देहात में इसका प्रभाव उलटा पड़े। तो जहां आप इस काम को जरूरी समझते हैं उनकी सुरक्षा और व्यवस्था का भी प्रश्न अपने सामने रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसी को ध्यान में रख कर अब मंत्री जी का ध्यान देहात की ओर से हट कर शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है जैसे इस पुस्तिका से मालूम होता है जिसमें मूक और बधिर लड़कों के स्कूल खोलने की बात कही गयी है, लेकिन देहात का कल्याण जरूरी है और अगर उनकी पर्चेजिंग पावर घट रही है, अगर वह अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो कैसे समाज कल्याण होगा? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन की आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती है चाहे आप कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी बनायें या कोई और व्यवस्था करें। केवल एक रजिस्टर में उनका नाम है वह है वोटर रजिस्टर—जो गिरे हुए, पद दलित, और समाज में पिछड़े हुए हैं, उनका केवल वोटर रजिस्टर में नाम है। न उनकी इतनी साख है कि उनको कर्जा मिल सके और न उनको सही कीमत पर अनाज ही दिया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषयान्तर हो तो क्षमा करेंगे। समाज का कल्याण कैसे करेंगे? देहात में जो आप लाल बजरी देते हैं क्या आप ने कभी इस पर ध्यान दिया है, कभी डाक्टरों से जांच करायी है कि यह पौष्टिक पदार्थ है या नहीं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सात दिन खाने के बाद पेचिश की बीमारी हो सकती है, और उसके पास जो बची खुची सम्पत्ति होगी वह भी उसी में समाप्त हो जायगी। फिर भी ठीक प्रकार से स्वस्थ होगा या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। समाज कल्याण के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें स्वस्थ भोजन और वस्त्र मिले। कौन नहीं चाहता कि सफेद कपड़ा पहनें लेकिन उसके लिए साबुन, सोडा चाहिए या जो जेलखाने में देते हैं उस प्रकार का पदार्थ चाहिए। अगर हम उसको मजदूरी न दे सकें, उसके अन्न, भोजन और वस्त्र का प्रबन्ध न कर सकें तो केवल समाज कल्याण के नाम पर समाज कल्याण नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती का समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के ऊपर माननीय सदन के अन्दर चर्चा चल रही है। मथुरा जिला ही ऐसा है जो सदा समाज कल्याण करता चला आया है और उस जिले में ऐसी मूर्तियां हुई हैं जो सदा देश का कल्याण, समाज का कल्याण, गोपियों का कल्याण, ग्वाल बालों का कल्याण करती ही रही हैं। श्रीमन्, आचार्य जी ने उसी मथुरा में जन्म लिया है जहां कि समाज कल्याण शुरू होता है। सोलह सौ गोपियां और ग्वाल कृष्ण ने एकत्र किये थे लेकिन उनके घर ही मौजूद हैं। समाज कल्याण की जरूरत ही नहीं। वह तो ऐसे पुरुष हैं जो वकील थे बहु समाज कल्याण किया करते थे और जब मिनिस्टर हो गये तो भी समाज कल्याण ही हो रहा है। उनको तो समाज कल्याण का जन्मसिद्ध अधिकार ही मिल गया है। कहना पड़ेगा श्रीमन्, आप के द्वारा मेरे मथुरा जिले में जो समाज कल्याणी हुए हैं उनको टिकने नहीं दिया। कृष्ण ने समाज कल्याण किया। लेकिन कंस भी उसी खान्दान में हुआ। दोनों एक ही घर के थे। कृष्ण में और कंस में कोई भेद नहीं था। लेकिन मथुरा जिले ने कृष्ण की जान लेने के लिए पूतना की कुच में जहर लगा कर के भेजा, बकासुर को भेजा। मथुरा जिले ने कृष्ण को नहीं ठहरने दिया। द्वारिका में निकाल दिया। ऐसे ही मुझ टीकाराम पुजारी के लिये उन्होंने बहुत युक्ति की थी।

मैं आप के द्वारा एक बात कल्याणकारी राज्य और समाज कल्याण के बारे में कहना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि समाज कल्याण का मतलब क्या है। जब तक मैं अपना कल्याण नहीं कर लूंगा, अपनी आत्मा की शुद्धि नहीं कर लूंगा, कथनी और करनी एक नहीं कर लूंगा, ऊंच और नीच का कोई भेद नहीं रखूंगा। अपनी मां, दूसरे की मां, बहन बेटियों में कोई फर्क नहीं समझूंगा अपने बेटे दूसरे के बेटे में कोई फर्क नहीं रखूंगा, हम लोगों के बेटे मिनिस्टरों के हुक्का में पानी करें तो समाज कल्याण न आज होगा न कल होगा। क्या यही समाज कल्याण है श्रीमन्, इसी का नाम समाज कल्याण है? जब तक माता, बहनों को नहीं उठाया जायगा, तब तक देश में समाज कल्याण नहीं होगा। जब तक महिलाओं को ऊंचा नहीं उठाया जायगा, तब तक समाज कल्याण नहीं हो सकता। श्रीमन्, कुछ महिलायें ऊंची उठ गई हैं, कुछ रह गई हैं। समाज कल्याण क्या है? एक महिला के एक चुटिया, एक महिला के तीन चुटिया। देहात में तो एक जटा, शहर में तीन जटा, शहरी त्रिजटा बन गईं। तो यह कैसा समाज कल्याण है? जब तक ८० फीसदी गांवों में रहने वालों को नहीं उठाया जायगा, माताओं बहनों को शिक्षित नहीं बनाया जायगा, किसी समाज का, किसी देश का सुधार नहीं हो सकता। उनका सुधार करना चाहते हो, तो उनके पाखाने और पानी की व्यवस्था करें। आप गांव में जा कर देखें, मातायें छिपकर के लुक कर के मौका निकाल कर के पाखाने जाती हैं। कभी कभी कब्ज हो के बीमार हो के लाखों की तादाद में मर जाती हैं। क्या इसी का नाम समाज कल्याण है? यह तो धोखे की चीज है श्रीमन्। आप के द्वारा मैं माननीय सदन के सामने एक बात और रखूंगा। हमारी माता बहनों के अन्दर वह चीज है श्रीमन्, अब भी अपने पुत्र का काल वह बता देती हैं। इनको शिक्षित बना दिया जाय तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब भी अपने पुत्र से माता कहती है जब बादल चमकता है बेटे बाहर नहीं निकलना। तुम यहीं रहना। बिजली गिर जायगी। उनका तार रसोई में ही लगा रहता है। तवे पर जब चिनगारी आने लगती है या उझीना जब गिर जाता है तो वह अपने बेटे से कहती हैं कि बेटे तेरा मामा आने वाला है। इनके यहां सवेरे सात बजे कागा बोल जाय तो वह अपने बेटे से कहेंगी कि आज के रोज तेरे मामा आते होंगे, तार आयेगा। यह चीज हमारे गांवों में अब तक मौजूद है। समाज कल्याण तब होगा जब कि पाताल से स्त्रियों को ऊपर उठाया जायगा और ये मिनिस्टर जो आज आकाश में बैठे हुये हैं उनको नीचे नहीं झुकाया जायगा। तब देश का कल्याण होगा। वर्ना इस देश का कल्याण किसी तरह से होने वाला नहीं है।

मैं आप के द्वारा एक अर्ज और करना चाहता हूं कि कल्याण कहां से हो। जब गर्भ में बच्चा आता है तो गरीब स्त्री को खाना नहीं मिलता है। हमारी माता और बहनों को बड़ा सड़ा गला

खाना मिलता है। उससे उस बच्चे में कमी होती है और वह माता के गर्भ में ही उसको आ जाती है। जैसे कि एक कवि ने कहा है कि:

माता के सिखाये पुत्र ज्ञानी बलवान होत।
माता के सिखाये पुत्र चतुर सुजान हैं।।
माता के सिखाये पुत्र शत्रु को जीत लेत।
माता के सिखाये पुत्र होत बुद्धिमान है।।
माता के सिखाये पुत्र चोरी और कुम्मल देत।
जिनको नहीं रहता फिर अपना कोई ज्ञान है।।
माता ने सिखाया पुत्र शिक्षा दी गर्भ मांहि।
अभिमन्यु ने तोड़ा कूट किला भी महान हैं।।

तो माता की ही शिक्षा थी कि पुत्र ने भारी किला तोड़ दिया। माता ही सन्तान को बनाती है। तो जब तक स्त्री समाज को उठाया नहीं जायगा तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता। गांवों में आज यह दशा है कि तीन दिन हो जाते हैं लेकिन बच्चों के 'नार' नहीं कटते हैं। बच्चों का नार काटने के लिये दाई भी नहीं मिलती है। तो इस तरह से कैसे समाज का कल्याण हो सकता है। आज ये मिनिस्टर लोग सब खाये जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम समाज का कल्याण करेंगे। चिल्ला कर कहते हैं कि समाजवाद यहां पर लायेंगे पर समाजवाद यहां आयेगा कैसे। इनकी तो वही हालत है जैसे कि एक छान को उठाया जाता है कुछ आदमी उसको उठाते हैं। कुछ आदमी छान के बांसों को पकड़ कर नीचे को लटकते हैं। ये लटकने समाजवादी हैं। इसी तरह से यह गन्दा कर रहे हैं। यह समाजवाद नहीं ला सकते हैं। यह सब ढोंग है। उस वक्त तक समाजवाद यहां पर नहीं आयेगा जब तक कि आपकी कथनी और करनी में फर्क रहेगा।

श्री पब्बरराम--उपाध्यक्ष महोदय, मैं पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ की बातें बड़े गौर के साथ सुनता रहा। मैं इस समय हर एक बात का जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि वक्त की कमी है। मैं कुछ खास सुझावों की तरफ आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सब से बड़ा प्रश्न हमारा एक और है वह यह है कि अगर हम वैश्यावृत्ति को समाप्त करना चाहते हैं और अगर हम अपने समाज को ऊंचे उठाना चाहते हैं तो हमें उन अवैध सन्तानों की रक्षा का भी प्रबन्ध करना होगा। अवैध सन्तान जब मैं कहता हूं तो मैं दो किस्म की सन्तान कहता हूं। एक तो उन विधवाओं के जरिये से जो प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किसी भी तरीके से अपना गर्भ धारण करती हैं। उनके सामने एक कठिन समस्या होती है। आज समाज की जैसी पद्धति है उस पद्धति को देखते हुये वह बहुत ही घृणा की पात्र होती हैं। ऐसी हालत में या तो भ्रूण हत्या होती है या स्त्रियों का पतन होता है या वह हमेशा के लिये समाज से बहिष्कृत हो जाती हैं। ऐसी सूरत में सरकार की ओर से जच्चा-बच्चा केन्द्रों की स्थापना होनी चाहिये जिसमें स्त्रियां आजादी के साथ वहां जा कर अपने बच्चे को जन्म दे सकें। वह सन्तानें राष्ट्र की सम्पत्ति हैं, वह राष्ट्र की थाती हैं। हमारे कुछ भाई बोल रहे हैं, मैं उनसे अदब से कहना चाहता हूं कि इसकी (अवैध संतानों की) वृद्धि नहीं होगी। जितना ही आप इसको दबायेंगे, उतनी ही यह चीजें बढ़ेंगी। अवैध संतानों की उत्पत्ति हमारे देश में एक भयंकर रूप में खड़ी है और इसके लिये बच्चों का इंतजाम होना चाहिये। न सिर्फ पैदा होने तक ही बल्कि उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ले। उनके लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा तक को वह अपने हाथ में ले ताकि वे अपने पांव पर खड़े हो सकें। उस समय तक की जिम्मेदारी सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिये।

दूसरा सवाल जातीयता के सम्बन्ध में है। मैंने अपने भाषण के दौरान में बताया था और फिर कहता हूं कि नाम के आगे और पीछे उपाधियों का रखना अवैध घोषित किया जाय। दूसरे यह जो गिरे हुए लोग हैं और जिनको हमारे भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के

[श्री पब्बरराम]

अधिकार प्राप्त हैं उनके साथ कोई असमानता का व्यवहार नहीं कर सकता, जिनको कोई अछूत नहीं समझ सकता। उनको अच्छे व्यवहार की सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिये। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को मुफ्त न्याय मिलना चाहिये ताकि ऐसे लोगों के ऊपर जो भेदभाव का व्यवहार करते हैं वे मुकदमा चला सकें और उनको कानूनन सजा भी दिला सकें। इसके लिये सरकार की ओर से मुफ्त प्रबंध होना चाहिये ताकि वह अपने सम्मान की हिफाजत कर सकें और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। इसक लिये मैं माननीय मंत्री जी का खास तौर से ध्यान आर्कषित करता हूं।

दूसरी एक और समस्या अछूत वर्ग की यह है कि उनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है और उनके रहने के स्थान निहायत घिनौने हैं। गांव के दक्षिण की तरफ उनकी आबादी बसायी जाती है खास तौर से अपनी आर्थिक स्थिति के कारण वह जिन झोपड़ों में रहने के लिये मजबूर होते हैं उनकी हालत बड़ी घिनौनी है। ऐसे ऐसे लोगों को उनमें से उबारने के लिये कुछ करना चाहिये। उनके बच्चे हैं, स्त्रियां हैं और उनकी सन्तानें हैं, वे सब उसी ५० साल पुराने मकानों में रहने के लिये मजबूर हैं क्योंकि उनके पास अपनी जमीन नहीं है, अपना खेत नहीं है। तो इस बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिये सरकार जमीन एक्वायर करे और उनको बसने के लिये जमीन दे। हम जब बंगलों के लिये, सड़कों के लिये और दूसरे कामों के लिये जमीन ले सकते हैं तो इस उपयोगी कार्य के लिये भी हमको जमीन लेनी चाहिये।

वैश्या वृत्ति रोकने के लिये मैं फिर कहना चाहता हूं कि उनसे शादी करने वालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। जो शादी करने लायक वैश्यायें हैं, जिनको समाज अपनाना चाहता है और कुछ उत्साही लोग उनसे शादी करना चाहते हैं उनको जीवन निर्वाह की सुरक्षा मिलनी चाहिये क्योंकि उन लोगों को समाज में बुरी निगाह से देखा जाता है। ऐसे लोगों को सर्विसेज में भी प्रोत्साहन मिलना चाहिये। अगर यह काम किया जाय तो सरकार जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर के काम करती है उसमें सहूलियत होगी और खर्च बहुत कुछ बच जायगा और समस्या हल हो जायगी। जिनको इस समस्या के मनन करने का मौका मिला है उसको इस तरफ भी देखना चाहिये।

आज अछूत की प्रतिष्ठा इस देश में नहीं है। जब हम ४ बजे भोर में स्नान आदि कर के पूजा पर बैठते हैं तो उस समय एक भंगी पाखाने में लगा होता है, सड़कों पर मैला कुचैला साफ करता रहता है और उसको तनख्वाह मिलती है २२ रुपये। और हम लोग जोकि खूब साफ रहते हैं, हम यहां एम० एल० ए० बन कर आये हैं, हमको २०० रु० माहवार और १० रु० रोज मिलता है और जो मंत्री लोग हैं उनका महीने में भत्ता वगैरह सब मिला कर ५–६ हजार हो जाता है लेकिन जो समाज की गन्दगी की सफाई करता है उसके साथ उपेक्षा का व्यवहार होता है उसकी तन्ख्वाह इतनी कम होती है जिसमें वह अपने कपड़ों की धुलाई भी नहीं दे सकता, खाने पीने की तो बात दूर रही। इन चन्द सुझावों को मैं मन्त्री जी के सामने रखता हूं और आशा करता हूं कि वे मेरे कटौती के प्रस्ताव को मंजूर करेंगे।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, सदन में आज जो विवाद हुआ उसने बहुत सी सोचने की सामग्री दी। किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज कल्याण के विवाद के समय जितने भी सुझाव मिल सकें वे मूल्यवान हैं। मैं जानबूझ कर उन विवादों का उत्तर नहीं दंगा जिनमें कि समाज कल्याण के कार्यों की खिल्ली उड़ाने की चेष्टा की गई है। मेरे खयाल से वे गलत बातें हैं और आज जब कि प्लाण्ड एकोनामी के युग में, नियन्त्रित सुनियोजन के युग में देश एक-एक पग सांस लेकर आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, समाज कल्याण जैसे महान् कार्य के लिये जो पैसा इस देश में और इस प्रदेश में मिलता है वह बड़ी चीज है। मैं समझ सकता हूं और सरलता से यह कह सकता हूं कि जब तक देश से गरीबी दूर न हो तब तक समाज कल्याण कैसा? न जाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कितनी कठिनाइयां हैं हमारे देश में, कितना अज्ञान, जड़ता, वहम और न जाने कितने प्रकार के तत्वों से हमारा यह जीवन छिदा पड़ा है, बंधा पड़ा है। कहीं जात पात है, उसके बीसों और अत्यन्त भयानक रूप हैं। जैसा कि अभी मेरे मित्र पब्बरराम जी ने कहा उनकी सारी भावनाओं से मेरी हृदय की सहानुभूति है। समाज का वह दलित अंग, गिरा हुआ अंग जिसको समाज ने अपने शोषण से गिराकर रखा है उसके सम्बन्ध में कुछ भी शब्द कहे जांय वे कम ही हैं। आज हमारे समाज में केवल एक ही कुरीति तो नहीं है, न जाने कितनी कुरीतियां हैं, कहीं हमारी बढ़ती हुई लड़कियां हैं, बहनें हैं, दहेज नहीं है, मकान बेचा जाता है, मकान नहीं होता है तो खुदकशी होती है। स्थान-स्थान पर जाति के नाम पर जो नग्न दानवता का तांडव नृत्य होता है उसे कौन नहीं जानता। कौन नहीं जानता कि आज हमारे समाज में कितने प्रकार की सामाजिक कुरीतियां प्रचलित हैं जिनकी यदि सूची एकट्ठी की जाय तो वह शायद बन भी न पाये। किसको नहीं मालूम है कि आज हमारी नारी जाति के विकास के लिये जो कल्पना अपने देश में की गई थी वह बहुत दूर है। मेरे भाई टीकाराम जी इस समय यहां नहीं हैं उन्होंने चाहे किसी भाषा में सही कुछ सत्यों की ओर इंगित किया। और जब उन्होंने जिक्र किया तो मुझे एक लेख का स्मरण आ गया जोकि रीडर्स डाइजेस्ट में विनोबा भावे जी के सम्बन्ध में निकला था। एक अमेरिकन लेडी ने "The saint who asks for land" के विषय पर लिखा था। जब वह देश में आई उस के थोड़े समय बाद वह वापस चली गयी। उसने पत्र भी विनोबा जी को लिखा था कि तुम्हारे देश में मैं आकर क्या करूं जिस देश में जितने बड़े गधे होते हैं उससे दुगना बोझ गधे पर लादा जाता है। गाय को नियमित रूप से कम भोजन देकर मारा जाता है और उसकी पूजा की जाती है, नारी को संकोच, शील और सौजन्य की मूर्ति कहा जाता है किन्तु जो देश अपनी नारी के लिये यह प्रबन्ध नहीं कर सकता कि नित्य-प्रति की आवश्यकताओं के लिये वह कहीं जा सके। और भी उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया।

कौन नहीं जानता है हमारे ग्रामीण समाज की उस दुर्दशा को जिसे हम सभी अपने सामने नित्यप्रति देखते हैं? कौन नहीं जानता है उस व्यापक सामाजिक अन्याय को जो हमारे समाज में व्याप्त है और कौन नहीं जानता है उस व्यापक अज्ञान को जिसके द्वारा आज हमारे देश और प्रदेश का महिला-जीवन चारों ओर से घिरा हुआ है? और भी कितनी ऐसी आवश्यकतायें हैं जिनका जिक्र यहां हुआ, उन सब से सभी परिचित हैं। किसी भाई ने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, किसी ने भिक्षावृत्ति और वैश्यावृत्ति का किया या अनैतिक व्यापार का किया। सभी के बारे में यदि हम सोचने लगें तो मैं दोहराता हूं कि उसका कोई अन्त नहीं होगा।

भिक्षा वृत्ति के बारे में मैंने स्वयं कुछ विचारने की चेष्ठा की है। आपके देश में करीब ५ लाख भिक्षुक हैं जो केवल भिक्षा पर ही जीवित रहते हैं। अन्दाजा है कि हमारे प्रदेश में १ लाख से अधिक ऐसे लोग हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो केवल यह कहें कि भिक्षावृत्ति केवल वही मनुष्य करता है जो उसे व्यवसाय के रूप में करना चाहता है। नहीं, भिक्षा वृत्ति के मूल में इस देश की जर्जर आर्थिक अवस्था भी है, नैराश्यपूर्ण वातावरण और जीवन की ठोकरें भी हैं और कोई यह कहे कि इन सब को जादू के डंडे से समाप्त कर दिया जाय, यह भी सम्भव नहीं है। देश के आर्थिक जीवन के पुनरुत्थान का प्रश्न, फैली हुई व्यापक बेकारी का प्रश्न, आर्थिक दुरावस्था के कारण फैले हुये व्यापक नैराश्य का प्रश्न, ये सभी तो भिक्षा वृत्ति के मूल में हैं। यदि इनको कुछ घरों के जरिये से, उनसे इन लोगों को रखकर, दूर किया जा सके तो मैं ऐसा विश्वास नहीं करता। मैं यह खयाल करता हूं कि भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिये यह आवश्यक होगा कि देश का आर्थिक ढांचा सुधरे, जैसा हम सब चाहते हैं। लेकिन इसके लिये यदि कोई केवल इतना सा कहना चाहे कि दो घर, वाराणसी और हरिद्वार में, जो स्थापित किये हैं वे पर्याप्त हैं, मैं ऐसा मानने के लिये भी तैयार नहीं हूं। मैं कहता हूं कि वे अपर्याप्त हैं। किसी ने यह दावा भी नहीं किया कि उनके द्वारा भिक्षावृत्ति का उन्मूलन हो जायगा। या भिक्षा वृत्ति की डींग हांककर हमने आगे का लेखा यहां प्रस्तुत किया है। लेकिन

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

भिक्षुकों में भी दो तरह के व्यक्ति हैं। मैं जब भिक्षावृत्ति का जिक्र करता हूं तो न जाने कितनी चीजें इस देश की सदन के विचार में आवेंगी। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई सदैव के लिये अपंगु है, किसी के हाथ नहीं हिलता है, पैर नहीं हिलता है लेकिन उसका तुरन्त ही तो प्रबन्ध नहीं किया जा सकता। कई घरों में ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जिनको फालिज मार गया है। कुछ लोग सड़कों पर घूमते हैं जिनके कपड़े लड़के खींचते हैं। जिनका मस्तिष्क थोड़ा विकृत होता है। ऐसे व्यक्तियों को पागलखाने तो भेजा नहीं जा सकता लेकिन वे कुछ विक्षिप्त और कुछ अर्द्ध विक्षिप्त होते हैं लेकिन समाज से उपेक्षित होते हैं। भिक्षुकों में जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं उनके लिये हमने यह कोशिश की है कि उनको किन्हीं स्थानों पर रख सकें। उनके द्वारा कुछ उपयोगी कार्य हो सकता है। हम यह भी विश्वास रखते हैं कि यदि उनको कर्मशालाओं में रखा जाय और उनको कुछ न कुछ कार्य सिखाया जाय तो वे देश के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं और उनको जीवित रहने का भी अवसर मिल सकता है। अगर सरकार ने यह किया है तो अनुचित नहीं किया। हरद्वार में जो भिक्षुक कर्मशाला है उसमें १०० व्यक्ति इस समय हैं जिनमें २३ महिलायें, ७१ पुरुष और ६ बच्चे हैं। आमतौर पर महिलायें कताई, बुनाई, कढ़ाई और सिलाई का कार्य करती हैं। जो पुरुष हैं वे छोटी-मोटी दस्तकारी का काम करते हैं, टोकरी बुनते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। यह कर्मशाला सन् १९५६ में खोली गयी थी। सन् १९५८ में दूसरी कर्मशाला वाराणसी में खोली गयी है और उसमें भी इस प्रकार के व्यक्तियों को स्थान देने की कोशिश की गयी है। कुछ और भी ऐसे स्थान हैं जिनमें भिक्षुक रखे जाते हैं, उनको कार्य सिखाया जाता है, उनको भी सरकार अनुदान देती है।

श्रीमन्, वैश्यावृत्ति के बारे में मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, उसका और ज्यादा जिक्र करना उचित न होगा लेकिन मेरे मित्र पब्बरराम जी ने उसका बार-बार जिक्र किया इसलिये उसके बारे में कुछ कहना आवश्यक हो गया। वैश्यावृत्ति समाप्त करने के लिये एक कल्याणकारी राज्य के अधीन जो सीमित साधन उसके हैं, उनके द्वारा और इससे अधिक क्या किया जा सकता है। वैश्यावृत्ति को समाप्त होना चाहिये, इसके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं और कोई नहीं चाहता कि जीवन का यह अत्यन्त गर्हित और भोंडा रूप किसी प्रकार से जीवित रहे लेकिन उसके बारे में कोई बहुत जल्दबाजी भी नहीं की जा सकती है। मेरे मित्र ने कुछ चीन और रूस का भी जिक्र किया। जान ग्रंथर की एक पुस्तिका "इनसाइड रशिया टू डे" जो अकस्मात इस समय मेरे पास है, उसमें कुछ कम्युनिस्ट देशों के बारे में चर्चा की है। इसमें वैश्यावृत्ति के सम्बन्ध में भी थोड़ी सी बातें हैं। और कुछ वहां के आवास के बारे में मेरे मित्र ने जिक्र किया था और कहा था कि उन सब को पूरा घर जब तक नहीं देते तब तक उनकी बुरी ही हालत रहेगी। उन्होंने वहां का एक दयनीय चित्र भी खींचा था कि कितने व्यक्तियों को एक ही साथ रहना पड़ता है। बहुत सही बात है, कोई गलत नहीं है कि हमारे यहां निवास स्थानों की कमी है। पिछड़ी जातियों के आवास की कमी के बारे में उन्होंने कहा था कि गांवों में ऐसी जगहों पर उनको स्थान दिया जाता है जो सबसे बुरे होते हैं। श्रीमन्, इस बात को भी मैं सच मानता हूं कि वास्तव में आवास की बहुत कमी है। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार उस चित्र को मैं उनके सामने पेश करूं जो "इन साइड दि रूस टु डे" में जान ग्रंथर ने उपस्थित करने की चेष्टा की है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि आवास की कमी केवल भारत में ही नहीं है बल्कि सारे संसार में कमी है। जब सन् १८५० में एक हजार मिलियन आबादी थी और १९२० में दो हजार मिलियन हो गयी और १९८० में आशा की जाती है कि चार हजार मिलियन हो जायगी उस संसार में ऐसी चीजों और आवास की कमी पड़ती है तो कोई अजीब बात तो नहीं है कि हमारे देश में आवास की कमी है। लेकिन यदि मेरे मित्र विश्वास कर सकें तो ४० वर्ष तक निरन्तर प्रयास करने के बाद भी ये जो संसार की बड़ी शक्तियां हैं जिनके बड़े कार्यों की ओर आज हम केवल आशा की दृष्टि से देख सकते हैं उनके यहां भी एक कमरे में औसतन आज १२, १४ आदमी रहते हैं।

एक सदस्य—किस देश में रहते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस में। मैं तो रूस का ही जिक्र कर रहा था, आपकी नगरी का नहीं। तो मैं श्रीमन्, यह जिक्र कर रहा था कि यह बड़ी समस्या है किन्तु इन सब चीजों को समाज कल्याण विभाग सम्भाले और ऐसे आवास निर्माण करा दे, यह तो शायद मेरे मित्र भी न चाहेंगे। जहां तक कुछ और उपयोगी बातों का जिक्र इस सदन के सामने आया और कुछ उन बातों का भी जिक्र आया जो सचमुच कठिनाई है इस विभाग की। तो मैं कुछ और भी चीजों का जिक्र कर देना चाहता हूं। और कुछ समस्याओं की ओर भी इशारा करने की चेष्टा की गयी और करप्शन का भी जिक्र आया। इसके अलावा श्रीमन्, एक जिक्र अवैध सन्तानों का भी आया। इस सम्ब ध में कुछ दिन पहले भी मैंने जिक्र किया था और कुछ हमारे अखबार वाले मित्रों ने बड़ी कृपा करके उसको न जाने किस तरह से नये चित्र के रूप में जिसको मैं नहीं चाहता था "बैचलर मदर्स" की हेडिंग देकर निकाला। यह प्रश्न आज हमारे जीवन से इतना अधिक सम्बन्धित नहीं है लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जैसा चित्र शाया हुआ है, मैं अपने मित्र को केवल बतलाने के लिये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की एक संस्था कानपुर में है जो किसी भी बच्चे को स्वीकार ही नहीं करती बल्कि वह प्रजनन का कार्य भी करती है। माता कौन है, यह न तो वहां पूछा जाता है और न किसी को बतलाया ही जाता है किन्तु उसे स्वीकार किया जाता है। पश्चिम के दूसरे कुछ देशों में भी इस प्रकार की प्रथा है। हमारे देश में भी जैसा कि उन्होंने कहा इसको एक कटु सत्य के रूप में स्वीकार कर लें तो कोई अनुचित नहीं है। इसको मैं भी मानता हूं कि इसको कटु सत्य के रूप में स्वीकार कर लेना उचित है। लखनऊ में भी इस प्रकार की एक संस्था है जो केवल इस प्रकार के बच्चों को स्वीकार कर लेती है और बाद में अदालत द्वारा बच्चे दे दिये जाते हैं।

श्रीमन्, जहां तक प्रश्न कुछ उन समस्याओं का है जिनका जिक्र माननीया सुनीता देवी जी ने किया या जहां तक हमारे दूसरे मित्रों ने कहा जैसे कि प्रदेशीय राज्य समाज कल्याण बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश की महिला मंगल योजना के कार्य में आपस में विरोध चलता है वह ठीक ही है। एक ही स्थान पर महिला मंगल योजना चले और उसी स्थान पर केन्द्रीय सरकार दूसरी योजना चलाये और दोनों में सामंजस्य न हो और केन्द्रीय योजना में प्रदेश का हाथ करीब-करीब न रहे, प्रदेश को उससे अलग समझा जाय, यह कुछ बहुत अच्छी चीजें नहीं हैं। मैंने इस सम्ब ध में, मैंने ही नहीं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने इस सम्ब ध में प्लानिंग कमीशन के सामने इन चर्चाओं को चलाया और उन्होंने भी यही कहा कि इस प्रकार से कार्य कभी आगे चल नहीं सकता कि एक प्रान्त की योजना चले और एक केन्द्र की योजना उसी स्थान पर चले और दोनों सरकारों का पैसा व्यय हो और इस प्रकार से कहीं का भी कार्य न हो।

कुछ सदनों का जिक्र आया, कुछ बुरे इन्तजाम का जिक्र आया कि इस प्रकार की कमी है सदनों में जो कि समाज कल्याण की ओर से स्थापित किये गये हैं, मैं अत्यन्त आभारी हूंगा अगर इस प्रकार की चीजें मेरे सामने लाई जायं और मैं उनके सम्ब ध में पता लगाने की चेष्टा करूंगा ताकि उचित कदम उठाया जा सके।

एक अन्तिम चीज के सम्ब ध में और निवेदन करना चाहता था। जहां तक कि करप्शन का मसला है मैं ऐसा समझता हूं कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक रोग है। विधि की व्यवस्था के द्वारा एक जनतंत्रीय शासन प्रणाली में शायद यह भ्रष्टाचार उतनी सरलता से दूर न हो सके जितनी सरलता से समाज की आत्मा को जाग्रत करने से दूर किया जा सकता है। जाहिर है कि समाज कल्याण समितियां, नगर समाज कल्याण समितियां या दूसरे प्रकार की मोहल्ला समितियां शायद इस दिशा में कुछ कार्य कर सकती हों। मोटी सी बात है जैसे कि शहर-शहर में सट्टा और जुआ होता है और करप्शन का इससे कुछ सम्ब ध है तो मेरे खयाल से सदन के माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे कि रिश्वत देने से आगे भी कुछ भ्रष्टाचार है, जिसका

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

काला रूप है। प्रत्येक व्यक्ति अगर चारो ओर देखना चाहे तो देख सकता है, अपनी ओर देखना चाहे तो देख सकता है लेकिन उसे दंड की व्यवस्था से दूर कोई करना चाहे तो नहीं होगा। इस प्रकार के करप्शन को जिसमें कि मनुष्य का चरित्र स्वयं आगे आ कर खड़ा होता है, जिसमें नित्य प्रति, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया, दूकानों पर मिलावट होती है, खुले दहाड़े सट्टा होता है, खुले दहाड़े इस प्रकार के कार्य होते हैं जिनको समाज में अनैतिक कहा जायगा, अगर इनके सम्बन्ध में समाज की आत्मा जाग्रत की जा सके, शक्तिशाली की जा सके और बल दिया जा सके और इस प्रकार आत्मा को जीवित किया जा सके तो मैं समझता हूं कि समाज का कल्याण हो सकेगा।

मैं अन्त में इतना कहना चाहूंगा कि मैं इस संबंध में प्रयत्नशील हूंगा और चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्य किये जा सकें। मैं अपने मित्रों को चाहूंगा कि अगर उचित समझें तो वे अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस लेने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री पन्बरराम से) क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री पन्बरराम---मैं वापस नहीं लेता।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ४३ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

विकास योजनाओं की कमी---विशेषकर स्त्रियों के हितों के लिये पर्याप्त मात्रा में प्रबन्ध न होना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ४३ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

समाज कल्याण संचालकालय (Directorate) में कुछ पदों के स्थायी किये जाने पर चर्चा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ४३ के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

असहाय अबलाओं के लिये प्रचुर संख्या में 'समता-सदन' का न होना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

चरित्र-निर्माण के लिये पर्याप्त ध्यान न देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—समाज कल्याण—लेखा शीर्षक: ५७—प्रकीर्ण के अन्तर्गत ४०,९६,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर सोमवार, २ मार्च, १९५९ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
२८ फरवरी, १९५९ ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३४० एल० ए०—१९५९-८४५ ।